

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व  
न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019  
(धारा 258 (2-क) एवं (2-ख)

के अधीन निर्मित)

दिनांक 19 जुलाई, 2019 से प्रभावशील

1

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2019—आषाढ़ 28, शक 1941

### भाग ४

#### विषय-सूची

- |                            |                               |                                  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद के अधिनियम.             |
| (ग) (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

Bhopal, the 11th July 2019

CORRIGENDUM

No. 3511-2019-XXI-B-(One).—The Madhya Pradesh District Court Technical Manpower (Appointment and Condition of Service) Rules, 2019 were notified *vide* this department's notification No. 3202-2019-XXI-B(1), Bhopal on 19th June, 2019 and was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-4 (c) dated 28th June 2019. In Schedule-II of these rules following correction are made, namely:—

1. Against serial No. 1, in column No. 5, between the words "appointed as" and "System Officer", the words "District Judge" shall be deleted.
2. Against serial No. 2, in column No. 5, between the words "appointed as" and "Assistant", for the words "District Judge" the words "System Officer/System", shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-2-2019-सात-शा-7

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2-क) एवं (2-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त संहिता की अनुसूची-एक को उस सीमा तक, जो राजस्व मंडल को छोड़कर अन्य समस्त राजस्व न्यायालयों पर लागू है और उक्त संहिता की धारा 41 के अधीन बनाए गए नियम, जो अधिसूचना क्रमांक 365 दिनांक 26 फरवरी, 1960 द्वारा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं, को उस सीमा तक, जो राजस्व मंडल को छोड़कर अन्य समस्त राजस्व न्यायालयों पर लागू हैं तथा अधिसूचना क्रमांक 366 दिनांक 26 फरवरी, 1960 द्वारा समन, सूचनाओं और आदेशिकाओं की तामीली तथा पक्षकारों एवं साक्षियों, मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं को समन करने, अपील तथा अन्य कार्यवाहियों के समेकन आदि से संबंधित नियमों को उस सीमा तक, जो राजस्व मंडल को छोड़कर अन्य समस्त राजस्व न्यायालयों पर लागू है, अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:-

## नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 है।  
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मामले" से अभिप्रेत है संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन मामला या कार्यवाहियां ;

(ख) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा" से अभिप्रेत है ई-मेल द्वारा या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुज्ञात किया जाए, संदेश दिया जाना ;

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से अनुलग्न प्ररूप;

- (ड) "लोक सेवा केन्द्र" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित या प्राधिकृत केंद्र;
- (च) "अवयस्क" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने इन्डियन मेजोरिटी एक्ट, 1875 (क्रमांक 9 सन् 1875) की धारा 3 के अर्थ में वयस्कता प्राप्त नहीं की है;
- (छ) "रेवेन्यू केस मेनेजमेंट सिस्टम" से अभिप्रेत है राजस्व न्यायालयों में प्रचलित मामलों के प्रबंधन एवं मॉनीटरिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पद्धति;
- (ज) "राजस्व न्यायालय" से अभिप्रेत है राजस्व मण्डल को छोड़कर धारा 31 के अधीन राजस्व न्यायालय;
- (झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से अनुलग्न अनुसूची; और
- (ञ) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा।
- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो संहिता में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं।

3. राजस्व न्यायालयों को लागू होना.— ये नियम राजस्व मण्डल को छोड़कर सभी राजस्व न्यायालयों को लागू होंगे।

4. सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना.— धारा 43 के अनुसार जब तक संहिता में या इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, राजस्व न्यायालय के द्वारा संहिता के अधीन की समस्त कार्यवाहियों में, यावत्शक्य, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

#### भाग एक मामले का पंजीयन

5. मूल आवेदन.— इस भाग के प्रयोजन के लिए "मूल आवेदन" से अभिप्रेत है संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन किसी मूल कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए आवेदन या याचिका।

6. निम्नतम राजस्व न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना.— (1) धारा 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मूल आवेदन का ग्रहण और मामले का संज्ञान उस पर विचार करने के लिए सक्षम निम्नतम न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा—

परंतु ऐसे मामलों की ऐसी श्रेणी के मूल आवेदन जो कलक्टर विहित करे, किसी निम्नतर न्यायालय द्वारा ग्रहण किये जा सकेंगे और मामले का संज्ञान लिया जा सकेगा तथा उचित जांच के पश्चात् प्रतिवेदन के साथ उसके निराकरण के लिए, सक्षम न्यायालय को प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) इस नियम के अनुसार प्रस्तुत नहीं हुआ मूल आवेदन समुचित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस लौटाया जा सकेगा।

7. राजस्व न्यायालय के समक्ष मूल आवेदन का प्रस्तुत किया जाना.— धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुये कोई मूल आवेदन राजस्व न्यायालय के समक्ष नियम 8, 9, 10 या 11 में विहित रीतियों में से किसी एक रीति में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

8. राजस्व न्यायालय के समक्ष मूल आवेदन का व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाना.— (1) राजस्व न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जाने वाला मूल आवेदन राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किये गये अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) ऐसा मूल आवेदन प्राप्त करने वाला अधिकारी आवेदन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम दर्शाते हुए और यदि मूल आवेदन मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर प्राप्त हुआ हो तो ऐसे स्थान का नाम दर्शाते हुए, पृष्ठांकन करेगा जिस पर उसके हस्ताक्षर व दिनांक होंगे।

(3) उपनियम (1) में प्रस्तुत किया गया प्रत्येक मूल आवेदन रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में, जितनी जल्दी संभव हो सके, एक मामले के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

(4) यदि ऐसा मूल आवेदन उसके प्रस्तुत किये जाने के दिन राजस्व न्यायालय के द्वारा नहीं सुना जाता है तो उसकी सुनवाई के लिये एक दिनांक निश्चित किया जाएगा और उसे नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन दी जाने वाली पावती पर दर्शाया जाएगा।

9. राजस्व न्यायालय में मूल आवेदन का डाक अथवा कुरियर सेवाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाना.— (1) राजस्व न्यायालय को मूल आवेदन डाक अथवा कुरियर सेवाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) ऐसे मूल आवेदन की प्राप्ति पर, उसे प्राप्त करने वाला अधिकारी डाक से अथवा कुरियर सेवाओं से आवेदन प्राप्त होने का तथ्य दर्शाते हुए पृष्ठांकन करेगा जिस पर उसके हस्ताक्षर एवं दिनांक होंगे।

(3) उपनियम (1) में प्राप्त प्रत्येक मूल आवेदन रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में, जितनी जल्दी संभव हो सके, एक मामले के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

(4) ऐसे मूल आवेदन पर सुनवाई के लिये एक दिनांक निश्चित किया जाएगा तथा उसे नियम 12 के उपनियम (2) के अधीन भेजी जाने वाली पावती पर दर्शाया जाएगा।

10. लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से राजस्व न्यायालय को मूल आवेदन का प्रस्तुत किया जाना.— (1) राजस्व न्यायालय को मूल आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) लोक सेवा केन्द्र रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा मूल आवेदन एक मामले के रूप में पंजीकृत करेगा, मूल आवेदन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तैयार करेगा, राजस्व न्यायालय के समक्ष पक्षकार को उपस्थित होने के लिये दिनांक जो पंद्रह दिवस के पश्चात् की नहीं होगी, नियत करेगा और ऐसा दिनांक दर्शाती हुई पावती के साथ मूल आवेदन पक्षकार को लौटाएगा।

(3) लोक सेवा केन्द्र उपनियम (2) में तैयार की गई मूल आवेदन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अगले चौबीस घण्टों के भीतर राजस्व न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन लोक सेवा केन्द्र द्वारा नियत किये गये दिनांक को पक्षकार राजस्व न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी की गई पावती की प्रति के साथ मूल आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें चूक की दशा में राजस्व न्यायालय उसकी अनुपस्थिति के कारण आवेदन खारिज कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे। तथापि ऐसी खारिजी मूल आवेदन को नये सिरे से प्रस्तुत करने के लिये बाधा नहीं बनेगी।

**11. राजस्व न्यायालय को आवेदन पत्र रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना.**— (1) मूल आवेदन राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल के माध्यम से राजस्व न्यायालय को ऑनलाईन प्रस्तुत किया जा सकेगा। सिस्टम द्वारा ऐसे मूल आवेदन को एक मामले के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिये एक दिनांक, जो पंद्रह दिवस के पश्चात् का नहीं होगा, नियत किया जाएगा और पक्षकार को ऐसा दिनांक दर्शाती हुई ऑनलाईन पावती जारी की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियत किये गए दिनांक को पक्षकार राजस्व न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और पावती की प्रति के साथ मूल आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें चूक की दशा में राजस्व न्यायालय उसकी अनुपस्थिति के कारण आवेदन खारिज कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे। तथापि ऐसी खारिजी मूल आवेदन को नये सिरे से प्रस्तुत करने के लिये बाधा नहीं बनेगी।

**12. मूल आवेदन की पावती.**— (1) नियम 8 के अधीन व्यक्तिशः प्रस्तुत किये गये आवेदन की पावती प्ररूप—एक में दी जाएगी।

(2) नियम 9 के अधीन डाक अथवा कुरियर सेवाओं से प्राप्त आवेदन की पावती प्ररूप—एक में डाक से भेजी जाएगी।

(3) नियम 10 के अधीन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त या नियम 11 के अधीन रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त मूल आवेदन पत्र की पावती प्ररूप—दो में दी जाएगी।

**13. राजस्व न्यायालय के आदेशों पर मामले का पंजीयन.**— (1) राजस्व न्यायालय, किसी आदेश या प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में मामला दर्ज करने का आदेश दे सकेगा।

(2) नियम 8, 9, 10 या 11 के अधीन प्राप्त प्रत्येक मूल आवेदन को अनिवार्यतः रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में मामले के रूप में पंजीकृत किया जाना है। इसके अलावा राजस्व न्यायालय भी इस नियम के अंतर्गत रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई मामला दर्ज करने का आदेश दे सकता है।

14. मामलों का समेकन.— राजस्व न्यायालय द्वारा अपीलों या पुनरीक्षणों या पुनर्विलोकनों से भिन्न कार्यवाहियों का समेकन किया जा सकेगा, यदि —

- (क) ऐसी कार्यवाहियों के समस्त पक्षकार ऐसे समेकन पर सहमत हो जाते हैं;
- (ख) ऐसी समस्त कार्यवाहियों में विनिश्चय के समान बिंदु अभिग्रस्त हों; तथा
- (ग) ऐसी समस्त कार्यवाहियों में प्रस्तुत होने वाली साक्ष्य एक हो।

#### भाग दो

#### समन, सूचना, उदघोषणा एवं वारंट

#### क—समन

15. साक्षियों की सूची और समन का जारी किया जाना.— (1) ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जो राजस्व न्यायालय नियत करे, पक्षकारगण राजस्व न्यायालय में ऐसे साक्षियों की सूची प्रस्तुत करेंगे जिन्हें वे या तो साक्ष्य देने के लिये या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये बुलाने की प्रस्थापना करते हैं।

(2) राजस्व न्यायालय कारण अभिलिखित करते हुए पक्षकार को किसी ऐसे साक्षी को जो ऐसी सूची में आये नामों से भिन्न हो, बुलाने की अनुमति दे सकेगा। यदि पक्षकार उक्त सूची में से नाम का उल्लेख करने में लोप का पर्याप्त कारण दर्शा दे।

(3) पक्षकार राजस्व न्यायालय के समक्ष उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी सूची में से या उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञात कोई साक्षी राजस्व न्यायालय द्वारा समन जारी किये बिना ला सकेगा। ऐसी दशा में साक्षी के व्यय, नियम 33 एवं 34 के किसी संदर्भ के बिना, पक्षकार द्वारा सीधे साक्षी को भुगतान किये जाएंगे:

परंतु इस उपनियम के उपबंध राज्य के शासकीय सेवक के मामले में, जो कि उसकी पदीय क्षमता में साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये बुलाया जाना है, लागू नहीं होंगे।

(4) पक्षकार किसी साक्षी को समन जारी करने के लिये, वह प्रयोजन जिसके लिये साक्षी को समन किया जाना प्रस्तावित है, कथित करते हुये राजस्व न्यायालय को आवेदन कर सकेगा। ऐसे साक्षी के व्यय जो कि राजस्व न्यायालय द्वारा समन किया गया है नियम 33 एवं 34 के उपबंधों के अनुसार भुगतान किये जाएंगे।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन के लिये, अभिव्यक्ति 'राज्य का शासकीय सेवक' में शामिल है स्थानीय निकाय का कर्मचारी।

16. सगन जारी किया जाना.— (1) भौतिक रीति से जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित में दो प्रतियों में होगा और वह जारी करने वाले राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह अपनी ओर से सशक्त करे, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होगा।

(2) इलेक्ट्रॉनिक रीति से जारी किया गया प्रत्येक समन राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे वह अपनी ओर से सशक्त करे, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक समन में वह समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट होगा जब और जहां समन किया गया व्यक्ति उपस्थित होने के लिये अपेक्षित है और यह भी विनिर्दिष्ट होगा कि वह साक्ष्य देने के लिये अपेक्षित है या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये।

**17. पक्षकार को समन.—** पक्षकार को जारी किये जाने वाले प्रत्येक समन के साथ मामले की विषय-वस्तु के बारे में एक संक्षिप्त कथन होगा:

परंतु अनावेदक को जारी किये जाने वाले समन के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन, यदि कोई हो, की प्रति संलग्न की जाएगी।

**18. दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समन.—** (1) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये समन किन्हीं विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये या किसी वर्णन के उन समस्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये हो सकेगा जो समन किये गये व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में हों।

(2) केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये ही समन किया गया व्यक्ति यदि उसे प्रस्तुत करने के लिये स्वयं उपस्थित होने के बदले ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करवा देता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने समन का अनुपालन कर दिया है।

**19. राजस्व न्यायालय द्वारा समन की तामीली.—** राजस्व न्यायालय निम्न में से किसी एक या अधिक तरीकों से, जैसा कि वह ठीक समझे, समन की तामीली हेतु आदेश कर सकेगा,—

(क) व्यक्तिशः तामीली द्वारा;

(ख) रसीदी रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कुरियर सेवाओं जो कि नियम 22 के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित हैं, के द्वारा; या

(ग) इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा द्वारा।

**20. समन की व्यक्तिशः तामीली.—** (1) जहां समन किया गया व्यक्ति राजस्व न्यायालय की अधिकारिता के भीतर या उस जिले के भीतर जिसमें ऐसा राजस्व न्यायालय स्थित है, निवास करता है या उस अधिकारिता या जिले के भीतर में निवास करने वाला उसका ऐसा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या विधि व्यवसायी है जो समन की तामीली लेने के लिये सशक्त है तो जब तक राजस्व न्यायालय अन्यथा निदेश न दे, समन —

(क) उचित अधिकारी की ओर, उसके या उसके किसी अधीनस्थ द्वारा तामीली हेतु; या

(ख) उसके अधीनस्थ किसी शासकीय सेवक की ओर, उसके या उसके किसी अधीनस्थ द्वारा तामीली हेतु; या

(ग) पटेल या कोटवार की ओर, उसके द्वारा तामीली हेतु;

परिदत्त किया जाएगा या भेजा जाएगा।



(2) 'उचित अधिकारी' से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जो राजस्व न्यायालयों द्वारा जारी किये गये समन और सूचनाओं की तामीली के लिये उत्तरदायी है।

(3) उपनियम (1) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक समन की तामील उसकी एक प्रति समन किये गये व्यक्ति को व्यक्तिशः या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या उसके विधि व्यवसायी को निविदत्त कर या परिदत्त कर की जाएगी।

(4) जहां समन किया गया व्यक्ति अपने निवास स्थान में उस समय उपस्थित नहीं है जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जाना चाहा जा रहा है तथा युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नहीं है वहां तामील समन किये गये व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर की जा सकेगी, जो उसके साथ निवास कर रहा है।

**स्पष्टीकरण—** इस नियम के अर्थ के अंतर्गत सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।

(5) जहां तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति समन किये गये व्यक्ति को व्यक्तिशः या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को या विधि व्यवसायी को या उसके कुटुम्ब के वयस्क सदस्य को परिदत्त करता है या निविदत्त करता है वहां जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत्त या निविदत्त की गई है उससे वह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे। तामील करने वाला अधिकारी उस दिनांक तथा समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो समन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था तो उसका नाम और पता मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा।

**21. अन्य जिले में या राज्य के बाहर निवास कर रहे व्यक्ति को समन.—** यदि समन किया गया व्यक्ति मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या बाहर के किसी अन्य जिले में निवास करता है, तो समन डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सेवाओं जो कि नियम 22 के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित हैं के द्वारा या विशेष वाहक द्वारा ऐसे जिले के कलक्टर को अपने किसी मातहत के माध्यम से उसकी तामीली करवाने के अनुरोध पत्र के साथ भेजा जा सकेगा।

**22. समन की तामील डाक या कुरियर सेवाओं द्वारा.—**(1) राजस्व न्यायालय समन किये गये व्यक्ति या तामील प्राप्त करने के लिए सशक्त उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कुरियर सेवाओं, जो उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित हैं, के द्वारा समन की प्रति प्रेषित कर समन की तामील करने के लिए आदेश कर सकेगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन समन जारी किया गया है समन जारी करने वाला राजस्व न्यायालय, नियम 29 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समन सम्यक् रूप से तामील होना घोषित करेगा और तब मामले में आगे कार्यवाही करेगा, यदि—

(क) समन किए गए व्यक्ति या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के हस्ताक्षर होना तात्पर्यित कोई अभिस्वीकृति या अन्य पावती राजस्व न्यायालय को प्राप्त हो जाती है, या

- (ख) डाक सेवा या कुरियर सेवा के द्वारा समन रखा लिफाफा राजस्व न्यायालय को इस तात्पर्य के पृष्ठांकन के साथ वापस कर दिया जाता है कि प्रेषिती या उसकी अनुपरिस्थिति में उसकी ओर से अन्य किसी भी व्यक्ति ने उसे नहीं लिया; या
- (ग) प्रेषित किया गया समन, डाक सेवा या कुरियर सेवा के वेब पोर्टल पर परिदत्त किया गया दर्शाया जाता है; या
- (घ) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रेषित किए गए समन की डाक अभिस्वीकृति ऐसे प्रेषण के बाद से तीस दिन व्यतीत हो जाने तक राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होती।

(3) कलक्टर, समय-समय पर, उसके स्वयं के राजस्व न्यायालय तथा जिले में उसके समकक्ष या अधीनस्थ स्तर के समस्त राजस्व न्यायालयों के द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित कुरियर सेवाओं का पैनल तैयार करेगा। शेष राजस्व न्यायालय उनके स्वयं के उपयोग के लिए ऐसे पैनल समय-समय पर तैयार करेंगे।

**23. इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा द्वारा समन की तामील.—** राजस्व न्यायालय समन की तामील इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा द्वारा करने का आदेश निम्न स्थितियों में कर सकेगा—

- (क) ऐसे व्यक्ति या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या विधि-व्यवसायी को जिसका ई-मेल एड्रेस राजस्व न्यायालय में पंजीकृत है; या
- (ख) ऐसे संगठन को जिसके लिए आम जन से संसूचना प्राप्त करने के लिए ई-मेल एड्रेस घोषित करना विधि द्वारा आवश्यक किया गया है।

**24. पक्षकार को समन तामील के लिए देना.—** (1) राजस्व न्यायालय नियम 19 के अधीन समन की तामील करवाने के अतिरिक्त, किसी पक्षकार के आवेदन पर, ऐसे पक्षकार को उसके व्यय पर समन तामील करने के लिए परिदत्त कर सकेगा।

(2) ऐसे समन की तामील ऐसे पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से, समन किये गये व्यक्ति को समन की एक प्रति व्यक्तिशः परिदत्त कर या निविदत्त करके की जाएगी अथवा नियम 19 के खंड (ख) तथा (ग) में उल्लेखित तामील की पद्धतियों में से किसी पद्धति से की जाएगी।

(3) नियम 20 के उपनियम (5) के उपबंध इस नियम के अधीन व्यक्तिशः तामील किए गए समन को इस प्रकार लागू होंगे मानो कि तामील करने वाला व्यक्ति तामील करने वाला अधिकारी हो।

(4) यदि ऐसा समन निविदत्त किये जाने के समय ग्रहण नहीं किया जाता है या वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है तामील की पावती पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर देता है या किसी कारण से ऐसा समन व्यक्तिशः तामील नहीं किया जा सकता है तो राजस्व न्यायालय पक्षकार के आवेदन पर ऐसा समन नियम 19 के अधीन तामील के लिए पुनः जारी करेगा।

**25. प्रतिस्थापित तामील.—** (1) जब राजस्व न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाए, सामने आने से बचता है या कि किसी अन्य कारण से समन की तामील साधारण प्रकार से नहीं की जा सकती है, वहां राजस्व न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील—

(क) उस गृह के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर या ऐसे ग्राम या सेक्टर के किसी लोक समागम के स्थान पर समन की एक प्रति लगाकर की जाएगी; या

(ख) अन्य ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, की जाएगी।

(2) जहां समन की तामील यथा पूर्वोक्त रीति से उसकी प्रति चस्पा कर की जाती है वहां तामील करने वाला अधिकारी एक रिपोर्ट मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा या उसमें संलग्न करेगा। रिपोर्ट में यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होंगी और जिसमें उस व्यक्ति का, यदि कोई हो, नाम तथा पता कथित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी। रिपोर्ट के साथ मूल समन उस राजस्व न्यायालय को लौटाया जाएगा जिसने समन जारी किया था।

(3) जहां समन उपनियम (2) के अधीन लौटा दिया गया है वहां राजस्व न्यायालय अपने विवेकानुसार तामील करने वाले अधिकारी की उसकी अपनी कार्यवाहियों की बावत् शपथ पर परीक्षा कर सकेगा या किसी अन्य राजस्व न्यायालय से करवा सकेगा और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यकरूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।

(4) जहां उपनियम (1) के अधीन कार्य करने वाला राजस्व न्यायालय पक्षकार के व्यय पर समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा तामील का आदेश देता है वहां दैनिक समाचार पत्र ऐसा होगा जो उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें समन किया गया व्यक्ति वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करना अंतिम बार ज्ञात है, व्यापक रूप से परिचालित होता है।

(5) न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित तामील इस प्रकार प्रभावी होगी मानो कि वह स्वयं समन किए गए व्यक्ति पर की गई हो।

26. विशेष मामलों में समन की तामील.— (1) जहां समन किया गया व्यक्ति कारागार में परिरुद्ध है—वहां समन कारागार के भारसाधक अधिकारी को उस व्यक्ति को तामील करने के लिए परिदत्त किया जाएगा या डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सेवाओं द्वारा जैसी कि नियम 22 के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित हैं या विशेष वाहक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा द्वारा या ऐसे अन्य माध्यम से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपबंधित हो, द्वारा भेजा जाएगा।

(2) जहां समन किया गया व्यक्ति भारत के बाहर निवास करता है और उसका भारत में ऐसा कोई मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या विधि व्यवसायी नहीं है जो तामील प्राप्त करने के लिए सशक्त है वहां समन ऐसे व्यक्ति को उस स्थान के पते पर जहां वह निवास कर रहा है, डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सेवाओं द्वारा जैसी कि नियम 22 के उपनियम (3) के अधीन अनुमोदित हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग द्वारा या ऐसे अन्य माध्यम से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपबंधित हो, भेजा जाएगा।

27. समन के बदले पत्र भेजना.— (1) राजस्व न्यायालय का पीढासीन अधिकारी जहां उचित समझे समन किए गए व्यक्ति को समन के बदले अपने हस्ताक्षर से पत्र भेज सकेगा।  
 (2) उपनियम (1) के अधीन भेजे गए पत्र में वे सब विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जिनका समन में कथित होना अपेक्षित है और उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह सभी प्रकार से समन माना जाएगा।  
 (3) ऐसा पत्र समन किए गए व्यक्ति को डाक द्वारा या विशेष वाहक द्वारा या किसी ऐसी अन्य रीति से जो राजस्व न्यायालय ठीक समझे, भेजा जा सकेगा और जहां समन किए गए व्यक्ति का ऐसा मान्यताप्राप्त अभिकर्ता हो जो तामील प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त है वहां वह पत्र ऐसे मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को परिदत्त किया जा सकेगा या भेजा जा सकेगा।

28. समन किए गए व्यक्ति का कर्तव्य.— संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जो व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए किसी राजस्व न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए समन किया जाता है वह उस प्रयोजन के लिए समन में नामित समय एवं स्थान पर उपस्थित होगा और जो व्यक्ति दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जाता है वह ऐसे समय तथा स्थान पर या तो उसे प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित होगा या उसे प्रस्तुत करायेगा।

29. राजस्व न्यायालय समन के तामील की संतुष्टि अभिलिखित करेगा.— जब कभी भी इन नियमों के अधीन समन जारी किया गया है, राजस्व न्यायालय समन किए गए व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही करने के पूर्व स्वयं की संतुष्टि करेगा कि समन इन नियमों में विहित किसी एक या अधिक ढंग से उचित रूप से तामील किया गया था और अपनी संतुष्टि अभिलिखित करेगा।

#### ख-सूचना

30. सूचना तामील करने का ढंग.— समस्त सूचनाएं, जो किसी व्यक्ति को दी जाना या तामील की जाना संहिता द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित हैं, समन की तामिली के लिए उपबन्धित रीति में जारी और तामील की जाएगी।

#### ग-उद्घोषणा

31. उद्घोषणा जारी करने का ढंग.— (1) जब कभी इस संहिता के अधीन कोई उद्घोषणा जारी की जाती है, तो उसकी प्रतियाँ उसे जारी करने वाले राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय के कार्यालय तथा उस तहसील, जिसके भीतर उद्घोषणा से सम्बन्धित भूमि स्थित है, के कार्यालय तथा उस स्थानीय निकाय, जिसके भीतर उद्घोषणा से सम्बन्धित भूमि स्थित है, के कार्यालय के सूचना पटलों पर लगाई जाएगी और उस उद्घोषणा में संदर्भित भूमि पर या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(2) उद्घोषणा जारी करने वाला राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय, यदि वह ठीक समझे उद्घोषणा को, उस भूमि पर या उसके निकट जिसे वह संदर्भित करती है, डोंडी पिटवा कर प्रकाशित कराएगा।

- (3) किसी पक्षकार के निवेदन और व्यय पर, उद्घोषणा जारी करने वाला राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जहां भूमि स्थित है, व्यापक रूप से परिचालित समाचार पत्र में उद्घोषणा प्रकाशित कराने के लिए आदेश दे सकेगा।
- (4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी वेबसाइटें विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन पर ऐसे प्रकार की अधिसूचनाएं जो विनिर्दिष्ट की जाएं, उद्घोषणा जारी करने वाले राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय के द्वारा अनिवार्यतः अपलोड की जाएंगी।
- (5) निषेधात्मक आदेश जारी करने के लिए उद्घोषणा जारी करने के ढंग लागू होंगे।

#### घ-अन्य उपबंध

32. भारत के किसी अन्य राज्य के राजस्व न्यायालय द्वारा जारी समन, सूचना या उद्घोषणा.— भारत के किसी अन्य राज्य के राजस्व न्यायालय द्वारा जारी समन, सूचना या उद्घोषणा का निर्वाह एवं निष्पादन, ऐसे राजस्व अधिकारी या राजस्व न्यायालय द्वारा जिसे वह भेजी जाए, निःशुल्क किया जाएगा।

33. समन किए गए साक्षी के व्यय.— (1) साक्षी के व्यय ऐसे पक्षकार द्वारा जिसके कहे जाने पर राजस्व न्यायालय द्वारा उसे समन किया गया है, भुगतान किए जाएंगे।

(2) ऐसे साक्षी के व्यय जो राजस्व न्यायालय द्वारा स्वयं की प्रेरणा से, न कि पक्षकार के कहे जाने पर, समन किया गया है,—

(क) यदि कार्यवाही की प्रकृति निजी पक्षकारों के मध्य के विवाद की है, तो ऐसे पक्षकार या पक्षकारों द्वारा तथा ऐसे अनुपात में, जैसा कि राजस्व न्यायालय ठीक समझे; और

(ख) अन्य मामलों में राज्य सरकार द्वारा; भुगतान किए जाएंगे।

(3) उपनियम (1) एवं (2) के अधीन व्यय राजस्व न्यायालय द्वारा अनुसूची क में विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे।

(4) उपनियम (1) एवं (2) में की कोई भी बात पदीय हैसियत में साक्ष्य देने के लिए समन किए गए राज्य के शासकीय सेवक के मामले में लागू नहीं होगी। ऐसे शासकीय सेवक को उसके सेवा नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते एवं दैनिक भत्ते की पात्रता होगी चाहे वह पक्षकार के कहने पर या राजस्व न्यायालय की स्वयं की प्रेरणा से समन किया गया हो। इस प्रयोजन के लिए राजस्व न्यायालय के द्वारा प्ररूप तीन में उसे साक्षी प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— (1) राज्य सरकार के द्वारा एक पक्षकार के रूप में कहे जाने पर राजस्व न्यायालय द्वारा समन किए गए साक्षी के व्यय उपनियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाएंगे।

(2) राज्य के शासकीय सेवक जिसे पदीय हैसियत से अन्यथा हैसियत से साक्ष्य देने के लिए समन किया गया है तथा सेवानिवृत्त राज्य के शासकीय सेवक के मामले में, यथास्थिति, उपनियम (1) या (2) के प्रावधान लागू होंगे।

(3) इस नियम के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'राज्य का शासकीय सेवक' में शामिल है स्थानीय निकाय का कर्मचारी।

**34. साक्षी को व्ययों का भुगतान.**— नियम 33 के उपनियम (3) के अधीन राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित किये गये व्यय साक्षी को,—

(क) जहां उसकी साक्ष्य ली गयी है, ऐसी साक्ष्य बंद होने के तुरंत पश्चात्; या

(ख) जहां उसकी साक्ष्य लिये बिना, मामला स्थगित किया गया है, ऐसे स्थगन के पूर्व भुगतान किए जाएंगे।

(2) यदि पक्षकार द्वारा साक्षी को भुगतान में चूक की जाती है, तो राजस्व न्यायालय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ऐसा आदेश, जैसा कि वह ठीक समझे, जिसमें कार्यवाहियां स्थगित करना भी शामिल है, दे सकेगा।

**35. राजस्व न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों को साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए अपेक्षित करने की शक्ति.**— राजस्व न्यायालय में उपस्थित किसी भी व्यक्ति से राजस्व न्यायालय के द्वारा यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह व्यक्ति साक्ष्य दे या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करे, जो उस समय और वहां उसके कब्जे या शक्ति में है।

**36. समन और जमानतीय वारंट के प्ररूप.**— समन जारी करने के लिए प्ररूप चार—क तथा चार—ख और धारा 34 के अधीन जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए प्ररूप पांच उपयोग में लाया जा सकेगा।

### भाग तीन

#### साक्ष्य

**37. कथनों तथा बयानों को अभिलिखित करना.**— पक्षकारों के कथन और साक्षियों के बयान राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा मामला व्यवहृत किया जा रहा है, स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किये जाएंगे।

**38. शपथपत्र पर मुख्य—परीक्षा.**— (1) किसी साक्षी की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथपत्र पर लिया जा सकेगा और उसकी प्रतियां उस पक्षकार द्वारा, जो उसे साक्ष्य के लिए बुलाता है, विरोधी पक्षकार को दी जाएंगी:

परन्तु जहां दस्तावेज फाइल किए गए हों और पक्षकार उन दस्तावेजों पर निर्भर करते हों, वहां शपथपत्र के साथ फाइल किए गए ऐसे दस्तावेजों का सबूत और ग्राह्यता राजस्व न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए होगी।

(2) हाजिर साक्षी का साक्ष्य (प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा), जिसका साक्ष्य (मुख्य परीक्षा) न्यायालय को शपथपत्र द्वारा दिया गया है या तो न्यायालय द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

**39. साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राहता.—** (1) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रकटित और निरीक्षण की दशा में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000), में यथा परिभाषित मुद्रित प्रति देना पर्याप्त होगा।

(2) पक्षकारों के विवेक या जहां अपेक्षित हो (जब पक्षकार दृश्य-श्रव्य अंतर्वस्तु पर निर्भर करने के इच्छुक हों), इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की प्रतियां या तो मुद्रित प्रति के अतिरिक्त या उसके बदले में इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जाएंगी।

(3) जहां इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रकटित दस्तावेजों के भागरूप हैं, वहां किसी पक्षकार द्वारा दाखिल की जाने वाली शपथ घोषणा में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे,—

(क) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के पक्षकारगण;

(ख) वह रीति, जिसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत किया गया था और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था;

(ग) ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के तैयार किए जाने या भंडारण या जारी अथवा प्राप्त किए जाने का दिनांक और समय;

(घ) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का स्रोत और वह दिनांक और समय, जब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मुद्रित किया गया था;

(ङ) ई-मेल आईडी की दशा में, ऐसे ई-मेल आईडी के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के विवरण;

(च) किसी कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत पर भंडारित (जिसके अंतर्गत बाह्य सर्वर या क्लाउड भी हैं) दस्तावेजों की दशा में, कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत पर ऐसे डाटा के स्वामित्व, अभिरक्षा और पहुंच के ब्यौरे;

(छ) अभिसाक्षी की अंतर्वस्तुओं की और अंतर्वस्तुओं की सत्यता की जानकारी;

(ज) क्या ऐसे दस्तावेज या डाटा को तैयार करने या प्राप्त करने या संचित करने के लिए प्रयुक्त कम्प्यूटर या कम्प्यूटर स्रोत उचित रूप से कार्य कर रहा था या खराबी की दशा में ऐसी खराबी से संचित दस्तावेज की अंतर्वस्तुएं प्रभावित नहीं हुईं;

(झ) दी गई मुद्रित प्रति या प्रति मूल कम्प्यूटर स्रोत से ली गई थी।

(4) किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की मुद्रित प्रति या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रति पर निर्भर करने वाले पक्षकारों से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के निरीक्षण कराए जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, परन्तु यह तब, जब ऐसे पक्षकार द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि ऐसी प्रत्येक प्रति, जो प्रस्तुत की गई है, मूल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से बनाई गई है।

(5) राजस्व न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के लिए निदेश दे सकेगा।

(6) राजस्व न्यायालय अपनी स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के अनुरोध पर किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का जिसके अंतर्गत मेटाडाटा या लॉग्स भी हैं, ग्रहण किये जाने के पूर्व ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अतिरिक्त सबूत प्रस्तुत करने का निदेश जारी कर सकेगा।

40. जांच प्रतिवेदन.— राजस्व न्यायालय जिसे राजस्व मामला वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा जांच और प्रतिवेदन के लिए सौंपा गया है, के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय पक्षकारों अथवा उनके विधि व्यवसायियों से जान लिया जाना चाहिए कि क्या वे अंतिम आदेश पारित करने वाले राजस्व न्यायालय द्वारा सुने जाने के इच्छुक हैं या नहीं तथा उनकी इच्छाएं लेखांकित करना चाहिए।

#### भाग चार

#### साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन

41. कमिश्नर.— इस भाग के प्रयोजन के लिए, कमिश्नर से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे नियम 42 के अधीन राजस्व न्यायालय द्वारा कमीशन जारी किया गया है।

42. वे मामले जिनमें राजस्व न्यायालय साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कर सकेगा.— (1) राजस्व न्यायालय किसी भी कार्यवाही में—

(क) अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति की जिसे राजस्व न्यायालय में उपस्थिति से संहिता के अधीन छूट मिली हो, या जो बीमारी या अंगशैथिल्य के कारण उपस्थित होने में असमर्थ हो, या यदि न्यायहित में या मामले के त्वरित निराकरण के लिए या किसी अन्य कारण से कमीशन द्वारा उसकी परीक्षा उचित होगी; या

(ख) किसी व्यक्ति की, जो उसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं से बाहर का निवासी हो; या

(ग) किसी व्यक्ति की जो ऐसी सीमाओं को उस दिनांक से पूर्व छोड़ने वाला है जिसको राजस्व न्यायालय में उसकी परीक्षा की जाने के लिए वह अपेक्षित है; या

(घ) किसी व्यक्ति की, जो केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में है और जो, राजस्व न्यायालय की राय में, लोक सेवा को अवरुद्ध किये बिना उपस्थित नहीं हो सकता है;

परिप्रश्नों द्वारा या अन्यथा परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा।

(2) परंतु परिप्रश्नों द्वारा परीक्षा के लिए कमीशन तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि राजस्व न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसा करना आवश्यक न समझे।

(3) राजस्व न्यायालय इस नियम के प्रयोजन के लिए, ऐसा प्रमाण-पत्र जो किसी व्यक्ति की बीमारी या अंगशैथिल्य की साक्ष्य के रूप में किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षर किया गया तात्पर्यित है, चिकित्सा व्यवसायी को साक्षी के रूप में आहूत किए बिना स्वीकार कर सकेगा।



43. कमीशन के लिए आदेश.— साक्षी की परीक्षा करने के लिये कमीशन जारी किये जाने के लिए आदेश राजस्व न्यायालय द्वारा प्ररूप छः में या तो स्वप्रेरणा से या कार्यवाही के किसी पक्षकार के या उस साक्षी के जिसकी परीक्षा की जानी है, ऐसे आवेदन पर, जो शपथ-पत्र द्वारा या अन्यथा समर्थित हो, किया जा सकेगा।

44. किसी व्यक्ति या राजस्व न्यायालय को कमीशन जारी किया जाना.— (1) किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिये कमीशन किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि राजस्व न्यायालय उसका निष्पादन करने के लिये ठीक समझता है, या समान या कनिष्ठ श्रेणी के किसी ऐसे अन्य राजस्व न्यायालय को, जो सुविधापूर्वक ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकता हो, जारी किया जा सकेगा।

(2) प्रत्येक राजस्व न्यायालय, जिसे किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिये कमीशन प्राप्त हो, उसके अनुसरण में उसकी परीक्षा करेगा या करवायेगा।

(3) राजस्व न्यायालय, कोई भी कमीशन इस नियम के अधीन जारी करने पर यह निदेश देगा कि क्या कमीशन उसको ही लौटाया जायेगा या कि उसके किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को।

45. साक्ष्य सहित कमीशन का लौटाया जाना.— (1) जहां कमीशन का सम्यक् रूप से निष्पादन कर दिया गया हो, वहां वह उसके अधीन लिये गये साक्ष्य सहित उस राजस्व न्यायालय को जिसने कि उसे जारी किया था, उस दशा के सिवाय लौटा दिया जायेगा जिसमें कि कमीशन जारी करने वाले आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट किया गया हो और उस दशा में कमीशन ऐसे आदेश के उपबन्धों के अनुसार लौटाया जायेगा।

(2) कमीशन और उसके साथ वाली विवरणी और उसके अधीन लिया गया साक्ष्य, नियम 46 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होंगे।

46. कब अभिसाक्ष्य साक्ष्य में पढ़े जा सकेंगे.— कमीशन के अधीन लिया गया साक्ष्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उस पक्षकार की सहमति के बिना जिसके कि विरुद्ध वह दिया गया है, उस दशा के सिवाय ग्रहण नहीं किया जायेगा, जिसमें कि —

(क) वह व्यक्ति जिसने साक्ष्य दिया है, न्यायालय की अधिकारिता के परे है, या उसकी मृत्यु हो गयी है या बीमारी या अंगशैथिल्य के कारण वैयक्तिक रूप से परीक्षा किए जाने के लिये उपस्थित होने में असमर्थ है या राजस्व न्यायालय में स्वीय उपसंजाति से छूट पाया हुआ है, या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में का ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में राजस्व न्यायालय की राय है कि वह लोक सेवा को अवरुद्ध किये बिना उपस्थित नहीं हो सकता; या

(ख) राजस्व न्यायालय खंड (क) में वर्णित परिस्थितियों में से किसी के भी साबित किये जाने से अभिमुक्ति स्वविवेकानुसार दे देता है और किसी व्यक्ति के साक्ष्य को कार्यवाहियों में साक्ष्य के तौर पर पढ़ा जाना, इस सबूत के होते हुए भी कि कमीशन के माध्यम द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने का हेतुक उसके ग्रहण किए जाने के समय जाता रहा है, प्राधिकृत कर देता है।

47. कमीशन के व्यय.— राजस्व न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशियां, जैसी कि वह कमीशन के व्ययों के लिये युक्तियुक्त समझे, ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा नियत किया जाए, उस पक्षकार द्वारा भुगतान की जाय जिसके कहे जाने पर या जिसके कि फायदे के लिये कमीशन जारी किया गया है।

48. कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की उपस्थिति और परीक्षा.— (1) साक्षियों को समन करने, साक्षियों की उपस्थिति और साक्षियों के परीक्षा संबंधी और साक्षियों के पारिश्रमिक तथा उन पर अधिरोपित की जाने वाली शास्तियों सम्बन्धी संहिता तथा इन नियमों के भाग तीन के उपबन्ध उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनसे साक्ष्य देने की या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा इस भाग के अधीन की गई है और कमिश्नर के बारे में इस नियम के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि वह राजस्व न्यायालय है:

परंतु जब कमिश्नर एक राजस्व न्यायालय नहीं है वहां वह शास्तियां अधिरोपित के लिए सक्षम नहीं होगा; किंतु ऐसे कमिश्नर के आवेदन पर ऐसी शास्तियां, उस राजस्व न्यायालय के द्वारा, जिसके द्वारा कमीशन जारी किया गया था, अधिरोपित की जा सकेंगी।

(2) कमिश्नर कोई ऐसी आदेशिका जारी करने के लिये, जिसे वह साक्षी के नाम या विरुद्ध जारी करना आवश्यक पाये, क्लैक्टर से निम्न स्तर के ऐसे किसी राजस्व न्यायालय से, जिसकी कि अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर साक्षी निवास करता है, आवेदन कर सकेगा और ऐसा राजस्व न्यायालय, स्वविवेकानुसार, ऐसी आदेशिका जारी कर सकेगा जैसी कि वह युक्तियुक्त तथा उचित समझे।

49. कमिश्नर के समक्ष पक्षकारों की उपसंजाति.— (1) जहां इन नियमों के अधीन कमीशन निकाला गया है, राजस्व न्यायालय निदेश देगा कि कार्यवाही के पक्षकारगण कमिश्नर के समक्ष स्वयं या उनके मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं या विधि व्यवसायियों के माध्यम से उपसंजात हों।

(2) जहां सभी पक्षकार या उनमें से कोई इस प्रकार उपसंजात न हो, वहां कमिश्नर उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकेगा।

### भाग पांच

#### आदेश

50. सुनवाई का अवसर.— राजस्व न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को अहितकारी कोई अंतिम आदेश उसे सुने जाने का अवसर दिए बिना और यदि वह वैसी इच्छा करे, उसे सुने बिना पारित नहीं किया जाएगा तथा जहाँ दो पक्षकारों में परस्पर विरोधी अधिकारों एवं हितों का संबंध हो, उन दोनों को ऐसा अवसर दिया जाएगा।

51. अंतिम आदेश पारित करना.— (1) राजस्व न्यायालय द्वारा मामले में अंतिम आदेश स्वयं अभिलिखित किया जाएगा।

(2) राजस्व न्यायालय द्वारा राजस्व मामले में आदेश पारित करने के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :-

(क) तर्कों को सुनने के पश्चात् आदेश पारित किए जाने के लिए एक निश्चित दिनांक, नियत की जाएगी तथा आदेशिका पत्र पर पक्षकारों या अभिभाषक के हस्ताक्षर, नियत किए गए दिनांक की उन्हें सूचना मिल चुकने की पुष्टि में, लिए जाएंगे; और

(ख) इस प्रकार नियत किए गए दिनांक पर आदेश प्रदान किया जाएगा। यदि पक्षकार या अभिभाषक उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति अभिलिखित की जाएगी। यदि वे अनुपस्थित हैं तो आदेशपत्र में आदेश के दिनांक की उन्हें सूचना दी गई होने पर भी उनकी अनुपस्थिति का संकेत होना चाहिए। ऐसे प्रकरण में पक्षकारों को आदेश की कोई अतिरिक्त संसूचना आवश्यक नहीं होगी। अपील या पुनरीक्षण के मामले में, एक प्रति सामान्य रूप से मूल न्यायालय को सूचना हेतु भेजी जाएगी।

(3) नियत दिनांक को आदेश पारित किया जाएगा। यदि, तथापि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हो तो अगली दिनांक नियत की जाएगी जो पंद्रह दिवस के पश्चात् की नहीं होगी। प्रकरण के पक्षकार इसे टीप कर सकेंगे और इस प्रकार नियत आगामी दिनांक को उपस्थित होंगे।

**52. मूल आदेश की अंतर्वस्तु.-** (1) राजस्व न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक मूल आदेश में होगा,-

(क) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण;

(ख) अवधारण के लिये बिन्दु;

(ग) प्रत्येक अवधारणीय बिन्दु पर निष्कर्ष और उसके आधार; और

(घ) मामले का विनिश्चय।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, राजस्व न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में संक्षिप्त आदेश पारित कर सकेगा:-

(क) परिसीमा या अधिकारिता के अभाव के आधारों पर आवेदन का निरस्त किया जाना;

(ख) अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज किया जाना;

(ग) अविवादित मामले में विनिश्चय;

(घ) किसी मामले में किसी अंतर्वर्ती आवेदन पर विनिश्चय; या

(ङ) किसी मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाना।

## भाग छह

### कुर्की

**53. बकायादार के कब्जे में की ऐसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की जो कृषि उपज से भिन्न है.-** (1) जहां बकायादार के कब्जे में की कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज से भिन्न जंगम सम्पत्ति है, वहाँ कुर्की वास्तविक अभिग्रहण के द्वारा की जायेगी और कुर्की करने वाला अधिकारी उस सम्पत्ति को स्वयं अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थों में से किसी की अभिरक्षा में रखेगा और उसकी सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) जब अधिगृहीत सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या जब उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसके मूल्य से ज्यादा होना सम्भाव्य है, तब कुर्की करने वाला अधिकारी उसका तुरन्त ही विक्रय कर सकेगा।

(3) जब कुर्क की गई सम्पत्ति पशु-धन, कृषि उपकरण या अन्य ऐसी वस्तुएँ हैं जो सुविधापूर्वक हटाई नहीं जा सकती और कुर्की करने वाले अधिकारी उपनियम (2) के अधीन कार्य नहीं करता है, तो वह बकायादार की या ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के कहने पर उस सम्पत्ति को उस ग्राम में या उस स्थान पर, जहाँ कि वह कुर्क की गई है -

(क) बकायादार के, या उस स्थान के कांजी हाउस के रखवाले के, यदि कोई हों, भारसाधन में छोड़ सकेगा, या

(ख) ऐसी सम्पत्ति में हितबद्ध होने का दावा करने वाले व्यक्ति के या किसी ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के भारसाधन में छोड़ सकेगा जो ऐसी सम्पत्ति को रखने का जिम्मा लेने के लिए तैयार हो। ऐसे व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति के संभावित मूल्य के बराबर रकम का, एक या अधिक प्रतिभुओं सहित, इस आशय का बन्धपत्र लिखकर देना होगा कि वह ऐसी सम्पत्ति की उचित देखभाल करेगा और मांग की जाने पर उस सम्पत्ति को पेश कर देगा।

(4) कुर्की करने वाला अधिकारी कुर्क की गई सम्पत्ति की सूची बनायेगा और उस सूची पर उस व्यक्ति की, जिसकी कि अभिरक्षा में वह सम्पत्ति छोड़ी गई है, अभिस्वीकृति और यदि सम्भव है, तो बकायादार की और कम से कम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अभिस्वीकृति, उस सूची के सही होने के अनुप्रमाणन के तौर पर अभिप्राप्त करेगा। यदि कुर्क की गई सम्पत्ति में पशुधन तथा अन्य वस्तुएँ दोनों ही सम्मिलित हैं, तो पशुधन की एक पृथक् सूची भी उसी प्रकार तैयार की जायेगी और अनुप्रमाणित की जायेगी।

**54. कृषि उपज की कुर्की.-** (1) जहाँ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज है, वहाँ कुर्की के वारण्ट की एक प्रति-

(क) उस दशा में जब, ऐसी उपज उगती फसल है, उस भूमि पर, जिसमें ऐसी फसल उगी है, या

(ख) उस दशा में, जब ऐसी उपज काटी जा चुकी है, या इकट्टी की जा चुकी है, खलिहान में या अनाज गहाने के स्थान में या तद्रूप स्थान में या चारे के ढेर पर, जिस पर या जिसमें वह निक्षिप्त की गई है;

लगाकर और एक अन्य प्रति उस गृह के, जिसमें कि बकायादार मामूली तौर से निवास करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर या यदि कोई ऐसा गृह न हो, तो उस गृह के, जिसमें कि वह कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है या जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वहाँ वह अंतिम बार निवास करता था या कारबार करता था या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता था, बाहरी द्वार पर या उसके किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर कुर्की की जायेगी, और तदुपरि यह समझा जायेगा कि उपज राजस्व न्यायालय के कब्जे में आ गई है।

(2) कुर्की करने वाला अधिकारी कृषि उपज की अभिरक्षा के लिये और साथ ही उपज की रखवाली करने, कटाई करने, उसे इकट्ठा करने और उसे भण्डार में रखने के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा जैसा कि वह पर्याप्त समझे और उसे पकाने या उसके परिरक्षण के लिये आवश्यक कोई अन्य कार्य करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन उपगत खर्च बकायादार द्वारा वहन किये जायेंगे।

(4) उगती फसल के रूप में कुर्क की गई उपज के बारे में केवल इस कारण कि वह काट कर धरती से अलग कर ली गई है यह न समझा जाएगा कि वह कुर्की के अधीन नहीं रह गई है और न उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी पुनः कुर्की करना अपेक्षित है।

(5) जहाँ उगती फसल की कुर्की के लिए आदेश फसल के काटे जाने या इकट्ठे किए जाने को योग्य होने की संभाव्यता के बहुत समय पूर्व दिया गया है, वहाँ राजस्व न्यायालय आदेश का निष्पादन ऐसे समय के लिए निलम्बित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और कुर्की के आदेश के निष्पादन के लम्बित रहने तक फसल के हटाने को प्रतिषिद्ध करने वाला अतिरिक्त आदेश स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

**55. कुर्क सम्पत्ति पर उपगत व्यय.—** (1) जहाँ कुर्क किया गया पशुधन बकायादार के भारसाधन में नहीं छोड़ा गया है, वहाँ उसे खिलाने-पिलाने के व्यय ऐसी दर से प्रभारित किए जायेंगे जो राजस्व न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, नियत करे।

(2) जहाँ कुर्क की गई सम्पत्ति कोई ऐसी जंगम सम्पत्ति है जो कृषि-उपज या पशुधन से भिन्न है और वह बकायादार के भारसाधन में नहीं छोड़ी गई है, वहाँ उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये व्यय ऐसी दर से प्रभारित किया जायेगा जो राजस्व न्यायालय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, नियत करे।

(3) उपनियम (1) या (2) के अधीन उपगत खर्च सम्पत्ति के विक्रय आगम पर प्रथम भार होंगे।

**56. ऋण, अंश, बैंक खाते, बैंक लॉकर और अन्य सम्पत्ति की कुर्की जो बकायादार के कब्जे में नहीं है.—** (1) ऐसे ऋण, जो परक्राम्य लिखत के द्वारा प्रतिभूत नहीं है की कुर्की लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उस ऋण चुकाने से, न्यायालय के आगामी आदेश तक प्रतिषिद्ध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जायेगी।

(2) किसी निगम की पूंजी में के अंश की कुर्की उस व्यक्ति को, जिसके नाम में अंश उस समय दर्ज है, ऐसे अंश को अंतरित करने से या उस पर के किसी लाभांश को प्राप्त करने से प्रतिषिद्ध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जायेगी।

(3) बैंक के खाते तथा बैंक के लॉकर की कुर्की बैंक मैनेजर को ऐसे बैंक खाते से धन का आहरण या अंतरण करने या ऐसे बैंक लॉकर को खोलने की अनुमति राजस्व न्यायालय के आदेश के बिना देने से प्रतिषिद्ध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जायेगी।

(4) किसी न्यायालय में निक्षिप्त या उसकी अभिरक्षा में की संपत्ति के सिवाय किसी अन्य ऐसी जंगम संपत्ति, जो बकायादार के कब्जे में नहीं है, की कुर्की उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उसे बकायादार को देने से प्रतिषिद्ध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जायेगी।

(5) उपनियम (1), (2), (3) या (4) के अधीन पारित किए गए आदेश की प्रति राजस्व न्यायालय के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी और अन्य प्रति ऋण की दशा में ऋणी को, अंश की दशा में निगम के उचित अधिकारी को, बैंक खाते या बैंक लॉकर की दशा में बैंक के प्रबंधक को और पूर्वोक्त को छोड़कर अन्य जंगम संपत्ति की दशा में उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(6) उपनियम (1) के अधीन प्रतिषिद्ध ऋणी अपने ऋण की रकम राजस्व न्यायालय में जमा कर सकेगा और ऐसे जमा करने से वह वैसे ही प्रभावी तौर पर उन्मोचित हो जाएगा, जैसे वह उसे पाने के अधिकार पक्षकार को संदाय करने से उन्मोचित हो जाता।

**57. गारनिशी को सूचना.—** (1) राजस्व न्यायालय (बंधक या प्रभार द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न) ऐसे ऋण की दशा में, जिसकी नियम 56 के अधीन कुर्की की गई है, कुर्की कराने वाले लेनदार के आवेदन पर ऐसे ऋण का संदाय करने के दायित्वाधीन गारनिशी को उपनियम (2) के अनुसार सूचना दे सकेगा।

(2) ऐसे नोटिस द्वारा गारनिशी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह बकायादार को उसके द्वारा शोध्य ऋण या उसका इतना भाग जितना वसूली और निष्पादन के खर्चों को चुकाने के लिए पर्याप्त हो, शासकीय खजाने में या उस संगठन के, जिसकी प्रेरणा से कुर्की की गई है, बैंक खाते में जैसा कि राजस्व न्यायालय निर्दिष्ट करे या उपसंजात हो तथा कारण दर्शित करे कि उसे वैसा क्यों नहीं करना चाहिए।

**58. गारनिशी के विरुद्ध आदेश.—** जहाँ गारनिशी बकायादार को उसके द्वारा शोध्य रकम या उसका इतना भाग जितना वसूली की तुष्टि और निष्पादन के खर्चों को चुकाने के लिए पर्याप्त है, तुरंत यथास्थिति शासकीय खजाने में या बैंक खाते में जमा नहीं करता है और उपसंजात नहीं होता है तथा सूचना के अनुसरण में कारण दर्शित नहीं करता है, वहाँ राजस्व न्यायालय गारनिशी को आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे और ऐसे आदेश पर निष्पादन इस प्रकार किया जा सकेगा, मानो ऐसा आदेश उसके विरुद्ध वसूली हो।

**59. विवादग्रस्त प्रश्नों का आदेश.—** जहाँ गारनिशी दायित्व के बारे में विवाद करता है, वहाँ राजस्व न्यायालय जांच उपरांत ऐसा आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे।

**60. जहाँ ऋण अन्य व्यक्ति का हो वहाँ प्रक्रिया.—** जहाँ यह सुझाया जाता है या संभाव्य प्रतीत होता है कि ऋण किसी अन्य व्यक्ति का है या ऐसे ऋण पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार या प्रभार अथवा उसमें अन्य हित है, वहाँ राजस्व न्यायालय ऐसे अन्य व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि वह उपसंजात हो और ऐसे ऋण के बारे में अपने दावे की प्रकृति और विशिष्टियाँ, यदि कोई हों, कथित करे और उसे साबित करे।

**61. अन्य व्यक्ति के बारे में आदेश.—** ऐसे अन्य व्यक्ति और किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें तत्पश्चात् उपसंजात होने का आदेश दिया जाए, सुनने के पश्चात् या जहाँ ऐसा अन्य या दूसरे व्यक्ति ऐसा आदेश दिए जाने पर उपसंजात नहीं होते हैं, वहाँ राजस्व न्यायालय—

(क) ऐसा आदेश कर सकेगा जो इसमें इसके पूर्व उपबधित है; या

(ख) ऐसे अन्य अथवा दूसरे व्यक्तियों के, यथास्थिति, धारणाधिकार, प्रभार या हित के संबंध में ऐसे निबंधनों पर, यदि कोई हों, ऐसे अन्य आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक और उचित समझे।

**62. गारनिशी द्वारा किया गया संदाय विधिमान्य उन्मोचन होगा.—** नियम 57 के अधीन सूचना पर या पूर्वोक्त किसी आदेश के अधीन गारनिशी द्वारा किया गया संदाय बकायादार और पूर्वोक्त रूप से उपसंजात होने के लिए आदिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उस रकम के लिए जो संदत्त की गई हो या उद्गृहीत की गई हो, उसका विधिमान्य उन्मोचन होगा भले ही नियम 57 के अधीन बकाया की वसूली या कार्यवाहियां बाद में अपास्त कर दी जाती हैं या उलट दी जाती हैं।

**63. खर्चे.—** नियम 57 के अधीन की गई किसी कार्यवाही में उपगत या उसके आनुषंगिक खर्चे राजस्व न्यायालय के विवेकानुसार बकायादार से वसूल किए जाएंगे।

**64. जंगम सम्पत्ति में अंश की कुर्की.—** जहाँ कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति ऐसी जंगम सम्पत्ति में बकायादार के अंश या हित के रूप में है, जो सहस्वामियों के रूप में उसकी और किसी अन्य की है, वहाँ कुर्की बकायादार को अपने अंश या हित का अन्तरण करने से या उसे किसी भी रूप में भारित करने से प्रतिषिद्ध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी।

**65. कर्मचारियों के वेतन या भत्तों की कुर्की.—** (1) जहाँ कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी कर्मचारी का वेतन या भत्ता है, वहाँ राजस्व न्यायालय उस दशा में, जिसमें उस कर्मचारी का संवितरक अधिकारी उन स्थानीय सीमाओं के भीतर है, जिन पर संहिता का विस्तार है, ऐसे संवितरक अधिकारी को आदेश दे सकेगा कि वह रकम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 1) की धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे वेतन या भत्तों में से या तो एक संदाय में या मासिक किश्तों में विधारित की जाएगी और सरकारी खजाने में या उस संगठन के, जिसकी प्रेरणा से कुर्की की गई है, बैंक खाते में जमा की जाएगी जैसा कि राजस्व न्यायालय निर्दिष्ट करे।

(2) ऐसा संवितरक अधिकारी इस आदेश की सूचना हो जाने पर यथास्थिति आदेश के अधीन शोध रकम या मासिक किश्तें उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट रीति में जमा करेगा।

(3) जहाँ ऐसे वेतन या भत्तों का कुर्की योग्य भाग कुर्की के किसी पूर्वतन और अतुष्ट आदेश के अनुसरण में पहले से ही विधारित किया जा रहा है या किसी न्यायालय के पास भेजा जा रहा है या जमा किया जा रहा है वहाँ संवितरक अधिकारी पश्चात्वर्ती आदेश को तत्काल उस राजस्व न्यायालय को जिसने उसे निकाला है, विद्यमान कुर्की की सभी विशिष्टियों के पूरे कथन के सहित लौटा देगा।

**66. भागीदारी की सम्पत्ति की कुर्की.—** (1) इस नियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भागीदारी की सम्पत्ति उस फर्म के विरुद्ध या उस फर्म के भागीदारों के विरुद्ध उनकी उस हैसियत में की जाने वसूली से भिन्न वसूली के निष्पादन में कुर्की नहीं की जाएगी और न उसका विक्रय किया जाएगा।

(2) अन्य भागीदार या भागीदारों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे भारत हित का मोचन किसी भी समय कर लें या विक्रय के लिए निर्देशित किए जाने की दशा में उसे क्रय कर लें।

**67. फर्म के विरुद्ध वसूली का निष्पादन.—** (1) जहाँ किसी फर्म के विरुद्ध वसूली का आदेश पारित किया गया है वहाँ वसूली—

(क) भागीदारी की किसी सम्पत्ति से;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर समन द्वारा भागीदार के रूप में व्यक्तिगत तामील की गई है और जो उपसंजात होने में असफल रहा है;

की जा सकेगी:

परंतु इस उपनियम की कोई भी बात भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 30 के उपबंधों को परिसीमित करने वाली या उन पर अन्यथा प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) भागीदारी की किसी सम्पत्ति के विरुद्ध आदेश को छोड़कर, किसी फर्म के विरुद्ध वसूली से संबंधित आदेश उस फर्म में के किसी भागीदार को तभी निर्मुक्त करेगा, दायी बनाएगा, या उनमें के किसी भागीदार पर प्रभाव डालेगा जब कि उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन की तामील उस पर हो चुकी हो।

**68. परक्राम्य लिखतों की कुर्की.—** जहाँ सम्पत्ति ऐसी परक्राम्य लिखत है, जो किसी अन्य न्यायालय में निक्षिप्त नहीं है और न लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहाँ कुर्की वास्तविक अभिग्रहण द्वारा की जाएगी और लिखत राजस्व न्यायालय में लाई जाएगी और आगे राजस्व न्यायालय जो आदेश करे, उनके अधीन धारण की जाएगी।

**69. परक्राम्य लिखतों को लागू होना.—** नियम 57 से 63 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के उपबंध नियम 68 के अधीन कुर्क की गई परक्राम्य लिखतों के संबंध में जहाँ तक हो सके वैसे ही लागू होंगे, जैसे कि वे ऋणों के संबंध में लागू होते हैं।

**70. न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में की सम्पत्ति की कुर्की.—** जहाँ कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहाँ कुर्की ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह लिखित अनुरोध भेज कर की जाएगी कि ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय होने वाला ब्याज या लाभांश उस राजस्व न्यायालय के, जिसने कि वह आदेश निकाला है, आगे किए जाने वाले आदेशों के अधीन धारण की जाए।

**71. डिक्रियों की कुर्की.—** (1) जहाँ कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति या तो धन के संदाय की या बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय की डिक्री है, वहाँ कुर्की राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसी डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को यह अनुरोध भेज कर की जाएगी कि वह अपनी डिक्री का निष्पादन तब तक के लिए रोक दे जब तक कि—

(क) राजस्व न्यायालय सूचना को रद्द न कर दे; या

(ख) डिक्रीधारी राजस्व न्यायालय की लिखित पूर्व सहमति से डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को यह आवेदन न करे कि वह कुर्क की गयी डिक्री का निष्पादन करे।



(2) जहाँ डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जाने वाली संपत्ति उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की डिक्री से भिन्न डिक्री है, वहाँ राजस्व न्यायालय द्वारा कुर्की -

(क) डिक्री होल्डर को यह सूचना भेजकर कि वह उस डिक्री का, जिसकी कुर्की चाही गई है, निष्पादन करने से तब तक प्रविरत रहे; और

(ख) डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को यह लिखित अनुरोध भेजकर कि वह डिक्री का निष्पादन करने से तब तक प्रविरत रहे जब तक कि ऐसी सूचना को राजस्व न्यायालय रद्द न कर दे;

की जाएगी।

(3) इस नियम के अधीन कुर्की का आदेश निकालने वाला राजस्व न्यायालय निर्णीत ऋणी को ऐसे आदेश की सूचना देगा।

**72. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की.-** (1) जहाँ सम्पत्ति स्थावर है, वहाँ कुर्की ऐसे आदेश द्वारा की जाएगी, जो सम्पत्ति को किसी प्रकार से अंतरित या भारित करने से बकायादार को और ऐसे अंतरण या भार से कोई भी फायदा उठाने से सभी व्यक्तियों को प्रतिषिद्ध करता है।

(2) वह आदेश ऐसी सम्पत्ति में के या उसके पार्श्वस्थ किसी स्थान पर डोंडी पिटवाकर या अन्य रूढ़िगत रीति से उद्घोषित किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति सम्पत्ति के किसी सहज दृश्य भाग पर और तब राजस्व न्यायालय के कार्यालय के सूचना पटल पर लगाई जाएगी।

(3) यह आदेश ऐसे व्यक्ति जिसने सदभावनापूर्वक मूल्य भुगतान कर क्रय किया है, के विरुद्ध उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को संपत्ति पर आदेश की प्रति लगाई जाएगी एवं बकायादार के अन्य समस्त अंतरितियों के विरुद्ध जिस दिनांक को ऐसा आदेश किया गया, उस दिनांक से प्रभावशील होगा।

**73. अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए दावे का निराकरण.-** (1) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो इस संहिता के उपबन्धों के अधीन कुर्क की गई है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की गई है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई दावा खड़ा किया जाता है, तो राजस्व न्यायालय उस दावे के सम्बन्ध में जांच करेगा और उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

(2) वह व्यक्ति, जिसके कि विरुद्ध उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश किया गया हो, उस अधिकार को स्थापित करने के लिये जिसका कि वह उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो कि कुर्क की गई हो या जिसके कि विरुद्ध कार्यवाही की गई हो, दावा करता है, ऐसे आदेश की दिनांक के एक वर्ष के भीतर वाद संस्थित कर सकेगा; किन्तु ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अध्यक्षीन रहते हुए, वह आदेश निश्चायक होगा।

**भाग सात****कुर्क की गई सम्पत्ति के लिए रिसीवर की नियुक्ति**

74. रिसीवर की नियुक्ति.— (1) जहाँ राजस्व न्यायालय को यह न्यायसंगत और सुविधापूर्ण प्रतीत होता है वहाँ राजस्व न्यायालय आदेश द्वारा—

- (क) किसी सम्पत्ति का जो कुर्क है या उसके आदेश द्वारा कुर्क की गई है, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा;
- (ख) ऐसी सम्पत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा या अभिरक्षा हटा सकेगा;
- (ग) ऐसी सम्पत्ति रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबंध के सुपुर्द कर सकेगा; तथा
- (घ) सम्पत्ति के प्रापण, प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार उसके भाटकों और लाभों के संग्रहण, ऐसे भाटकों और लाभों के उपयोजन और व्ययन तथा दस्तावेजों के निष्पादन के लिए सभी ऐसी शक्तियाँ जो स्वयं स्वामी की हैं, या उन शक्तियों में से ऐसी शक्ति जो राजस्व न्यायालय ठीक समझे, रिसीवर को प्रदत्त कर सकेगा।

75. पारिश्रमिक.— राजस्व न्यायालय रिसीवर की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली रकम को साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत कर सकेगा जो सम्पत्ति पर प्रभारित की जाएगी।

76. कर्तव्य.— इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रत्येक रिसीवर—

- (क) सम्पत्ति की बाबत वह जो कुछ प्राप्त करेगा उसका सम्यक् रूप से लेखा देने के लिए ऐसी प्रतिभूति (यदि कोई हो) देगा जो राजस्व न्यायालय ठीक समझे;
- (ख) उसके लेखाओं को ऐसी अवधियों पर और ऐसे प्ररूप में देगा जो राजस्व न्यायालय निर्दिष्ट करे;
- (ग) उसके द्वारा शोध्य रकम ऐसे संदत्त करेगा जो राजस्व न्यायालय निर्दिष्ट करे; तथा
- (घ) उसके द्वारा जानबूझकर किए गए व्यक्तिक्रम से या उसकी घोर उपेक्षा से सम्पत्ति को हुई किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगा।

77. रिसीवर के कर्तव्यों को प्रवर्तित कराना.—जहाँ रिसीवर—

- (क) उससे ऐसी शोध्य रकम देने में असफल रहता है जैसा राजस्व न्यायालय निर्दिष्ट करे; अथवा
- (ख) उसके द्वारा जानबूझकर किए गए व्यक्तिक्रम या उसकी घोर उपेक्षा से सम्पत्ति की हानि होने देता है;

वहाँ राजस्व न्यायालय उससे ऐसी रकम जो उससे शोध्य पाई जाती है या उसके द्वारा कारित किसी हानि के लिए शोध्य है, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल कर सकेगा।

**भाग आठ****विक्रय****क-विक्रय साधारणतः**

**78. विक्रय किसके द्वारा संचालित किया जाएगा.**— प्रत्येक विक्रय इस सम्बन्ध में साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित किया जायेगा और वह लोक नीलाम द्वारा किया जायेगा।

**79. विक्रय की उद्घोषणा.**— (1) राजस्व न्यायालय आशयित विक्रय की उद्घोषणा करवायेगा जिसमें विक्रय का समय तथा स्थान कथित होगा और उसमें निम्नलिखित बातें यथासम्भव उचित रूप से और यथार्थता से विनिर्दिष्ट होंगी—

- (क) वह सम्पत्ति जो बेची जानी है या जहां बकाया की तुष्टि के लिए संपत्ति का कोई अंश पर्याप्त होगा, ऐसा अंश;
- (ख) जहां वह सम्पत्ति, जो बेची जाना है, सरकार को राजस्व देने वाली किसी भूमि में का कोई हिस्सा है, वहां उस भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व;
- (ग) वह रकम, जिसकी वसूली के लिये विक्रय आदिष्ट किया गया है;
- (घ) प्रत्येक अन्य बात जिसके बारे में राजस्व न्यायालय का विचार हो कि सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य का निर्णय करने के लिये उसकी जानकारी क्रेता के लिये तात्विक है।

(2) राजस्व न्यायालय, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह बकायादार को समन करेगा और विक्रय उद्घोषणा में सम्मिलित किए जाने वाले विषयों के संबंध में उसकी परीक्षा करेगा।

**80. रकम का भुगतान या निक्षेप कैसे किया जाएगा.**— इस भाग में राजस्व न्यायालय या विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या विक्रय का संचालन करने वाले व्यक्ति को कोई भुगतान या निक्षेप देने या भुगतान करने का अर्थ ऐसी रकम, जैसा कि राजस्व न्यायालय जिसने विक्रय आदेशित किया है, निर्दिष्ट करे—

- (क) सरकारी खजाने में;
- (ख) ऐसे संगठन के, जिसके शोध्यों की वसूली की जा रही है, बैंक खाते में; या
- (ग) बकायादार के, जिसे शोध्य रकम और खर्चे घटाने के बाद शेष रकम का भुगतान किया जाना है, बैंक खाते में;

जमा करने से लगाया जाएगा।

**81. विक्रय का दिन और परिसीमा.**— नियम 53 के उपनियम (2) में वर्णित किस्म की सम्पत्ति की दशा में के सिवाय, एतद्दीन, कोई भी विक्रय, बकायादार की लिखित सहमति के बिना—

- (क) रविवार या किसी शासकीय अवकाश के दिन या किसी ऐसे दिन, जो उस क्षेत्र के लिये, जिसमें विक्रय किया जाना हो, स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया हो, नहीं होगा; और

(ख) तब तक न होगा जब तक कि उस दिनांक से, जिसको कि उसकी उद्घोषणा की गई थी, कम से कम पंद्रह दिन का अवसान न हो गया हो।

**82. विक्रय का स्थगन या रोकना जाना.**— (1) राजस्व न्यायालय, एतद्धीन, विक्रय को किसी भी विनिर्दिष्ट दिन और घण्टे के लिये स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा और ऐसे किसी विक्रय का संचालन करने वाला अधिकारी स्थगन के अपने कारणों को अभिलिखित करते हुए विक्रय को स्वविवेकानुसार स्थगित कर सकेगा:

परन्तु जहां राजस्व न्यायालय का आदेश समय पर अभिप्राप्त किया जा सकता है, वहां कोई भी ऐसा स्थगन ऐसे आदेश के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) जहां विक्रय पंद्रह दिन से अधिक की कालावधि के लिये उपनियम (1) के अधीन स्थगित किया जाता है, वहां तब के सिवाय जब कि बकायादार उसका अधित्यजन करने के लिये अपनी सम्मति दे दे, नई उद्घोषणा की जायेगी।

(3) यदि लॉट के लिये बोली के समाप्त होने से पहले ही शोध्य रकम और खर्च विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी को निविदत्त कर दिये जाते हैं या उसको समाधानप्रद रूप में यह सबूत दे दिया जाता है कि ऐसे शोध्यों की रकम और खर्च का उस राजस्व न्यायालय को भुगतान किया जा चुका है जिसने विक्रय का आदेश दिया था तो ऐसा प्रत्येक विक्रय रोक दिया जायेगा।

**83. व्यतिक्रम करने वाला क्रेता पुनः विक्रय में हुई हानि के लिए उत्तरदायी होगा.**— क्रेता के व्यतिक्रम के कारण होने वाले पुनर्विक्रय में जो कमी कीमत में हो जाये वह व्यतिक्रम करने वाले क्रेता से उस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों कि वह भू-राजस्व बकाया हो।

**84. बंधकदार द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना विक्रय में बोली का न लगाया जाना.**— (1) स्थावर सम्पत्ति का कोई बंधकदार विक्रीत सम्पत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा या उसे कय नहीं करेगा, जब तक कि राजस्व न्यायालय उसे उस सम्पत्ति के लिए बोली लगाने या उसे कय करने की अनुमति न दे।

(2) यदि ऐसे बंधकदार को बोली लगाने की अनुमति दी जाती है तो राजस्व न्यायालय बंधकदार के संबंध में कोई आरक्षित कीमत नियत करेगा और जब तक कि राजस्व न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे आरक्षित कीमत—

(क) यदि सम्पत्ति का विक्रय एक लॉट में किया जाता है तो बंधक के संबंध में मूलधन, ब्याज और खर्च मद्दे उस समय शोध्य रकम से कम नहीं होगी; और

(ख) किसी सम्पत्ति का विक्रय लॉटों में किए जाने की दशा में उतनी राशि से कम नहीं होगी, जितनी प्रत्येक लॉट के संबंध में राजस्व न्यायालय को यह प्रतीत हो कि वह बंधक पर मूलधन, ब्याज और खर्च मद्दे उस समय शोध्य रकम के संबंध में उस लॉट के लिए उचित मानी जा सकती है।

**85. अधिकारियों द्वारा बोली लगाने या कय करने पर निर्बन्धन.**— कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करना हो, विक्रय की गई सम्पत्ति में के किसी हित के लिए न तो प्रत्यक्ष और न अप्रत्यक्ष रूप से बोली लगाएगा और न उसे अर्जित करेगा और न अर्जित करने का प्रयत्न करेगा।

### ख-जंगम सम्पत्ति का विक्रय

86. कृषि उपज का विक्रय.— (1) जहां बेची जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज है, वहां विक्रय—

(क) यदि ऐसी उपज उगती फसल है, तो उस भूमि पर या उसके समीप किया जायेगा जिसमें कि ऐसी फसल उगी है; या

(ख) यदि ऐसी उपज काटी जा चुकी है या इकट्ठी की जा चुकी है, तो खलिहान में या अनाज गहाने के स्थान में या तदरूप किसी स्थान में या चारे के ढेर पर या उसके समीप किया जायेगा :

परन्तु राजस्व न्यायालय की यह राय हो कि वैसा करने से उपज अधिक फायदे पर बेची जा सकती है तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि विक्रय लोक समागम के निकटतम स्थान पर किया जाये।

(2) जहां, उपज को विक्रय के लिये रखे जाने पर —

(क) विक्रय करने वाले व्यक्ति के अनुमान से उसके लिये उचित कीमत की बोली नहीं लगाई है; और

(ख) उस उपज का स्वामी या उसकी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति विक्रय को आगामी दिन तक या यदि विक्रय के स्थान पर कोई मण्डी लगती है, तो अगली मण्डी लगने के दिन के लिये स्थगित करने के लिये आवेदन करता है;

वहां विक्रय तदनुसार स्थगित कर दिया जायेगा और तत्पश्चात् उपज के लिये चाहे कोई भी कीमत लगे वह पूरा कर दिया जायेगा।

87. उगती फसलों के संबंध में विशेष उपबंध.— (1) जहां बेची जाने वाली सम्पत्ति उगती फसल है और फसल अपनी प्रकृति से ऐसी है जो भंडार में रखने योग्य है किन्तु उसे उस समय तक भण्डार में नहीं रखा गया है, वहां विक्रय का दिन इस प्रकार नियत किया जायेगा कि उस दिन के आने से पहले वह भण्डार में रखने योग्य हो जाए और विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक फसल काट नहीं ली गयी है या इकट्ठी नहीं कर ली गयी है और भण्डार में रखने के योग्य नहीं हो गयी है।

(2) जहां फसल अपनी प्रकृति से ऐसी नहीं है जो भण्डार में रखने योग्य है या जहां राजस्व न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उस फसल को अपरिपक्व अवस्था में और अधिक फायदे के साथ बेचा जा सकता है, वहां उसको काटी जाने तथा इकट्ठी की जाने से पहले बेचा जा सकेगा, और क्रेता भूमि पर प्रवेश करने और उसकी देखभाल करने तथा उसे काटने या इकट्ठी करने के प्रयोजन से समस्त आवश्यक बातें करने का हकदार होगा।

88. परक्राम्य लिखतें और निगमों के अंश.— जहां विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति परक्राम्य लिखत या निगम अंश है, वहां राजस्व न्यायालय लोक नीलाम द्वारा विक्रय किए जाने के लिए निदेश देने के बजाए यह प्राधिकृत कर सकेगा कि ऐसी लिखत या अंश का विक्रय किसी दलाल की मारफत किया जाए।

89. लोक नीलाम द्वारा विक्रय.— (1) जहां जंगम सम्पत्ति लोक नीलाम द्वारा बेची जाती है, वहां प्रत्येक लॉट का मूल्य विक्रय के समय पर संदत्त किया जायेगा या उसके पश्चात् शीघ्र

- ही ऐसे समय पर संदाय किया जायेगा जो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति निर्दिष्ट करे जो कि विक्रय कर रहा है और संदाय में व्यतिक्रम होने पर, सम्पत्ति तत्क्षण ही फिर से बेची जायेगी।
- (2) क्रयधन का संदाय कर दिये जाने पर उसके लिये रसीद वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो कि विक्रय कर रहा है, देगा और विक्रय आत्यन्तिक हो जायेगा।
- (3) जहां बेची जाने वाली जंगम सम्पत्ति ऐसे माल में अंश है जो कि बकायादार और किसी सहस्वामी का है और दो या अधिक व्यक्ति, जिनमें से एक ऐसा सहस्वामी है, क्रमशः ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी लॉट के लिये एक सी ही, राशि की बोली लगाते हैं, वहां वह बोली उस सहस्वामी की बोली समझी जायेगी।

**90. अनियमितता विक्रय को दूषित नहीं करेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसे क्षति हुई है, वाद ला सकेगा.**— जंगम सम्पत्ति के विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई किसी अनियमितता से विक्रय दूषित नहीं होगा; किन्तु जिस किसी व्यक्ति को कोई क्षति ऐसी अनियमितता के कारण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हुई है वह उसके विरुद्ध प्रतिकर के लिये या (यदि वह अन्य व्यक्ति क्रेता है) तो उसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिये और ऐसे प्रत्युद्धरण में व्यतिक्रम होने पर प्रतिकर के लिये वाद ला सकेगा।

**91. जंगम सम्पत्ति, ऋणों और अंशों का परिदान.**— (1) जहां बेची गई सम्पत्ति ऐसी जंगम सम्पत्ति है जिसका वास्तविक अभिग्रहण कर लिया गया है, वहां वह क्रेता को परिदान की जायेगी।

(2) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति की दशा में, राजस्व न्यायालय, ऐसी सम्पत्ति को क्रेता में या जैसा निर्देश क्रेता दे, उसके अनुसार विहित करने वाला आदेश कर सकेगा और ऐसी सम्पत्ति तदनुसार निहित होगी।

(3) जहां विक्रय की गई संपत्ति ऐसा ऋण है, जो किसी परक्राम्य लिखत द्वारा प्रतिभूत नहीं है या निगम अंश है, वहां उसका परिदान राजस्व न्यायालय के ऐसे लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा—

(क) जो उस ऋण को या उस मददे किसी ब्याज को लेने से लेनदार को और उसका संदाय क्रेता को करने के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को करने से बकायादार को प्रतिषिद्ध करता है; या

(ख) जो उस व्यक्ति को, जिनके नाम वह अंश उस समय है, अंश का कोई भी अंतरण क्रेता को करने के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को करने से या उस मददे किसी भी लाभांश या ब्याज का संदाय प्राप्त करने से और उस निगम के प्रबंधक, सचिव या अन्य उचित अधिकारी को ऐसे किसी भी अंतरण के लिए अनुज्ञा या ऐसा कोई भी संदाय क्रेता को देने या करने के सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को देने या करने से प्रतिषिद्ध करता है।

### ग-स्थावर सम्पत्ति का विक्रय

92. क्रेता द्वारा निक्षेप और उसके व्यतिक्रम पर पुनर्विक्रय.— स्थावर सम्पत्ति के प्रत्येक विक्रय पर वह व्यक्ति, जिसे क्रेता होना घोषित किया गया है, अपने क्रयधन की रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी या विक्रय संचालन करने वाले अन्य व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरन्त पश्चात् देगा और ऐसा निक्षेप करने में व्यतिक्रम होने पर वह सम्पत्ति तत्क्षण फिर बेची जायेगी ।

93. क्रयधन के संदाय के लिए अवधि.— क्रयधन की संदेय पूरी रकम का क्रेता द्वारा संदाय नियम 99 के अंतर्गत विक्रय आत्यन्तिक हो जाने की दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर किया जायेगा ।

94. संदाय में व्यतिक्रम होने पर प्रक्रिया.— नियम 93 में वर्णित कालावधि के भीतर संदाय करने में व्यतिक्रम होने पर निपेक्ष, यदि राजस्व न्यायालय ठीक समझे, विक्रय के व्ययों को काटने के पश्चात् यथास्थिति सरकार को या उस संगठन को जिसके शोध्यों की वसूली की जा रही है, समपहृत किया जा सकेगा और सम्पत्ति का फिर से विक्रय किया जायेगा और उस सम्पत्ति पर या जिस राशि के लिए उसका तत्पश्चात् विक्रय किया जाए, उसके किसी भाग पर व्यतिक्रम करने वाले क्रेता के समस्त दावे समपहृत हो जायेंगे ।

95. निक्षेप करने पर विक्रय अपास्त कराने के लिए आवेदन.— (1) जहां स्थावर सम्पत्ति संहिता के अधीन बेच दी गई है वहां या तो ऐसी सम्पत्ति का स्वामी या उसमें ऐसे हक के आधार पर, जो ऐसे विक्रय के पूर्व अर्जित किया गया था, हितबद्ध कोई व्यक्ति —

(क) क्रेता को दिये जाने के लिये, क्रयधन के पांच प्रतिशत के बराबर रकम;

(ख) बकाया रकम के भुगतान मददे, विक्रय की उद्घोषणा में ऐसी रकम के रूप में विनिर्दिष्ट रकम जिसकी वसूली के लिये विक्रय का आदेश किया गया था और जिसमें से विक्रय की उद्घोषणा की तारीख के पश्चात् उस मददे चुकाई गई रकम घटा दी गई हो; और

(ग) विक्रय के खर्चें

उस विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय निक्षिप्त करने पर राजस्व न्यायालय को विक्रय अपास्त कराने के लिये आवेदन कर सकेगा ।

(2) यदि ऐसा निक्षेप विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर कर दिया जाता है; तो राजस्व न्यायालय विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति ऐसे विक्रय को अपास्त कराने के लिये नियम 96 के अधीन आवेदन करता है तो वह इस नियम के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा ।

96. विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त कराने के लिए आवेदन.—

(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसके कि हित ऐसे विक्रय द्वारा प्रभावित होते हों, उस विक्रय को विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई किसी तात्त्विक अनियमितता या कपट के आधार पर अपास्त करने के लिये राजस्व न्यायालय को आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय कर सकेगा और राजस्व न्यायालय, उस विक्रय द्वारा प्रभावित हुए व्यक्तियों को

सूचना देने के पश्चात्, विक्रय को अपास्त करने वाला आदेश पारित कर सकेगा और पुनः विक्रय के लिये आदेश दे सकेगा, किन्तु कोई भी विक्रय ऐसे आधारों पर तब तक अपास्त नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक राजस्व न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित न कर दे कि ऐसी अनियमितता या कपट के कारण उसे सारवान् क्षति हुई है।

(2) यदि इस नियम के अधीन अनुमत समय सीमा में आवेदन नहीं किया गया है, तो अनियमितता या कपट के आधार पर के समस्त दावे वर्जित होंगे।

(3) इस नियम के अधीन विक्रय को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन ऐसे किसी आधार पर ग्रहण नहीं किया जाएगा, जिसे आवेदक उस तारीख को या उससे पूर्व आधार मान सकता था जिसको कि विक्रय की उद्घोषणा तैयार की गई थी।

**97. विक्रय का इस आधार पर अपास्त कराने के लिए क्रेता द्वारा आवेदन कि उसमें बकायादार का कोई विक्रय हित नहीं था.—** किसी ऐसे मामले में के सिवाय जहां कि भूमि का विक्रय ऐसे बकाया के लिये किया गया हो जो कि भूमि पर भार बनता है, वहां क्रेता इस आधार पर कि बेची गई सम्पत्ति में बकायादार का कोई विक्रय हित नहीं था, विक्रय को अपास्त कराने के लिये राजस्व न्यायालय को आवेदन विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी भी समय कर सकेगा और राजस्व न्यायालय, सम्यक् जांच करने के पश्चात् ऐसे आवेदन पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो कि वह ठीक समझे।

**98. नई उद्घोषणा के बिना पुनर्विक्रय नहीं किया जाना.—** नियम 96 के अधीन कोई भी पुनर्विक्रय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि नियम 79 में अधिकथित किये गये अनुसार नई उद्घोषणा प्रकाशित नहीं कर दी जाती है।

**99. विक्रय कब आत्यन्तिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा.—** यदि विक्रय की तारीख से तीस दिन का अवसान हो जाने पर, नियम 95, 96 या 97 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है, या यदि ऐसा आवेदन किया गया है, और वह नामन्जूर कर दिया गया है, तो राजस्व न्यायालय विक्रय की पुष्टि करने वाला आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि कलक्टर के पास यह समझने का कारण हो कि —

(एक) इस बात के होते हुए भी कि कोई ऐसा आवेदन नहीं किया गया है; या

(दो) किसी ऐसे आवेदन में, जो किया गया हो तथा नामन्जूर कर दिया गया हो, कथित आधारों से भिन्न आधारों पर; या

(तीन) इस बात के होते हुए भी कि विक्रय की तारीख से तीस दिन की कालावधि का अवसान हो गया है,

विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो वह, ऐसे राजस्व न्यायालय द्वारा विक्रय की पुष्टि करने के आदेश पारित किये जाने के पूर्व किसी भी समय, विक्रय को अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् अपास्त कर सकेगा।

**100. विक्रय अपास्त होने पर क्रयधन का लौटाना.—** यदि किसी सम्पत्ति का विक्रय नियम 95, 96, 97 या 99 के अधीन अपास्त कर दिया जाता है, तो क्रेता द्वारा निक्षिप्त क्रयधन की रकम उसे लौटा दी जायेगी।



### घ-क्रय का प्रमाण पत्र तथा कब्जे का परिदान

101. क्रेता को प्रमाण पत्र.— (1) यदि किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गई हो, तो राजस्व न्यायालय क्रेता को एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमें वह तारीख जिसको कि विक्रय की पुष्टि की गई हो, बेची गई सम्पत्ति तथा क्रेता का नाम विनिर्दिष्ट किया जायेगा और क्रेता को ऐसी सम्पत्ति का कब्जा दिलायेगा।

(2) क्रेता बेची गई सम्पत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा।

102. स्थावर सम्पत्ति के कब्जा करने में प्रतिरोध या बाधा.— (1) जहां सम्पत्ति का कब्जा अभिप्राप्त करने में क्रेता का किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध किया जाता है या उसे बाधा डाली जाती है, वहां वह ऐसे प्रतिरोध या बाधा का परिवाद करते हुए आवेदन राजस्व न्यायालय को कर सकेगा।

(2) राजस्व न्यायालय उस बात के अन्वेषण के लिये तारीख नियत करेगा और जिस पक्षकार के विरुद्ध आवेदन किया गया है, उसे उपसंजात होने तथा उत्तर देने के लिये समन करेगा।

(3) जहां राजस्व अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) बकायादार द्वारा या उसके उकसाने पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा; या

(ख) उस भूमि को, जो कि उसके संबंध में शोध्य भू-राजस्व के बकाया के लिए बेची गई थी, क्रय किये जाने के मामले में किसी भी व्यक्ति द्वारा;

ऐसा प्रतिरोध किया गया था या ऐसी बाधा डाली गई थी तो वह यह निदेश देगा कि क्रेता को उस सम्पत्ति का कब्जा दिया जाए।

103. विक्रय के बाद कब्जे के परिदान के बारे में आदेश.— (1) जहां किसी ऐसे मामले में, जिसको कि नियम 102 का उपनियम (3) लागू नहीं होता है, राजस्व न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिरोध या बाधा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया था या डाली गई थी जो स्वयं अपनी ओर से या बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति की ओर से ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा रखने का सद्भावपूर्वक दावा करता है, वहां राजस्व न्यायालय नियम 102 के अधीन प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने वाला आदेश करेगा।

(2) जहां बकायादार से भिन्न कोई व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति के क्रेता द्वारा ऐसी सम्पत्ति से बेकब्जा कर दिया जाता है, वहां वह इस प्रकार बेकब्जा किए जाने का परिवाद करते हुए राजस्व न्यायालय को आवेदन कर सकेगा।

(3) राजस्व न्यायालय उस बात के अन्वेषण के लिए तारीख नियत करेगा और क्रेता को उपसंजात होने तथा उत्तर देने के लिए समन करेगा।

(4) जहां राजस्व न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक स्वयं अपनी ओर से या बकायादार से भिन्न किसी व्यक्ति की ओर से सम्पत्ति पर कब्जा रखता था, वहां वह निदेश देगा कि सम्पत्ति पर आवेदक को कब्जा सौंपा जाए।

(5) बकायादार से भिन्न कोई भी पक्षकार, जिसके विरुद्ध नियम 102 के उपनियम (3) या इस नियम के उपनियम (1) या उपनियम (4) के अधीन आदेश किया गया है, उस अधिकार को स्थापित करने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा जिसका कि दावा वह सम्पत्ति के तत्काल कब्जे के लिए करता है, किन्तु ऐसे वाद के, यदि कोई हो, परिणाम के अध्यक्षीन रहते हुए, आदेश निश्चयायक होगा।

### भाग नौ

#### अवयस्क तथा विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध कार्यवाहियां

104. अवयस्क संरक्षक द्वारा कार्यवाही संस्थित करेगा.— अवयस्क द्वारा प्रत्येक आवेदन, अवयस्क के संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अवयस्क के नाम से दिया जायेगा।

105. अवयस्क अनावेदक के लिए राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाहियों के लिए संरक्षक का नियुक्त किया जाना.— जहां अनावेदक अवयस्क है, वहां राजस्व न्यायालय उसकी अवयस्कता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए ऐसे अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करेगा।

106. कार्यवाहियों के लिए कौन संरक्षक के रूप में कार्य कर सकेगा अथवा संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा.— कोई भी व्यक्ति, जो स्वस्थचित्त है तथा वयस्क हो गया है और जिसका हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल नहीं है, कार्यवाहियों में अवयस्क पक्षकार के संरक्षक के रूप में कार्य कर सकेगा अथवा संरक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

107. अनावेदक के संरक्षक द्वारा उपगत किए गये खर्चे.— उस दशा में, जबकि अनावेदक अवयस्क हो और नियुक्त किये गए संरक्षक के पास आवश्यक व्ययों की पूर्ति के लिए कोई निधियां न हों, राजस्व न्यायालय आवेदक को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धनराशि जमा करे। आवेदक द्वारा इस प्रकार उपगत किए गए खर्चे, खर्चे के सम्बन्ध में पारित किये गये अंतिम आदेश के अनुसार समायोजित किये जाएंगे।

108. संरक्षक द्वारा अनुबंध.— (1) कोई भी संरक्षक अवयस्क की ओर से कोई करार या समझौता, उन कार्यवाहियों के बारे में जिनमें वह अवयस्क के संरक्षक के रूप में कार्य करता है या उसका संरक्षक नियुक्त किया जाता है, राजस्व न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं करेगा और जो अनुमति कार्यवाहियों में स्पष्टतः अभिलिखित की जाएगी।

(2) राजस्व न्यायालय की ऐसी अभिलिखित अनुमति के बिना किया गया कोई भी ऐसा करार या समझौता अवयस्क से भिन्न समस्त पक्षकारों के विरुद्ध शून्यकरणीय होगा।

109. विकृतचित्त व्यक्तियों को नियम 104 से 108 लागू होना.— नियम 104 से 108 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) में अंतर्विष्ट उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विकृतचित्त व्यक्तियों को लागू होंगे।

### भाग दस

#### अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन

110. अपील के ज्ञापन अथवा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की प्रस्तुति और पंजीयन.— अपील के ज्ञापन अथवा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की प्रस्तुति और उनके पंजीयन के संबंध में नियम 7 से 13 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

111. अपील पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन ज्ञापन के रूप में होगा.— प्रत्येक अपील और प्रत्येक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता या उसके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या उसके विधि व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित अथवा यदि याचिकाकर्ता या आवेदनकर्ता निरक्षर है, तो एक साक्षर व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित उसके अंगूठे के चिन्ह युक्त ज्ञापन के रूप में होगा और धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

112. अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की याचिका के साथ आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि होना.— प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की याचिका के साथ उस आदेश, जिसके संबंध में आपत्ति की गई है, की प्रमाणित प्रतिलिपि होगी जब तक की याचिका सुनने वाला राजस्व न्यायालय धारा 48 के अधीन ऐसी प्रतिलिपि के प्रस्तुत किये जाने से अभिमुक्ति न दे दे। जहां ऐसा आदेश स्वयं में पूर्ण नहीं है तथा अपने कारण के हेतु किसी अन्य प्रतिवेदन या आदेश का निर्देश करता है या अन्यथा उस पर आधारित है, वहां स्वयं आदेश के साथ-साथ ऐसे प्रतिवेदन या आदेश की प्रतिलिपि भी फाइल की जाएगी।

113. आदेश के निष्पादन के स्थगन के लिए आवेदन.— किसी आदेश के निष्पादन के स्थगन की प्रार्थना को अपील के ज्ञापन अथवा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन का अंग नहीं बनाया जाएगा, किन्तु उसे एक पृथक् आवेदन के द्वारा किया जाएगा। ऐसा आवेदन में कथन होगा कि क्या आदेश के निष्पादन के स्थगन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को आवेदन दिया गया था; और यदि वैसा हो, तो उसका परिणाम क्या रहा।

**114. आधार जो अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में लिये जा सकेंगे.—** याचिकाकर्ता, राजस्व न्यायालय की अनुमति के बिना आक्षेप के किसी भी ऐसे आधार को जो अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की याचिका में उपवर्णित नहीं है, न तो प्रस्तुत करेगा और न उसके समर्थन में सुना जाएगा, किन्तु राजस्व न्यायालय अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का विनिश्चय करने में आक्षेप के उन आधारों तक ही सीमित नहीं रहेगा जो अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की याचिका में उपवर्णित हैं या जो न्यायालय की अनुमति से इस नियम के अधीन किये गये हैं:

परंतु राजस्व न्यायालय अपने विनिश्चय को, किसी अन्य आधार पर पक्षकारों को उस आधार पर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना अवलम्बित नहीं करेगा।

**115. अपीलों अथवा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदनों का समेकन.—** राजस्व न्यायालय अपीलों अथवा पुनरीक्षणों या पुनर्विलोकन के आवेदनों का समेकन कर सकेगा यदि—

(क) ऐसी कार्यवाहियों के समस्त पक्षकार ऐसे समेकन पर सहमत हो जाते हैं, और

(ख) ऐसी समस्त कार्यवाहियों में विधि एवं तथ्यों के सामान्य प्रश्न अभिग्रस्त हों।

**116. सूचना पत्रों का जारी किया जाना.—** (1) अपील के ज्ञापन अथवा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का आवेदन, यदि व्यवस्थित पाया जाए, तो राजस्व न्यायालय अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता अथवा दोनों पक्षकारों की सुनवाई के लिये सूचना पत्र जारी करने का आदेश देगा और एक दिनांक नियत की जाएगी तथा उस दिनांक की सूचना अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता या उसके अभिभाषक अथवा दोनों पक्षकारों को दी जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन उत्तरवादी को जारी किये गये सूचना पत्र के साथ यथारिथति, अपील के ज्ञापन या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन की प्रतिलिपि होगी।

(3) मामलों को साधारणतया उनकी प्रस्तुति के कम से नियत किया जाएगा।

**117. विलंब की माफी के लिए आवेदन.—** (1) जब कोई अपील का ज्ञापन अथवा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का आवेदन विहित परिसीमाकाल के पश्चात् उपस्थापित किया जाता है, तब उसके साथ ऐसे शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आवेदन होगा जिसमें वे तथ्य उपवर्णित होंगे जिन पर याचिकाकर्ता राजस्व न्यायालय का यह समाधान करने के लिए निर्भर करता है कि ऐसी अवधि के भीतर अपील का ज्ञापन अथवा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत न कर पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था।

(2) यदि राजस्व न्यायालय यह समझता है कि प्रत्यर्थी को सूचना जारी किये बिना आवेदन को नामंजूर करने का कोई कारण नहीं है तो उसकी सूचना प्रत्यर्थी को जारी की जाएगी और सर्वप्रथम राजस्व न्यायालय अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को गुणदोष पर व्यवहृत करने के लिये अग्रसर होने के पूर्व विलंब की माफी के बारे में निर्णय लेगा।

**118. अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों को प्राप्त किया जाना.—** (1) राजस्व न्यायालय अपील अथवा पुनरीक्षण के लिए आवेदन को ग्रहण करने के पश्चात्, अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अभिलेख, यदि वे पूर्वतः प्राप्त नहीं हुए हैं, तत्काल-मंगएगा।

(2) जब अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में विचाराधीन कार्यवाहियों के अभिलेख मंगाए गए हों, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के पास उन्हें केवल उतने समय तक के लिए रखा जाना चाहिए जब तक वे रखे जाना नितान्त आवश्यक हों और अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को लौटा दिया जाना चाहिए तथा वापस मंगा लिए जाना चाहिए; जैसा सुविधाजनक हो।

(3) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जैसी कि वह ठीक समझे, राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व अधिकारियों के बीच मामलों के अभिलेखों या दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषण की अनुमति दे सकेगी।

(4) इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी मामले के अभिलेखों या दस्तावेजों को प्राप्त करने वाला राजस्व न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी उन्हें ऐसे व्यवहृत कर सकेगा मानों कि वे भौतिक रूप में हैं।

(5) उपनियम (3) तथा (4) के उपबंधों के होते हुए भी राजस्व न्यायालय, अपने विवेक से, किसी मामले के मूल अभिलेखों या दस्तावेजों को मंगा सकेगा।

**स्पष्टीकरण**— इस नियम, के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'दस्तावेज' में जांच प्रतिवेदन, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन या राजस्व न्यायालय का आदेश सम्मिलित हैं।

## भाग ग्यारह

### विविध

**119. शपथ पत्र**— निम्नलिखित आवेदनों के साथ आवेदक या याचिकाकर्ता या उसके अभिभाषक द्वारा निष्पादित शपथ पत्र होगा यदि प्रकरण को सुनने वाला राजस्व न्यायालय ऐसी अपेक्षा से छूट नहीं दे देता—

(क) नवीन एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य के पता चलने के आधार पर पुनर्विलोकन के लिए;

(ख) अनुपस्थिति के कारण निरस्त अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के पुनर्ग्रहण या पुनर्स्थापन के लिए;

(ग) पक्षकारों की प्रतिस्थापना के लिए।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) में का कुछ भी, राजस्व न्यायालय के उस किसी भी अन्य विषय में जिसके बारे में उसे अपने विवेक के प्रयोग की या कोई भी आदेश देने की शक्ति प्राप्त है, शपथ पत्र की मांग करने के अधिकार को सीमित करने वाला नहीं समझा जाएगा।

**120. सुनवाई के लिए नियत दिनांक को अवकाश होने पर सुनवाई के लिए तिथि**— यदि सुनवाई के लिए नियत की गई दिनांक या वह दिनांक जिस तक सुनवाई स्थगित की गई हो, अवकाश का दिन हो तो, इस प्रकार नियत की गई या स्थगित की गई सुनवाई, ऐसे अवकाश के तुरंत पश्चात आने वाले कार्य दिवस को की जाएगी या आगामी कार्य दिवस तक स्थगित रहेगी।

**121. मामले की फीस**— (1) आवेदक या याचिकाकर्ता को मामले की फीस संदत्त करना होगी जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु मामले की फीस देय नहीं होगी यदि आवेदक या याचिकाकर्ता राज्य सरकार है।

(2) मामले की फीस में केवल निम्न व्यय समावेशित होंगे,—

(क) न्यायालय शुल्क;

(ख) पक्षकारों तथा साक्षियों को सूचना या समन जारी करने के लिए आदेशिका फीस किन्तु इसमें साक्षियों को अपेक्षित देय यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय सम्मिलित नहीं है; और

(ग) उद्घोषणाएँ, किन्तु इससे समाचार पत्रों में उनके प्रकाशन का व्यय सम्मिलित नहीं है।

(3) आवेदक या याचिकाकर्ता द्वारा मामले की फीस, ऐसी रीति में जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित की जाए, संदत्त की जाएगी।

**122. वाद सूचियाँ.**— (1) राजस्व न्यायालय के कार्यालय में राजस्व न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए नियत किये गये समस्त मामले दर्शाते हुए प्ररूप सात में वाद सूची संधारित की जाएगी और कार्यालयीन समय के दौरान आम जन की पहुँच में रखी जाएगी।

(2) राजस्व न्यायालय अपने सूचना पटल पर दैनिक वाद सूची प्ररूप आठ में प्रदर्शित करेगा।

(3) राज्य सरकार उपनियम (1) तथा (2) में संदर्भित वाद सूचियाँ संधारण के लिए और उसे आम जन की पहुँच में रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित कर सकेगी और इसमें समय-समय पर संशोधन कर सकेगी।

**123. खर्चें दिलाना.**— धारा 37 के अधीन खर्चें दिलाते समय, राजस्व न्यायालय उपनियम (2) से (4) में निर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा।

(2) उसके अतिरिक्त जहां पक्षकार से खर्चें दिलाने का संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के किसी भी उपबंध द्वारा स्पष्टतः उपबंधित किया गया हो, राजस्व न्यायालय द्वारा उन मामले में जिन्हें प्रशासकीय या शासन वैत्तिक हितों में ग्रहण किया गया है, खर्चों का आरोपण या परिनिर्णयन नहीं किया जाएगा।

(3) निरंतर विवादित मामलों में यथा विवादित नामांतरण एवं सीमा मामलों में खर्च का परिनिर्णयन समुपयुक्त रूप से किया जा सकता है।

(4) खर्चों में मुख्तयारनामा या वकालतनामा पर लगने वाले मुद्रांक का खर्च या याचिकाओं के लिखाने में किये गये खर्च जैसे प्रभारों को कदाचित ही शामिल किया जाना चाहिए।

**124. विधि-व्यवसायी.**— (1) संहिता या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी भी राजस्व न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार की ओर से कोई विधि व्यवसायी कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसे पक्षकार द्वारा या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या ऐसी नियुक्ति करने के लिये सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लिखित विलेख द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त नहीं किया गया हो।

(2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा पक्षकार या विधि व्यवसायी द्वारा यथास्थिति हस्ताक्षरित लेख राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर राजस्व न्यायालय

की अनुमति से समाप्त किए जाने पर्यंत अथवा पक्षकार या विधि व्यवसायी की मृत्युपर्यंत अथवा मामले में की कार्यवाहियों का, जहां तक पक्षकार का संबंध हो, अंत होने पर्यंत प्रभावशील समझी जाएगी।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजनों हेतु मामले में किसी भी आदेश की अपील, आदेश के पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन हेतु आवेदन तथा विलेखों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने अथवा मामले में प्रस्तुत या निवेशित विलेख के लौटाए जाने अथवा मामले के संबंध में राजस्व न्यायालय के समक्ष भुगतान किए गए धनों के प्रत्यर्पण के प्रयोजनों के हेतु कोई भी आवेदन या कार्य प्रकरण में की कार्यवाही होना समझा जाएगा।

(4) यदि पक्षकार अपना नाम लिखने में अक्षम हो तो विधि-व्यवसायी की नियुक्ति समाप्त करने वाले विलेख पर या ऐसी नियुक्ति को समाप्त करने वाले लेख पर उसके अंगूठे के चिन्ह को एक साक्षी द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

(5) कोई विधि-व्यवसायी जिसे केवल पक्ष निवेदन के प्रयोजन के हेतु नियोजित किया गया हो किसी भी पक्षकार की ओर से पक्ष निवेदन नहीं करेगा जब तक उसके द्वारा राजस्व न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा हस्ताक्षरित उपस्थिति का ऐसा ज्ञापन निवेशित नहीं कर दिया गया हो और जिसमें वर्णित हो-

(क) प्रकरण के पक्षकारों का नाम;

(ख) उस पक्षकार का नाम जिसके लिए वह उपसंजात हुआ है; तथा

(ग) उस व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा उसे उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

परंतु इस नियम में का कुछ भी किसी पक्षकार की ओर से पक्ष निवेदन के लिए किसी ऐसे विधि-व्यवसायी पर लागू नहीं होगा जिसे ऐसे पक्षकार की ओर से राजस्व न्यायालय के समक्ष कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किसी अन्य विधि व्यवसायी द्वारा नियोजित किया गया हो।

**125. मान्यताप्राप्त अभिकर्ता.**— (1) मान्यताप्राप्त अभिकर्ता, जिसके द्वारा राजस्व न्यायालय के समक्ष संहिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन कार्यवाहियों में किसी पक्षकार के लिए उपसंजात हुआ जाए और आवेदन किए जाएँ और अन्य कृत्य किए जाएँ, संबद्ध पक्षकार का स्थायी सेवक, भागीदार, संबंधी या मित्र होगा, जो राजस्व न्यायालय के मत में विवादग्रस्त विषय में अपने ज्ञान से अथवा पक्षकार के कार्यकलापों से अपने सामान्य परिचय से, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए समुपयुक्त हो।

(2) यह निश्चय करने में कि कोई भी व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन मान्यताप्राप्त अभिकर्ता के रूप में मान्य किए जाने के लिए समुपयुक्त है, राजस्व न्यायालय अपने विवेक का इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे किसी भी एक व्यक्ति द्वारा अनेक-नियोक्ताओं की ओर से प्राधिकार-पत्र लिया जाना रोका जा सके।

भाग बारह निरसन तथा व्यावृत्ति		
126. निरसन तथा व्यावृत्ति.— (1) संहिता की अनुसूची 1 और निम्नलिखित नियम, एतद्द्वारा, उस सीमा तक जो कि नीचे स्तम्भ (3) में उल्लेखित है, निरसित किये जाते हैं:		
स.क	नियमों के विवरण	निरसन की सीमा
(1)	(2)	(3)
1	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की अनुसूची-1	राजस्व मंडल को छोड़कर अन्य समस्त राजस्व न्यायालयों पर उसके लागू होने की सीमा तक
2	<p>मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) की धारा 41 के अधीन बनाये गये निम्नलिखित नियम—</p> <p>(क) अधिसूचना कमांक 365 दिनांक 26 फरवरी, 1960 द्वारा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया के विनियमन के लिए बनाये गये नियम जो कि पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गये हैं,—</p> <p>(एक) कमांक 1504-19-72 दिनांक 30 जुलाई, 1973 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित है;</p> <p>(दो) कमांक 1043-18-75-स्था. दिनांक 06.02.1980 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4(ग) दिनांक 28.03.1980 पृष्ठ 68 में प्रकाशित है; और</p> <p>(तीन) कमांक 2722-23-42-स्था.-68 दिनांक 12.09.1989 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4 (ग) दिनांक 13.10.1989 पृष्ठ 186 में प्रकाशित है।</p> <p>(ख) अधिसूचना कमांक 366 दिनांक 26 फरवरी 1960, द्वारा समन, सूचनाओं और आदेशिकाओं की तामीली तथा पक्षकारों एवं साक्षियों आदि को समन करने, मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं, अपील तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध आदि से संबंधित नियम जो कि पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गये हैं,—</p> <p>(एक) कमांक 73-34-66-स्था. दिनांक 13 जनवरी 1970 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अप्रैल, 1970 में प्रकाशित है; तथा</p> <p>(दो) कमांक 1503-18-72-स्था. दिनांक 30 जुलाई 1973 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित है।</p>	राजस्व मंडल को छोड़कर अन्य समस्त राजस्व न्यायालयों पर उनके लागू होने की सीमा तक
(2) ऐसा निरसन निरसित-अनुसूची-1 में नियमों के किसी प्रावधान के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उनके अधीन की गयी कोई सम्यक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा और वैसा ही प्रभाव रखेगा मानों वह इन नियमों के तत्स्थानी प्रावधानों के अधीन की गयी थी।		



अनुसूची-क  
(देखें नियम 33)

राजस्व न्यायालय द्वारा समन किये गये साक्षी के व्ययों के  
विनिश्चय के लिये दिशा निर्देश

1. व्यय के घटक.— राजस्व न्यायालय द्वारा साक्षी के व्यय की संगणना नीचे दी गई रीति से निम्नलिखित घटकों के अधीन की जाएगी—

- (क) यात्रा व्यय;
- (ख) खुराक और विविध व्यय;
- (ग) रात्रि विश्राम के व्यय, जहां लागू हों;
- (घ) आय की क्षति का प्रतिकर; और
- (ङ) साथी के व्यय, जहां लागू हो।

2. यात्रा व्यय.— (1) ऐसे साक्षी को जो उसी नगर/कस्बा/ग्राम में निवास करता है, जहां वह समन किया गया है, स्थानीय परिवहन व्यय के तौर पर पचास रुपया अनुज्ञात होगा यदि उसका निवास का स्थान, उस स्थान से, जहां वह समन किया गया है, पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है।

(2) ऐसे साक्षी को जो उस नगर/कस्बा/ग्राम, जहां वह समन किया गया है, से भिन्न स्थान पर रहता है को निम्न मानदण्ड अनुसार परिवहन व्यय देय होंगे,—

- (क) जहां यात्रा रेल द्वारा की गई है, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के खर्च की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए, टिकिट का वास्तविक खर्चा, अनुज्ञात होगा। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन से राजस्व न्यायालय तक आने तथा वापसी की स्थानीय यात्रा का युक्तियुक्त खर्चा अनुज्ञात होगा।
- (ख) बस द्वारा यात्रा किये जाने के मामले में टिकिट का वास्तविक खर्चा अनुज्ञात होगा। इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड से राजस्व न्यायालय आने व वापसी का युक्तियुक्त खर्चा अनुज्ञात होगा।
- (ग) किसी और प्रकार से यात्रा किये जाने के मामले में, दस रुपये प्रति किलो मीटर की दर से आने-जाने का मील भत्ता अनुज्ञात होगा।
- (घ) साधारणतः साक्षी के सामान्य निवास स्थान से आने जाने की यात्रा के लिये यात्रा व्यय अनुज्ञात होगा, तथापि विशेष परिस्थितियों में राजस्व न्यायालय अन्य स्थान से आने-जाने का यात्रा व्यय अनुज्ञात कर सकेगा।

(3) विशेष परिस्थितियों में, राजस्व न्यायालय कारणों को अभिलिखित करते हुए हवाई यात्रा या पूर्वोक्त उपबंधित की अपेक्षा उच्च दरों के व्यय अनुज्ञात कर सकेगा।

3. **खुराक और विविध व्यय.**— राजस्व न्यायालय में उपस्थिति और यात्रा में लगे अपेक्षित युक्तियुक्त समय के लिये खुराक एवं विविध व्यय प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए दो सौ रुपये प्रति दिन की दर से देय होंगे।
4. **रात्रि विश्राम के व्यय.**— जहां साक्षी का रात्रि में रुकना अपेक्षित है, राजस्व न्यायालय प्रति रात्रि पांच सौ रुपये से अनिम्न और तीन हजार रुपये से अनधिक ऐसी राशि, जैसा वह ठीक समझे, का संदाय अनुज्ञात करेगा।
5. **आय की अनुमानित या वास्तविक क्षति के लिये प्रतिकर.**— राजस्व न्यायालय प्रतिदिन या उसके भाग के लिए दो सौ रुपये से अनिम्न और एक हजार रुपये से अनधिक की दर से, जैसा कि वह ठीक समझे, आय की वास्तविक या अनुमानित क्षति के प्रतिकर के तौर पर संदाय अनुज्ञात करेगा।
6. **साथी के व्यय.**— ऐसा साक्षी, जो अवयस्क है या महिला है या साठ वर्ष की आयु से अधिक का पुरुष है या चालीस प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति है, के साथ आये व्यक्ति को उसी मान से यात्रा व्यय, खुराक और विविध व्यय तथा रात्रि विश्राम के व्यय संदत्त किये जाएंगे, जैसे कि ऊपर दिए गए हैं।

प्ररूप-एक  
(देखें नियम 8 एवं 9)

(व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की याचिका की पावती)

पावती

दस्तावेज का प्रकार ( मूल आवेदन अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए याचिका )	किसको किया गया	दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम	पक्षकारों के नाम	प्रस्तुति का ढंग (कृपया जो लागू है उसे चिन्हित करें।)	प्राप्ति का दिनांक	मामले की सुनवाई के लिए नियत दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				व्यक्तिशः प्राप्त किया गया ( ) स्थान.....		
				डाक/कुरियर सेवाओं से ( ) प्राप्त किया गया		

मुद्रा

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम

\*टीप: यदि दस्तावेज मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान पर प्रस्तुत किया गया है, तो स्तंभ 5 में स्थान का उल्लेख किया जाएगा।

प्ररूप-दो  
(देखें नियम 10 एवं 11)

(लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत या रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर आनलाइन प्रस्तुत मूल आवेदन अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की याचिका की पावती)

पावती

दस्तावेज का प्रकार ( मूल आवेदन अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए याचिका )	किसको किया गया	दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम	पक्षकारों के नाम	पावती क्रमांक तथा प्राप्ति का दिनांक	मामले की सुनवाई के लिए नियत दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- टीप- 1. लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने की दशा में पावती पर उसके अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा आधिकारिक मुद्रा लगाई जाएगी।
2. रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की दशा में पावती पर हस्ताक्षर के स्थान पर सिस्टम-जनित उपयुक्त पृष्ठांकन होगा।

प्ररूप तीन  
(देखें नियम 33)

साक्षी प्रमाण-पत्र  
(राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... (नाम तथा पद), जो कि.....  
कार्यालय ..... में कार्यरत है, मेरे समक्ष राजस्व मामला कनांक.....  
विरुद्ध.....अंतर्गत.....(अधिनियम एवं उपबंध का नाम) .....  
दिनांक को अपनी पदीय हैसियत में उपस्थित हुए और उन्हें यात्रा भत्ता या अन्य व्ययों के मद्दे  
कोई भुगतान नहीं किया गया है।

मुद्रा  
दिनांक.....20.....

पीठासीन अधिकारी  
राजस्व न्यायालय

प्ररूप चार-क  
समन  
(देखें नियम 36)

राजस्व न्यायालय .....

राजस्व मामला क्रमांक ...../20.....

..... (आवेदक/अपीलकर्ता)

विरुद्ध

..... (अनावेदक/उत्तरवादी)

प्रेषिती-

.....[नाम, वर्णन और निवास स्थान]

अनावेदक/उत्तरवादी के लिए

..... ने आपके विरुद्ध ..... के लिए मूल आवेदन/अपील का ज्ञापन/पुनरीक्षण / पुनर्विलोकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है। आपको एतद्वारा, अपना मामला प्रस्तुत करने, उत्तर देने तथा उन सब दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं, के लिए दिनांक ..... को ..... बजे, इस न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या अपने मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या सम्यकरूप से निर्देशित अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित हो सकते हैं।

2/ आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताए गए दिनांक पर इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो मामले की सुनवाई और निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

3/ यह आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मुद्रा  
दिनांक.....20.....

पीठासीन अधिकारी  
राजस्व न्यायालय

टीप- इस समन के पृष्ठभाग पर तामील का पृष्ठांकन अभिलिखित किया जाए।

## समन की तामील व्यक्तिशः किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाए

साक्षी के हस्ताक्षर..... नाम..... पिता/पति का नाम..... पता..... मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई है)	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर ..... नाम..... मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई है) प्रेषिती से भिन्न होने पर उससे संबंध.....
समन मेरे द्वारा दिनांक.....को ..... तामील किया गया। तामीलकर्ता के हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम..... दिनांक ..... 20.....	तहसील के माध्यम से समन तामील किए जाने की दशा में तहसील के माल जमादार के प्रतिहस्ताक्षर हस्ताक्षर..... नाम..... सील पदनाम..... दिनांक .....20.....

## समन की तामील चस्पा द्वारा किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाए

साक्षीगण जिनके द्वारा गृह की पहचान की गई और जिसकी उपस्थिति में समन चस्पा किया गया (1) साक्षी के हस्ताक्षर ..... नाम..... पिता/पति का का नाम..... पता..... मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई है)	1. समन मेरे द्वारा..... (स्थान का नाम) पर दिनांक..... को पार्श्व में उल्लेखित साक्षीगणों की उपस्थिति में चस्पा कर तामील किया गया। 2. समन की तामील चस्पा द्वारा किये जाने का कारण..... तामीलकर्ता के हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम.....
(2) साक्षी के हस्ताक्षर..... नाम..... पिता/पति का का नाम..... पता..... मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई है)	
तहसील के माध्यम से समन तामील किए जाने की दशा में तहसील के माल जमादार के प्रतिहस्ताक्षर हस्ताक्षर..... नाम..... सील पदनाम..... दिनांक .....20.....	

प्ररूप चार- ख  
समन  
(देखें नियम 36)

राजस्व न्यायालय .....

राजस्व मामला क्रमांक ...../20.....

..... (आवेदक / अपीलकर्ता)

विरुद्ध

..... (अनावेदक / उत्तरवादी)

प्रेषिती-

..... [नाम, वर्णन और निवास स्थान] .....

साक्षी के लिए

उक्त मामले में ..... की ओर से आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। आप से अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक ..... को ..... बजे इस न्यायालय के समक्ष स्वयं साक्ष्य देने के लिए और/या ..... (दस्तावेजों के विवरण) प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हों। यदि आप उपरोक्त दिन और समय में उपस्थित होने में चूक करते हैं तो आपके विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

2/ यदि आप केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किए गए हैं, तो यदि आप इस न्यायालय में उपरोक्त दिन और समय पर ऐसा दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आपने समन का अनुपालन किया है।

3/ यह आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मुद्रा  
दिनांक.....20.....

पीठासीन अधिकारी  
राजस्व न्यायालय

टीप- 1. इस समन के पृष्ठभाग पर तामील का पृष्ठांकन अभिलिखित किया जाए।

2. समन में निर्दिष्ट किया जाए कि साक्षी को साक्ष्य देने के लिए समन किया गया है या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या दोनों के लिए।



समन की तामील व्यक्तिशः किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाए

साक्षी के हस्ताक्षर..... नाम..... पिता/पति का नाम..... पता..... मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई है)	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर ..... नाम..... मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई है) प्रेषिती से भिन्न होने पर उससे संबंध.....
समन मेरे द्वारा दिनांक.....को ..... तामील किया गया। तामीलकर्ता के हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम..... दिनांक ..... 20.....	तहसील के माध्यम से समन तामील किए जाने की दशा में तहसील के माल जमादार के प्रतिहस्ताक्षर हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम..... सील दिनांक .....20.....

समन की तामील चस्पा द्वारा किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाए

साक्षीगण जिनके द्वारा गृह की पहचान की गई और जिसकी उपस्थिति में समन चस्पा किया गया (1) साक्षी के हस्ताक्षर..... नाम..... पिता/पति का नाम..... पता..... मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई है)	1. समन मेरे द्वारा.....(स्थान का नाम) पर दिनांक.....को पार्श्व में उल्लेखित साक्षीगणों की उपस्थिति में चस्पा कर तामील किया गया। 2. समन की तामील चस्पा द्वारा किये जाने का कारण..... तामीलकर्ता के हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम.....
(2) साक्षी के हस्ताक्षर..... नाम..... पिता/पति का नाम..... पता..... मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई है)	
तहसील के माध्यम से समन तामील किए जाने की दशा में तहसील के माल जमादार के प्रतिहस्ताक्षर हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम..... सील दिनांक .....20.....	

प्ररूप पांच  
(देखें नियम 36)  
गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट

[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 34  
की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया]

राजस्व न्यायालय .....

राजस्व मामला क्रमांक ...../20.....

..... (आवेदक)

विरुद्ध

..... (अनावेदक)

प्रेषिती-

.....

(उस व्यक्ति का या उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारंट निष्पादित करना है)

..... (वारंटी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि .....

निवासी ..... (पूर्ण पता) पर समन की तामील सम्यकरूप से हो चुकी

है किंतु उसने उपस्थित होने में चूक की है। अतः आपको, इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि आप उक्त

..... (वारंटी का नाम) को गिरफ्तार करके इस न्यायालय के समक्ष

लाए।

2/ आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि इस वारंट को वह दिन जिसको और वह रीति जिससे इसे निष्पादित किया गया है या वह कारण कि क्यों यह निष्पादन नहीं किया गया है, प्रमाणित करने वाले पृष्ठांकन के सहित दिनांक ..... को या उसके पूर्व लौटा दें।

3/ यदि उक्त ..... (वारंटी का नाम) दिनांक ..... को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए और जब तक इस न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए ऐसे उपस्थित रहने के लिए स्वयं ..... रुपये की राशि की जमानत ..... रुपये की राशि के एक प्रतिभू सहित दे दे तो उसे छोड़ा जा सकता है।

4/ यह आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मुद्रा  
दिनांक.....20.....

पीठासीन अधिकारी  
राजस्व न्यायालय

वारंट के अधीन गिरफ्तारी के पश्चात् बंधपत्र और जमानत पत्र  
बंधपत्र

मैं.....(नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नि.....  
निवासी.....(पूर्ण  
पता) .....(राजस्व  
न्यायालय का नाम) के न्यायालय में राजस्व मामला क्रमांक ...../20..... में साक्ष्य देने के लिए अपने  
को आबद्ध करता हूँ कि मैं उक्त दिनांक ..... को और जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट  
न किया जाए तब तक ऐसे उपस्थित होता रहूँगा; और मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें मैंने कोई  
चूक की तो मेरी ..... रुपये राशि सरकार को संपहृत हो जाएगी।  
दिनांक .....

वारंटी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

जमानत पत्र

मैं स्वयं को, उक्त नामित.....(वारंटी का नाम)  
पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी .....  
..... (पूर्ण पता) के लिए प्रतिभू घोषित करता हूँ कि वह .....(राजस्व न्यायालय का  
नाम) के न्यायालय में राजस्व मामला क्रमांक ...../20..... में साक्ष्य देने के लिए आगामी दिनांक .....  
.....को, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, उपस्थित होगा और जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा  
निर्दिष्ट न किया जाए ऐसे उपस्थित होता रहेगा; और मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें मैंने कोई  
चूक की तो मेरी ..... रुपये राशि सरकार को संपहृत हो जाएगी।  
दिनांक .....

जमानतदार के हस्ताक्षर

नाम.....

**प्ररूप-छह**  
**साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन**  
**(देखें नियम 43)**

न्यायालय.....

राजस्व मामला क्रमांक...../20....

प्रेषिती-

.....आवेदक/अपीलार्थी

विरुद्ध

.....अनावेदक/प्रतिवादी

.....[साक्षी का नाम] का साक्ष्य उक्त मामले में.....[पक्षकार का नाम]  
द्वारा अपेक्षित है, और .....

.....[वे परिस्थितियां जिनके कारण कमीशन पर  
साक्ष्य लेना आवश्यक है] अतः आपसे निवेदन है कि आप या तो परिप्रश्नों द्वारा (या मौखिक रूप से) उस  
साक्षी .....[साक्षी का नाम] का साक्ष्य ले लें और इस प्रयोजन के लिए आपको कमीशनर  
नियुक्त किया जाता है। यदि पक्षकार या उनके मान्यताप्राप्त अभिकर्ता या उनके विधि व्यवसायी उपस्थित  
हों तो उनकी उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाएगा और विनिर्दिष्ट बातों के बारे में साक्षी से प्रश्न पूछने की  
उन्हें स्वतंत्रता होगी, और आपसे यह भी निवेदन है कि आप ऐसे साक्ष्य उसके लिए जाने के पश्चात् तुरन्त  
यहां भेज दें।

2/ साक्षी की हाजिरी विवश कराने के लिए आदेशिका आपके आवेदन पर अधिकारिता रखने वाले किसी  
राजस्व न्यायालय द्वारा निकाली जाएगी।

3/ ऊपर वर्णित के लिए आपकी फीस..... रुपये नियत की जाती है जिसका भुगतान पक्षकार.....  
के द्वारा आपको सीधा किया जाएगा।

4/ यह आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मुद्रा

दिनांक .....

पीठासीन अधिकारी

राजस्व न्यायालय

प्रतिलिपि: 1. ....(पक्षकार का नाम) को सूचनार्थ। उपरोक्तानुसार नियत फीस का भुगतान  
कमीशनर को .....(दिनांक) तक करें।

2. ....(अन्य पक्षकार का नाम) को सूचनार्थ।

मुद्रा

दिनांक .....

पीठासीन अधिकारी

राजस्व न्यायालय

प्ररूप सात  
(देखें नियम 122)

कार्यालय की वाद सूची  
दिनांक .....

अनु. क्र.	राजस्व मामले का क्रमांक	आवेदक/ अपीलार्थी के विवरण	आवेदक/अपीलाथ र्षी के अधिवक्ता का नाम तथा फोन नं.	अनावेदक/ उत्तरवादी के विवरण	अनावेदक/ उत्तरवादी के अधिवक्ता का नाम तथा फोन नं.	कार्य जिसके लिए मामला नियत है	सुनवाई की आगामी दिनांक	कार्य जिसके लिए मामले में आगामी दिनांक नियत है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

**प्ररूप आठ**  
(देखें नियम 122)  
दैनिक वाद सूची  
दिनांक.....

अनु. क्र.	राजस्व मामले का क्रमांक	आवेदक/अपीलार्थी के विवरण	आवेदक/अपीलार्थी के अधिवक्ता का नाम तथा फोन नं.	अनावेदक/उत्तरवादी के विवरण	अनावेदक/उत्तरवादी के अधिवक्ता का नाम तथा फोन नं.	कार्य लिए नियत है	जिसके मामले
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुरहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 2-2-2019-सात-शा.-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-2-2019-सात-शा.7, दिनांक 18 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुरहमान खान, उपसचिव.

No. F-2-2-2019-VII-S. 7

Bhopal, the 18th July 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (2-A) and (2-B) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and in supersession of Schedule-I of the said Code upto the extent of its application to all Revenue Courts except the Board of Revenue and rules made under section 41 of the said Code, regulating the procedure to be followed by Revenue Courts by Notification No. 365, dated 26<sup>th</sup> February, 1960 upto the extent of their application to all other Revenue Courts except the Board of Revenue and the Rules regarding the service of summons, notices and other processes summoning of parties and witnesses, recognised agents, consolidation of appeal and other proceedings etc. and Notification No. 366 dated 26<sup>th</sup> February 1960 upto the extent of their application to all other Revenue Courts except the Board of Revenue, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Code, namely :-

### RULES

**1. Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nyayalayon Ki Prakriya) Niyam, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**2. Definitions.-** (1) In these rules unless the context otherwise requires,-

- (a) "case" means a case or proceedings under the Code or any enactment for the time being in force;
- (b) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
- (c) "electronic messaging" means delivering a message through E-mail or such electronic means as may be permitted from time to time by the State Government;
- (d) "Form" means a form appended to these rules;
- (e) "Lok Sewa Kendra" means a center established or authorized by the State Government to receive applications for delivery of a service under The Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (No 24 of 2010);
- (f) "minor" means a person who has not attained his majority within the meaning of Section 3 of the Indian Majority Act, 1875 (No 9 of 1875);
- (g) "Revenue Case Management System" means an electronic system set up by the State Government for monitoring and management of cases in the Revenue Courts;
- (h) "Revenue Court" means a Revenue Court under Section 31 excluding the Board of Revenue;
- (i) "Schedule" means a schedule appended to these rules; and
- (j) "Section" means a section of the Code.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Code.

**3. Application to Revenue Courts.-** These rules shall be applicable to all Revenue Courts other than the Board of Revenue.

**4. Application of Civil Procedure Code.-** In accordance with Section 43, unless otherwise expressly provided in the Code or these rules, the procedure laid down in Code of Civil Procedure, 1908 (No 5 of 1908) shall, so far as may be, be followed by a Revenue Court in all proceedings under the Code.



**Part-I**  
**Registration of case**

**5. Original application.-** For the purpose of this part "original application" means an application or petition to initiate original proceedings under the Code or any enactment for the time being in force.

**6. Cognizance by the lowest Revenue Court.-**(1) Subject to the provisions of Section 30, an original applications shall be entertained and a case taken cognizance of only by the lowest Revenue Court competent to deal with it:

Provided that in such class of cases, as the Collector may prescribe, an original application may be entertained and a case taken cognizance of by a lower Revenue Court and submitted with a report after enquiry to the court competent to deal with it.

(2) An original application not presented in accordance with this rule may be returned for presentation to the proper Revenue Court.

**7. Presentation of original application before Revenue Court.-** Subject to the provisions of Section 39, an original application may be presented before a Revenue Court in any one of the manners prescribed in rules 8, 9, 10 or 11.

**8. Presentation of original application before Revenue Court in person.-** (1)

An original application to be presented before a Revenue Court in person shall be presented to the presiding officer of the Revenue Court or to such officer as he appoints in this behalf.

(2) The officer receiving such original application shall make a signed and dated endorsement thereon, stating the name of the person presenting the application and in case, the original application is received at a place other than his headquarters, the name of such place.

(3) Every original application presented under sub-rule (1) shall, as soon as possible, be registered in the Revenue Case Management System as a case.

(4) If such original application is not heard by the Revenue Court on the day of its presentation a date for its hearing shall be fixed and shown on the receipt to be given under sub-rule (1) of rule 12.

**9. Presentation of original application before Revenue Court by post or courier services.-** (1) An original application may be presented to a Revenue Court by post or courier services.

(2) On receipt of such original application, the officer receiving it shall make a signed and dated endorsement thereon, stating the fact that the application has been received by post or courier services.

(3) Every original application received under sub-rule (1) shall, as soon as possible, be registered in the Revenue Case Management System as a case.

(4) For such original application, a date for hearing shall be fixed and shown on the receipt to be sent under sub-rule (2) of rule 12.

**10. Presentation of original application to Revenue Court through Lok Sewa Kendra.-** (1) An original application may be presented to the Revenue Court through a Lok Sewa Kendra.

(2) The Lok Sewa Kendra shall register such original application as a case in Revenue Case Management System, make an electronic copy of the original application, fix a date, which shall not be later than fifteen days, for appearance of the party before the Revenue Court and return the original application to the person presenting it along with an acknowledgment showing such date.

(3) The Lok Sewa Kendra shall electronically transmit the electronic copy of the original application made in sub-rule (2) to the Revenue Court within next twenty-four hours.

(4) The party shall appear before the Revenue Court on the date fixed by the Lok Sewa Kendra under sub-rule (2) and submit the original application with a copy of the acknowledgment issued by the Lok Sewa Kendra failing which, the Revenue Court may dismiss the application in default or pass such order as it deems fit. However, such dismissal shall not operate as a bar on presentation of a fresh original application.

**11. Presentation of original application to Revenue Court through Revenue Case Management System portal.-** (1) An original application may be presented to a Revenue Court online through the portal of Revenue Case Management System in accordance with the directions issued by the State Government from time to time. Such original application shall be registered as a case, a date, which shall not be later than fifteen days, shall be fixed for appearance of the party before the Revenue Court and an acknowledgment showing such date shall be issued online by the System.

(2) The party shall appear before the Revenue Court on the date fixed under sub-rule (1) and submit the original application with a copy of the acknowledgment failing which, the Revenue Court may dismiss the application in default or pass such order as it deems fit. However, such dismissal shall not operate as a bar on presentation of a fresh original application.

**12. Acknowledgment of original application.-** (1) Receipt of original application presented in person under rule 8 shall be acknowledged in **Form I**.

(2) Receipt of original application received by post or courier services under rule 9 shall be acknowledged in **Form I** and sent by post.

(3) Receipt of original application presented through a Lok Sewa Kendra under rule 10 or through Revenue Case Management System portal under rule 11 shall be acknowledged in **Form II**.

**13. Registration of a case on the orders of Revenue Court.-**(1) A Revenue Court may, on the receipt of any order or report or on its own motion, order registration of case in the Revenue Case Management System.

(2) Every original application received under rule 8, 9, 10 or 11 has to be compulsorily registered in Revenue Case Management System as a case. Apart from this a Revenue court may also order registration of a case in Revenue Case Management System under this rule.

**14. Consolidation of cases.-** A Revenue Court may consolidate proceedings other than appeals, revisions or review, if-

- (a) all the parties to such proceedings agree to such consolidation;
- (b) all such proceedings involve common points of determination; and
- (c) the evidence to be adduced in all such proceedings is common.

## Part-II

### Summons, notice, proclamation and warrant

#### A- Summons

**15. List of witnesses and issue of summons.-**(1) On or before such date as the Revenue Court may appoint, the parties shall present in the Revenue Court a list of witnesses whom they propose either to give evidence or produce documents.

(2) The Revenue Court may, for reasons to be recorded, permit a party to call any witness, other than those whose names appear in such list, if the party

shows sufficient cause for the omission to mention the name of such witness in the said list.

(3) A party may bring before the Revenue Court any witness in the list submitted under sub-rule (1) or permitted under sub-rule (2), without issue of summons by the Revenue Court. In such event expenses of the witness, shall be directly paid by the party to such witness, without any reference to rules 33 and 34:

Provided that provisions of this sub-rule shall not apply in case of a State Government servant who is to be called to give evidence or produce document in his official capacity.

(4) A party may make an application to the Revenue Court to issue summons to any witness, stating therein the purpose for which the witness is proposed to be summoned. The expenses of a witness who is summoned by the Revenue Court shall be paid in accordance with the provisions of rules 33 and 34.

**Explanation.**-For the purpose of this Rule, the term 'State Government Servant' includes an employee of a local body.

**16. Issuing of summons.**- (1) Every summons issued in physical mode, shall be in writing, in duplicate and shall be signed and sealed by the presiding officer of the Revenue Court issuing it or by such person as he empowers in his behalf.

(2) Every summons issued in electronic mode shall be electronically signed by the presiding officer of the Revenue Court issuing it or by such person as he empowers in his behalf.

(3) Every summons shall specify the time and place at which the person summoned is required to attend, and also whether he is required to give evidence or to produce a document.

**17. Summons to a party.**- Every summons to a party shall be accompanied by a concise statement about the subject-matter of the case:

Provided that a copy of application presented by applicant, if any, shall be annexed with the summons issued to non applicant.

**18. Summons to produce a document.**- (1) A summons to produce documents may be for the production of certain specified documents or for the production of all documents of a certain description in the possession or power of the person summoned.

(2) A person merely summoned to produce a document shall be deemed to have complied with the summons if he causes such document to be produced instead of attending personally to produce the same.

**19. Service of summons by Revenue Court.-** A Revenue Court may order service of summons by any one or more of the following modes as it thinks fit-

- (a) by personal service;
- (b) by registered post acknowledgement due or speed post or by such courier services as may be approved under sub-rule (3) of rule 22; or
- (c) by electronic messaging.

**20. Personal service of summons.-** (1) Where the person summoned resides within the jurisdiction of Revenue Court or within the district in which such Revenue Court is situated or has a recognized agent or legal practitioner resident within that jurisdiction or district who is empowered to accept the service of the summons, the summons shall, unless the Revenue Court otherwise directs, be delivered or sent-

- (a) to a proper officer to be served by him or one of his subordinates;
- (b) to a government servant subordinate to it to be served by him or one of his subordinates; or
- (c) to a patel or a kotwar to be served by him.

(2) "Proper officer" means such officer who is responsible for service of summons and notices issued by Revenue Courts.

(3) Every summons issued under sub-rule (1) shall be served by tendering or delivering a copy of it to the person summoned personally or to his recognised agent or to his legal practitioner.

(4) Where the person summoned is absent from his residence at the time when the service of summons is sought to be effected on him at his residence and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time service may be made on any adult member of the family of the person summoned, who is residing with him.

**Explanation.-** A servant is not a member of the family within the meaning of this rule.

(5) Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the person summoned personally or to his recognised agent or legal practitioner or to an adult member of his family, he shall require the signature of the person, to whom the copy is delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original summons. The serving officer shall endorse on the

original summons, the date and time when and the manner in which the summons was served, and the name and address of the person, if any, identifying the person served and witnessing the delivery or tender of the summons.

**21. Summons to a person residing in another district or outside the State.-**

If the person summoned resides in another district within or outside the State of Madhya Pradesh, the summons may be sent by post or by such courier services as may be approved under sub-rule (3) of rule 22 or by a special messenger to the Collector of such district for service along with a request letter to cause its service through one of his subordinates.

**22. Service of summons by post or courier services.-** (1) A Revenue Court may order service of summons by transmitting a copy thereof to the person summoned or his recognized agent empowered to accept the service by registered post acknowledgment due or by speed post or by such courier services as may be approved under sub-rule (3).

(2) Where the summons is issued under sub-rule (1), the Revenue Court issuing the summons shall, subject to the provisions of rule 29, declare the summons to have been duly served and proceed further in the case, if-

(a) an acknowledgment or other receipt purporting to bear the signature of the person summoned or his recognised agent is received by the Revenue Court; or

(b) the envelope containing the summons is returned by the postal service or courier service to the Revenue Court with an endorsement purporting that it was not received by the addressee or in his absence by any other person on his behalf; or

(c) the summons transmitted is shown delivered on the web portal of the postal service or courier service; or

(d) the postal acknowledgment of the summons transmitted by Registered Post Acknowledgment Due is not received by the Revenue Court till after the passage of thirty days from such transmission.

(3) Collector shall, from time to time, prepare panel of approved courier services for use by his own Revenue Court and all Revenue Courts of rank equal or subordinate to it in the district. Other Revenue Courts shall prepare such panel from time to time for their own use.

**23. Service of summons by electronic messaging.-** A Revenue Court may order service of summons by electronic messaging in the following situations—

- (a) to a person or his recognised agent or legal practitioner whose E-mail address is registered with the Revenue Court; or
- (b) to an organization which by law is required to declare an E-mail address for receiving communication from the public.

**24. Give Summons to a party for service.-** (1) The Revenue Court may, in addition to causing the service of summons under rule 19, on application of a party deliver summons to such party for service at his expenses.

(2) The service of such summons shall be effected by or on behalf of such party by delivering or tendering to the person summoned personally a copy thereof or by any of the modes of service mentioned in clause (b) and (c) of rule 19.

(3) The provisions of sub-rule (5) of Rule 20 shall apply to a summons personally served under this Rule as if the person effecting service were a serving officer.

(4) If such summons, when tendered is refused or if the person served refuses to sign an acknowledgment of service or for any reason such summons cannot be served personally, the Revenue Court shall, on the application of the party, reissue such summons to be served by the Revenue Court under rule 19.

**25. Substituted service.-** (1) When the Revenue Court is satisfied that there is reason to believe that a person is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in the ordinary way, the Revenue Court shall order the summons to be served—

- (a) by affixing a copy thereof on the outer door or some other conspicuous part of the house in which the person summoned ordinarily resides or carries on business or personally works for gain or at some place of public resort in such village or sector; or
- (b) in such manner as it thinks fit.

(2) Where the summons is served by affixing a copy thereof in the manner aforesaid the serving officer shall endorse a report on the original summons or annex it thereto. The report shall state that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did so, and the name and address of the person, if any, by whom the house was identified and in whose presence the copy was affixed. The report with the original summons shall be returned to the Revenue Court which issued it.

(3) Where a summons is returned under sub-rule (2), the Revenue Court may, in its discretion, examine the serving officer on oath, or may cause him to be so examined by another Revenue Court, touching his proceedings and may make such further enquiry in the matter as it thinks fit, and shall either declare that the summons has been duly served or order such service, as it thinks fit.

(4) Where the Revenue Court acting under sub-rule (1) orders service by an advertisement in a news paper at the expenses of a party, the newspaper shall be a daily newspaper known to be widely circulated in the locality in which the person summoned is last known to have actually and voluntarily resided, carried on business or personally worked for gain.

(5) Service substituted by order of the Revenue Court shall be as effectual as if it had been made on the person summoned personally.

**26. Service of summons in special cases.-** (1) Where the person summoned is detained in prison the summons shall be delivered or sent to the officer in charge of the prison for service to the person by post or by such courier services as may be approved under sub-rule (3) of rule 22 or by a special messenger or by electronic messaging or by such other means as may be provided by the State Government by notification.

(2) Where the person summoned resides out of India and has no recognized agent or legal practitioner in India empowered to accept service the summons may be addressed to such person at the place where he is residing and sent to him by post or by such courier service as may be approved under sub-rule (3) of rule 22 or by electronic messaging or by such other means as may be provided by the State Government by notification.

**27. Sending letter in lieu of summons.-** (1) The presiding officer of a Revenue Court where he deems fit may, in lieu of summons, send to the person summoned a letter signed by him.

(2) A letter sent under sub-rule (1) shall contain all the particulars required to be stated in a summons, and subject to the provisions of sub-rule (3) shall be treated in all respects as a summons.

(3) Such letter may be sent to the person summoned by post or by a special messenger or in any other manner which the Revenue Court thinks fit; and where the person summoned has a recognised agent empowered to accept service, the letter may be delivered or sent to such recognised agent.



**28. Duty of person summoned.-** Subject to the provisions of the Code a person summoned to appear before a Revenue Court to give evidence shall attend at the time and place named in the summons for that purpose, and a person summoned to produce a document, shall either attend to produce it, or cause it to be produced, at such time and place.

**29. Revenue Court to record its satisfaction of service of summons.-** Whenever a summons is issued under these rules the Revenue Court shall, before taking any adverse action against the person summoned, satisfy itself that the summons was properly served in any one or more modes laid down in these rules and record its satisfaction.

#### B- Notice

**30. Mode of serving notice.-** All notices required by or under the Code to be given or served on any person shall be issued and served in the manner provided for the service of summons.

#### C- Proclamation

**31. Mode of issuing proclamation.-** (1) Whenever a proclamation is issued under the Code, copies thereof shall be posted on the notice boards of the office of the Revenue Officer or Revenue Court issuing it, and the office of Tahsil within which the land to which it refers is situate, and the office of the Local body within which the land to which it refers is situate and displayed at some place of public resort on or adjacent to the land to which it refers.

(2) The Revenue Officer or Revenue Court issuing the proclamation may, if he thinks fit, further cause the proclamation to be published by beat of drum on or near the land to which it refers.

(3) On the request and expenses of a party the Revenue Officer or Revenue Court issuing the proclamation may order the proclamation to be published in a newspaper known to be widely circulated in the locality in which the land is situate.

(4) The state Government may, by notification specify such websites on which such proclamations as may be specified shall be compulsorily uploaded by the Revenue Officer or Revenue Court issuing the proclamation.

(5) The modes of issuing a proclamation shall apply to the issue of prohibitory order.

### D- Other provisions

**32. Summons, notice or proclamation issued by a Revenue Court of other State in India.-** A summons, notice or proclamation issued by any Revenue Court of any other State in India shall be served and executed free of charge by any Revenue Officer or Revenue Court to whom it may be sent.

**33. Expenses of witness summoned.-** (1) The expenses of a witness who is summoned by a Revenue Court at the instance of a party shall be paid by such party.

(2) The expenses of a witness who is summoned by a Revenue Court at its own instance and not at the instance of a party, shall be paid-

(a) if the proceedings is in the nature of a dispute between private parties, by such party or parties and in such proportion as the Revenue Court may deem fit; and

(b) in other cases by the State Government.

(3) The expenses under sub-rules (1) and (2) shall be determined by the Revenue Court in accordance with the guidelines laid down in Schedule A.

(4) Nothing contained in sub-rules (1) and (2) shall apply in case of a serving State Government servant who is summoned to give evidence in official capacity. Such Government servant shall be entitled to Travelling Allowance and Daily Allowance in accordance with his service rules irrespective of whether he is summoned at the instance of a party or at the instance of Revenue Court. For this purpose a witness certificate shall be issued to him in **Form III** by the Revenue Court.

**Explanation.-**(1) The expenses of a witness summoned by a Revenue Court at the instance of the State Government acting as a party shall be paid by the State Government under sub-rule (1).

(2) In case of a State Government servant who is summoned to give evidence in other than official capacity and a retired State Government servant the provisions of sub-rule (1) or (2), as the case may be, shall apply.

(3) For the purpose of this Rule, the term 'State Government servant' includes an employee of a local body.

**34. Payment of expenses to witness.-**(1) The expenses determined by the Revenue Court under sub-rule (3) of rule 33 shall be paid to the witness-

(a) where his evidence is taken, immediately after close of such evidence; or

(b) where the case is adjourned without taking his evidence, prior to such adjournment.

(2) In case a party fails to pay to the witness the Revenue Court may, in order to ensure the payment, make such order as it may deem fit including stay of the proceedings.

**35. Power to require persons present in Revenue Court to give evidence or produce document.-** Any person present in the Revenue Court may be required by the Revenue Court to give evidence or to produce any document then and there in his possession or power.

**36. Forms of summons and bailable warrant- Form IV- A and IV-B.-** may be used for issuing summons and **Form V** may be used for issuing a bailable warrant of arrest under section 34.

### Part-III

#### Evidence

**37. Recording of Statements and depositions.-** Statements of parties and depositions of witnesses shall be recorded personally by the Revenue Court dealing with the case or by the commissioner appointed by it.

**38. Examination-in-chief on affidavit.-** (1) The examination-in-chief of a witness may be on affidavit and copies thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence:

Provided that where documents are files and the parties rely upon the documents, the proof and admissibility of such documents which are filed along with affidavit shall be subject to the orders of the Revenue Court.

(2) The evidence (cross-examination and re-examination) of the witness in attendance, whose evidence (examination-in-chief) by affidavit has been furnished to the Revenue Court shall be taken either by the Revenue Court or by the Commissioner appointed by it.

**39. Admissibility of electronic records in evidence.-** (1) In case of disclosures and inspection of electronic records as defined in the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000), furnishing of printouts shall be sufficient.

(2) At the discretion of the parties or where required (when parties wish to rely on audio or video content), copies of electronic records may be furnished in electronic form either in addition to or in lieu of printouts.

(3) Where electronic records form part of documents disclosed, the declaration on oath to be filed by a party shall specify-

- (a) the parties to such electronic record;
  - (b) the manner in which such electronic record was produced and by whom;
  - (c) the dates and time of preparation or storage or issuance or receipt of each such electronic record;
  - (d) the source of such electronic record and date and time when the electronic record was printed;
  - (e) in case of email ids, details of ownership, custody and access to such email ids;
  - (f) in case of documents stored on a computer or computer resource (including on external servers or cloud), details of ownership, custody and access to such data on the computer or computer resource;
  - (g) deponent's knowledge of contents and correctness of contents;
  - (h) whether the computer or computer resource used for preparing or receiving or storing such document or data was functioning properly or in case of malfunction that such malfunction did not affect the contents of the document stored;
  - (i) that the printout or copy furnished was taken from the original computer or computer resource.
- (4) The parties relying on printouts or copy in electronic form, of any electronic records, shall not be required to produce original electronic records for inspection, provided a declaration is made by such party that each such copy, which has been produced, has been made from the original electronic record.
- (5) The Revenue Court may give directions for admissibility of electronic records at any stage of the proceedings.
- (6) On its own motion or on the request of any party a Revenue Court may issue directions for submission of further proof of any electronic record including metadata or logs before admission of such electronic record.

**40. Enquiry report.-** A Revenue Court, to whom a Revenue case is made over by a superior Revenue Court for enquiry and report should while submitting its report, ascertain from parties or their legal practitioners whether or not they wish to be heard by the Revenue Court passing final orders and record their wishes.

#### **Part-IV**

#### **Commission to examine witness**

**41. Commissioner.-** For the purpose of this Part, the Commissioner means a person to whom a commission is issued by a Revenue Court under rule 42.

**42. Cases in which Revenue Court may issue commission to examine witness.**-(1) A Revenue Court may in any proceedings issue a commission for the examination on interrogatories or otherwise of -

- (a) any person resident within the local limits of its jurisdiction, who is exempted under the Code from attending the Revenue Court, or who is from sickness or infirmity unable to attend it, or if in the interest of justice or for expeditious disposal of the case or for any other reason his examination on commission will be proper; or
- (b) any person resident beyond the local limits of its jurisdiction; or
- (c) any person who is about to leave such limits before the date on which he is required to be examined in Revenue Court; or
- (d) any person who is in the service of the Central or the State Government and who cannot, in the opinion of such Revenue Court, attend without detriment to the public service.

(2) A commission for examination on interrogatories shall not be issued unless the Revenue Court, for reasons to be recorded, thinks it necessary so to do.

(3) The Revenue Court may, for the purpose of this rule, accept a certificate purporting to be signed by a registered medical practitioner as evidence of the sickness or infirmity of any person, without calling the medical practitioner as a witness.

**43. Order for commission.**- An order for the issue of a commission for the examination of a witness may be made by the Revenue Court in Form VI either of its own motion or on the application, supported by affidavit or otherwise, of any party to the proceedings or of the witness to be examined.

**44. Issue of commission to a person or Revenue Court.**- (1) A commission for the examination of a person may be issued to any person whom the Revenue Court thinks fit to execute it, or to any other Revenue Court of equal or lower rank who can conveniently examine such person.

(2) Every Revenue Court receiving a commission for the examination of any person shall examine him or cause him to be examined pursuant thereto.

(3) The Revenue Court on issuing any commission under this rule shall direct whether the commission shall be returned to itself or to any Revenue Court subordinate to it.

**45. Return of commission with evidence.**-(1) Where a commission has been duly executed, it shall be returned, together with the evidence taken under it, to

the Revenue Court by whom it was issued, unless the order for issuing the commission has otherwise directed, in which case the commission shall be returned in terms of such order.

(2) The commission and the return thereto and the evidence taken under it shall, subject to the provisions of rule 46, form part of the record of the proceedings.

**46. When depositions may be read in evidence.**-Evidence taken under a commission shall not be read as evidence in the proceedings without consent of the party against whom the same is offered, unless -

(a) the person who gave the evidence is beyond the jurisdiction of the Revenue Court, or dead or unable from sickness or infirmity to attend to be personally examined, or exempted from personal appearance in Revenue Court, or is a person in the service of the Central or the State Government who cannot, in the opinion of the Revenue Court, attend without detriment to the public service; or

(b) the Revenue Court in its discretion dispenses with the proof of any of the circumstances mentioned in clause (a) and authorises the evidence of any person being read as evidence in the proceedings; notwithstanding proof that the cause for taking such evidence by commission has ceased at the time of reading the same.

**47. Expenses of commission.**- The Revenue Court may order that such sums, as it thinks reasonable for the expenses of the commission shall be paid by the party at whose instance or for whose benefit the commission is issued within such time as fixed by it.

**48. Attendance and examination of witnesses before Commissioner.**-(1) The provisions of the Code and Part III of these rules relating to the summoning, attendance and examination of witnesses, and to the remuneration of, and penalties to be imposed upon witness, shall apply to persons required to give evidence or to produce documents under this Part and for the purposes of this rule the Commissioner shall be deemed to be a Revenue Court:

Provided that when the Commissioner is not a Revenue Court he shall not be competent to impose penalties; but such penalties may be imposed on the application of such Commissioner by the Revenue Court by which the commission was issued.

(2) A Commissioner may apply to any Revenue Court of a rank below Collector within the local limits of whose jurisdiction a witness resides, for the

issue of any process which he may find it necessary to issue to, or against, such witness, and such Revenue Court may, in its discretion, issue such process as it considers reasonable and proper.

**49. Parties to appear before Commissioner.-** (1) Where a commission is issued under these rules, the Revenue Court shall direct that the parties to the proceedings shall appear before the Commissioner in person or by their recognised agents or legal practitioners.

(2) Where all or any of the parties do not so appear, the Commissioner may proceed in their absence.

#### **Part-V Order**

**50. Opportunity of hearing.-** No final order shall be passed by a Revenue Court to the detriment of any person without giving him an opportunity to be heard and hearing him if he so desires and where the conflicting rights and interests of two parties are concerned they shall both be given such an opportunity.

**51. Passing final order.-**(1) Final order in a case shall be recorded personally by the Revenue Court.

(2) The following procedure shall be followed by Revenue Court in respect of passing final order in a case-

- (a) after arguments are heard, a definite date shall be fixed for passing of final order and signature of parties or counsel shall be taken on the order-sheet in token of their having been informed of the date fixed; and
- (b) on the date so fixed, the order shall be delivered. If parties or counsels are present, their presence shall be recorded. If they are absent, the order-sheet should indicate their absence in spite of having been intimated of the date of the order. In such case, no further communication of the order to the parties shall be necessary. In case of an appeal or revision a copy shall, as usual, be sent to the original Revenue Court for information.

(3) The order shall be delivered on the date fixed. If, however, this is not possible for any reason, a next date shall be fixed which shall not be later than

fifteen days. The parties to the case may note the same and appear on the next date so fixed.

**52. Contents of original order.-** (1) Every original order passed by a Revenue Court in a case shall contain-

- (a) a concise statement of the case;
- (b) the points for determination;
- (c) findings on each point for determination and reasons thereof; and
- (d) decision of the case.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Revenue Court may pass a summary order in the following circumstances-

- (a) rejection of an application on the grounds of want of jurisdiction or limitation;
- (b) dismissal of a case in default;
- (c) decision in an undisputed case;
- (d) decision on an interlocutory application in a case; or
- (e) passing an interim order in a case.

## Part-VI Attachment

**53. Attachment of movable property other than agricultural produce in possession of defaulter.-** (1) Where the property to be attached is movable property other than agricultural produce, in the possession of the defaulter, the attachment shall be made by actual seizure, and the attaching officer shall keep the property in his own custody or in the custody of any of his subordinates and shall be responsible for the due custody thereof.

(2) When the property seized is subject to speedy and natural decay or when the expense of keeping it in custody is likely to exceed its value, the attaching officer may sell it at once.

(3) When the property attached consists of live-stock, agricultural implements or other articles which cannot be conveniently removed, and the attaching officer does not act under sub-rule (2), he may at the instance of the defaulter



or any person claiming to be interested in such property, leave it in the village or at the place where it has been attached-

- (a) in the charge of the defaulter, or of the station pound-keeper, if any; or
- (b) in the charge of the person claiming to be interested in such property or of such respectable person as will undertake to keep such property. Such person shall be required to give a bond with one or more sureties of an amount not less than the value of the property, that he will take proper care of such property and produce it when called for.

(4) The attaching officer shall make a list of the property attached and shall obtain thereto the acknowledgement of the person in whose custody the property is left, and if possible, of the defaulter and of at least one respectable person in attestation of the correctness of the list. If the property attached includes both live-stock and other articles a separate list of the live-stock shall similarly be prepared and attested.

**54. Attachment of agricultural produce.-** (1) Where the property to be attached is agricultural produce, the attachment shall be made by affixing a copy of the warrant of attachment-

- (a) where such produce is a growing crop, on the land on which such crop has grown; or
- (b) where such produce has been cut or gathered, on the threshing floor or place for treading out grain or the like or fodder-stack on or in which it is deposited;

and another copy on the outer door or on some other conspicuous part of the house in which the defaulter ordinarily resides or if there is no such house, on the outer door or on some other conspicuous part of the house in which he carries on business or personally works for gain or in which he is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain; and the produce shall thereupon be deemed to have passed into the possession of the Revenue Court.

(2) The attaching officer shall make such arrangements for the custody of the agricultural produce as he may consider sufficient and also to tend, cut, gather and store the produce and do any other act necessary for maturing or preserving it.

(3) The costs incurred under sub-rule (2) shall be borne by the defaulter.

(4) Agricultural produce attached as a growing crop shall not be deemed to have ceased to be under attachment or to require re-attachment merely because it has been severed from the soil.

(5) Where an order for the attachment of a growing crop has been made at a considerable time before the crop is likely to be fit to be cut or gathered, the Revenue Court may suspend the execution of the order for such time as it thinks fit, and may, in its discretion, make a further order prohibiting the removal of the crop pending the execution of the order of attachment.

**55. Expenditure incurred on attached property.-** (1) Where the livestock attached is not left in the charge of the defaulter, the expenses for feeding and watering it shall be charged at such rate as the Revenue Court may, by general or special order, fix.

(2) Where the property attached is movable property other than livestock, and is not left in the charge of the defaulter, the expenditure for its safe custody shall be charged at such rate as the Revenue Court may, by general or special order, fix.

(3) The costs incurred under sub-rules (1) and (2) shall be first charge on the sale-proceeds of the property.

**56. Attachment of debt, share, bank account, bank locker and other property not in possession of defaulter.-** (1) In the case of a debt not secured by a negotiable instrument, the attachment shall be made by a written order, prohibiting the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof until the further order of the Revenue Court.

(2) In the case of a share in the capital of a corporation, the attachment shall be made by a written order, prohibiting the person in whose name the share may be standing from transferring the same or receiving any dividend thereon.

(3) In the case of a bank account or a bank locker, the attachment shall be made by a written order, prohibiting the manager of the bank from permitting withdrawal or transfer of money from such bank account or opening of such bank locker without the order of the Revenue Court.

(4) In the case of other movable property not in the possession of the defaulter, except property deposited in, or in the custody of, any Court, the attachment shall be made by a written order prohibiting the person in possession of the same from giving it over to the defaulter.

(5) A copy of order passed under sub-rule (1), (2), (3) or (4) shall be affixed on some conspicuous part of the Revenue Court, and another copy shall be sent in the case of the debt to the debtor, in the case of the share to the proper officer of the corporation or in case of bank account or bank locker to the bank manager and in the case of the other movable property except as aforesaid to the person in possession of the same.

(6) A debtor prohibited under sub-rule (1) may pay the amount of his debt into Revenue Court, and such payment shall discharge him as effectually as payment to the party entitled to receive the same.

**57. Notice to garnishee.-** (1) The Revenue Court may in the case of a (debt other than a debt secured by a mortgage or a charge) which has been attached under rule 56 upon the application of the attaching creditor, issue notice as per sub-rule (2) to the garnishee liable to pay such debt.

(2) Such notice shall call upon the garnishee either to pay into the government treasury for the bank account of the organisation on whose instance the attachment has been made, as specified by the Revenue Court the debt due from him to the defaulter or so much thereof as may be sufficient to satisfy the recovery and costs of execution, or to appear and show cause why he should not do so.

**58. Order against garnishee.-** Where the garnishee does not forthwith pay into the government treasury or such bank account, as the case may be, the amount due from him to the defaulter or so much thereof as is sufficient to satisfy the recovery and the costs of execution, and does not appear and show cause in answer to the notice, the Revenue Court may order the garnishee to comply with the terms of such notice, and on such order, execution may issue as though such order were a recovery due against him.

**59. Orders on disputed liability.-** Where the garnishee disputes liability, the Revenue Court after enquiry shall make such order as it deems fit.

**60. Procedure where debt belongs to third person.-** Where it is suggested or appears to be probable that the debt belongs to some third person, or that any third person has a lien or charge on, or other interest in such debt, the Revenue Court may order such third person to appear and state the nature and particulars of his claim, if any, to such debt and prove the same.

**61. Order as regards third person.-** After hearing any such third person and any such persons who may subsequently be ordered to appear, or where such third or other persons do not appear when so ordered, the Revenue Court may make such order -

(a) as is herein before provided; or

(b) upon such terms, if any, with respect to the lien, charge or interest, as the case may be, of such third or other persons as it may deem fit and proper.

**62. Payment by garnishee to be valid discharge.-** Payment made by the garnishee on notice under rule 57 or under any such order as aforesaid shall be a valid discharge to him as against the defaulter and any other person ordered to appear as aforesaid for the amount paid or levied, notwithstanding setting aside or reversal of the recovery of dues or proceedings under rule 57.

**63. Costs.-** The costs of any proceeding under rule 57 or any proceedings arising therefrom or incidental thereto shall be recovered from the defaulter at the discretion of the Revenue Court.

**64. Attachment of share in movables.-** Where the property to be attached consists of the share or interest of the defaulter in movable property belonging to him and another as co-owners, the attachment shall be made by a notice to the defaulter prohibiting him from transferring the share or interest or charging it in anyway.

**65. Attachment of salary or allowances of employees.-** (1) Where the property to be attached is the salary or allowances of an employee, the Revenue Court, where the disbursing officer of the employee is within the local limits to which the Code for the time being extends, may order that the amount shall, subject to the provision of Section 60 of the Civil Procedure Code, 1908 (No 1 of 1908), be withheld from such salary or allowances either in one payment or by monthly instalments and deposited in the government treasury or the bank account of the organisation on whose instance the attachment is made as specified by the Revenue Court.

(2) Upon notice of the order, such disbursing officer shall so deposit the amount due under the order, or the monthly instalments, as the case may be, in the manner specified above.

(3) Where the attachable portion of such salary or allowances is already being withheld or remitted to any Court or deposited in pursuance of a previous and unsatisfied order of attachment, the disbursing officer shall forthwith return the subsequent order to the Revenue Court issuing it with a full statement of all the particulars of the existing attachment.

**66. Attachment of partnership property.-** (1) Save as otherwise provided by this rule, property belonging to a partnership shall not be attached or sold in execution of recovery of dues against the firm or against the partners in the firm as such.

(2) The other partner or partners shall be at liberty at any time to redeem the interest charged or, in the case of a sale being directed, to purchase the same.

**67. Execution of recovery against firm.-** (1) Where order of recovery has been passed against a firm the recovery may be made from-

(a) any property of the partnership;

(b) any person who has been individually served as a partner with a summons and has failed to appear:

Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to limit or otherwise affect the provisions of Section 30 of the Indian Partnership Act, 1932 (No 9 of 1932).

(2) Save as against any property of the partnership, an order related to recovery against a firm shall not release, render liable or otherwise affect any partner therein unless he has been served with a summons to appear and answer.

**68. Attachment of negotiable instruments.-** Where the property is a negotiable instrument not deposited in any other Court, nor in the custody of a public officer, the attachment shall be made by actual seizure, and the instrument shall be brought into Revenue Court and held subject to further orders of the Revenue Court.

**69. Application to negotiable instruments.-** ~~The provisions of rule 57 to 63~~ (both inclusive) shall, so far as may be, apply in relation to negotiable instruments attached under rule 68 as they apply in relation to debts.

**70. Attachment of property in custody of any Court or public officer.-** ~~Where the property to be attached is in the custody of any Court or public~~

officer, the attachment shall be made by sending a written request to such Court or officer, to hold such property, and any interest or dividend becoming payable thereon, subject to the further orders of the Revenue Court from which the request is sent.

**71. Attachment of decrees.-** (1) Where the property to be attached is a decree, either for the payment of money or for sale in enforcement of a mortgage or charge, the attachment shall be made by the Revenue Court by sending a request to the Court which passed such decree to stay the execution of its decree unless and until,-

(a) the Revenue Court cancels the request; or

(b) the decree holder, with the permission of the Revenue Court applies to the Court which passed the decree to execute the attached decree.

(2) Where the property to be attached in the execution of a decree is a decree other than a decree of the nature referred to in sub-rule (1), the attachment shall be made by the Revenue Court by sending,-

(a) a notice to the holder of the decree prohibiting him from transferring or charging the same in any way; and

(b) a written request to the Court which passed the decree to stay its execution until such request is cancelled by the Revenue Court.

(3) The Revenue Court making an order of attachment under this rule shall give notice of such order to the judgment-debtor bound.

**72. Attachment of immovable property.-** (1) Where the property is immovable, the attachment shall be made by an order prohibiting the defaulter from transferring or charging the property in any way, and all persons from taking any benefit from such transfer or charge.

(2) The order shall be proclaimed at some place on or adjacent to such property by beat of drum or other customary mode, and a copy of the order shall be affixed on a conspicuous part of the property and then on the notice board of the office of the Revenue Court.

(3) The order shall take effect as against purchasers for value in good faith from the date when a copy of the order is affixed on the property and against all other transferees from the defaulter from the date on which such order is made.

**73. Disposal of claim by third persons.-** (1) If any claim is set up by a third person to the property attached or proceeded against under the provisions of the Code, the Revenue Court shall enquire into the claim and may admit or reject it.

(2) The person against whom an order is made under sub-rule (1) may, within one year from the date of the order, institute a suit to establish the right which he claims to the property attached or proceeded against; but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.

### Part-VII

#### Appointment of receiver for attached property

**74. Appointment of receiver.-** (1) Where it appears to the Revenue Court to be just and convenient, it may by order-

- (a) appoint a receiver of any property which is attached or has been attached by its order;
- (b) remove any person from the possession or custody of such property;
- (c) commit such property to the possession, custody or management of the receiver; and
- (d) confer upon the receiver all such powers, for the realization, management, protection, preservation and improvement of such property, the collection of the rents and profits thereof, the application and disposal of such rents and profits, and the execution of documents as the owner himself has, or such of those powers as the Revenue Court thinks fit.

**75. Remuneration.-** The Revenue Court may by general or special order fix the amount to be paid as remuneration for the services of the receiver which shall be charged on the property.

**76. Duties.-** Every receiver so appointed shall-

- (a) furnish such security (if any) as the Revenue Court thinks fit, duly to account for what he shall receive in respect of such property;
- (b) submit his accounts at such periods and in such form as the Revenue Court directs;
- (c) pay the amount due from him as the Revenue Court directs; and

(d) be responsible for any loss occasioned to the property by his willful default or gross negligence.

**77. Enforcement of receiver's duties.-** Where a receiver-

- (a) fails to pay the amount due from him as the Revenue Court directs; or
- (b) occasions loss to the property by his willful default or gross negligence;

the Revenue Court may recover any amount found to be due from him or any loss occasioned by him, as an arrear of land revenue.

## **Part-VIII**

### **Sale**

#### **A- Sale Generally**

**78. Sale by whom conducted.-** Every sale shall be conducted by an officer or other person appointed by a general or special order in this behalf and shall be made by public auction.

**79. Proclamation of sale.-** (1) The Revenue Court shall cause a proclamation of the intended sale to be made stating the time and place of sale and specifying as fairly and accurately as possible-

- (a) the property to be sold or where a part of the property would be sufficient to satisfy the dues, such part;
- (b) the land revenue assessed upon the land where the property to be sold is an interest in land paying revenue to the Government;
- (c) the amount for the recovery of which the sale is ordered; and
- (d) every other thing which the Revenue Court considers material for a purchaser to know in order to judge the nature and the value of the property.

(2) The Revenue Court may, if it considers necessary, summon the defaulter and examine him with respect to any matters to be included in the sale proclamation.

**80. Payment or deposit of amount how made.-** In this part any reference to payment or deposit made or tendered to Revenue Court or officer or person conducting sale shall be construed as the deposit of such amount as directed by the Revenue Court who has ordered the sale-



- (a) in the government treasury;
- (b) in the bank account of the organisation whose dues are being recovered; or
- (c) in the bank account of the defaulter to pay the balance amount after deducting the amount due and costs.

**81. Day for sale and limitation.-** Save in the case of property of the kind described in sub-rule (2) of rule 53, no sale hereunder shall, without the consent in writing of the defaulter take place-

- (a) on Sunday or on any government holidays or on any day declared as a local holiday for the area in which the sale is to be held; and
- (b) until after the expiration of at least fifteen days from the date on which the proclamation thereof was made.

**82. Adjournment or stoppage of sale.-** (1) The Revenue Court may, in its discretion, adjourn any sale hereunder to a specified day and hour and the officer conducting any such sale may, in his discretion, adjourn the sale recording his reasons for such adjournment:

Provided that where the order of the Revenue Court can be obtained in time, no such adjournment shall be made without such order.

- (2) Where a sale is adjourned under sub-rule (1) for a longer period than fifteen days, a fresh proclamation shall be made unless the defaulter consents to waive it.
- (3) Every sale shall be stopped if, before the lot is knocked down, the amount due and costs are tendered to the officer conducting the sale, or proof is given to his satisfaction that the amount of such dues and costs have been paid to the Revenue Court who ordered the sale.

**83. Defaulting purchaser answerable for loss on re-sale.-** Any deficiency of price which may happen on a re-sale by reason of the purchaser's default shall be recoverable from the defaulting purchaser as if it were an arrear of land revenue.

**84. Mortgagee not to bid at sale without the leave of the Court.-** (1) A mortgagee of immovable property shall not bid for or purchase property sold in execution of a sale on the mortgage unless the Revenue Court grants him leave to bid for or purchase the property.

(2) If leave to bid is granted to such mortgagee, then the Revenue Court shall fix a reserve price as regards the mortgagee, and unless the Revenue Court otherwise directs, the reserve price shall be-

- (a) not less than the amount then due for principal, interest and costs in respect of the mortgage if the property is sold in one lot; and
- (b) in the case of any property sold in lots, not less than such sum as shall appear to the Revenue Court to be fairly attributable to each lot in relation to the amount then due for principal, interest and costs on the mortgage.

**85. Restriction on bidding or purchase by officers.-** No officer or other person having any duty to perform in connection with any sale shall, either directly or indirectly, bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.

#### **B- Sale of movable property**

**86. Sale of agricultural produce.-** (1) Where the property to be sold is agricultural produce, the sale shall be held-

- (a) if such produce is a growing crop, on or near the land on which such crop has grown; or
- (b) if such produce has been cut or gathered, at or near the threshing floor or place for treading out grain or the like or fodder stack :

Provided that the Revenue Court may direct the sale to be held at the nearest place of public resort, if it is of opinion that the produce is thereby likely to sell to greater advantage.

(2) Where, on the produce being put up for sale-

- (a) a fair price, in the estimation of the officer holding the sale, is not offered for it; and
- (b) the owner of the produce or a person authorised to act in his behalf applies to have the sale postponed till the next day or, if a market is held at the place of sale, the next market day;

the sale shall be postponed accordingly and shall be then completed, whatever price may be offered for the produce.

**87. Special provisions relating to growing crops.-** (1) Where the property to be sold is a growing crop and the crop from its nature admits of being stored but has not yet been stored, the day of the sale shall be so fixed as to admit of its

being made ready for storing before the arrival of such day, and the sale shall not be held until the crop has been cut or gathered and is ready for storing.

(2) Where the crop from its nature does not admit of being stored, or where it appears to the Revenue Court that the crop can be sold to greater advantage in an unripe state, it may be sold before it is cut and gathered, and the purchaser shall be entitled to enter on the land and to do all that is necessary for the purpose of tending and cutting or gathering it.

**88. Negotiable instruments and shares in corporations.-** Where the property to be sold is a negotiable instrument or a share in a corporation, the Revenue Court may, instead of directing the sale to be made by public auction, authorize the sale of such instrument or share through a broker.

**89. Sale by public auction.-** (1) Where movable property is sold by public auction, the price of each lot shall be paid at the time of sale or as soon after as the officer or other person holding the sale directs, and in default of payment the property shall forthwith be resold.

(2) On payment of the purchase money, the officer or other person holding the sale shall grant a receipt for the same, and the sale shall become absolute.

(3) Where the movable property to be sold is a share in goods belonging to the defaulter and a co-owner, and two or more persons, of whom one is such co-owner, respectively bid the same sum for such property or for any lot, the bidding shall be deemed to be the bidding of the co-owner.

**90. Irregularity not to vitiate sale but any person injured may sue.-** No irregularity in publishing or conducting the sale of movable property shall vitiate the sale; but any person sustaining any injury by reason of such irregularity at the hand of any other person may institute a suit against him for compensation or (if such other person is the purchaser) for the recovery of the specific property and for compensation in default of such recovery.

**91. Delivery of movable property, debts and share.-** (1) Where the property sold is movable property of which actual seizure has been made, it shall be delivered to the purchaser.

(2) In the case of any other movable property, the Revenue Court may make an order vesting such property in the purchaser or as he may direct; and such property shall vest accordingly.

(3) Where the property sold is a debt not secured by a negotiable instrument, or is a share in a corporation, the delivery thereof shall be made by a written order of the Revenue Court-

- (a) prohibiting the creditor from receiving the debt or any interest thereon, and the defaulter from making payment thereof to any person except the purchaser; or
- (b) prohibiting the person in whose name the share may be standing from making any transfer of the share to any person except the purchaser, or receiving payment of any dividend or interest thereon, and the manager, secretary or other proper officer of the corporation from permitting any such transfer or making any such payment to any person except the purchaser.

### C- Sale of immovable property

**92. Deposit by purchaser and re-sale on default.-** On every sale of immovable property the person declared to be the purchaser shall pay immediately after such declaration a deposit of twenty-five per cent on the amount of his purchase money to the officer or other person conducting the sale, and in default of such deposit, the property shall forthwith be re-sold.

**93. Time for payment of purchase money.-** The full amount of purchase money payable shall be paid by the purchaser within fifteen days from the date when the sale becomes absolute under rule 99.

**94. Procedure in default of payment-**In default of payment within the period mentioned in rule 93, the deposit may, if the Revenue Court thinks fit after defraying the expenses, of the sale, be forfeited to the Government or the organisation whose dues are being recorded, as the case may be, and the property shall be resold and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.

**95. Application to setaside sale on deposit.-** (1) Where immovable property has been sold under the Code, any person claiming an interest in the property

sold at the time of sale may, at any time within thirty days from the date of sale, apply to the Revenue Court to have the sale set aside on his depositing-

- (a) for payment to the purchaser, a sum equal to five per cent of the purchase money;
- (b) for payment on account of the arrear, the amount specified in the proclamation of sale as that for the recovery of which the sale was ordered less any amount which may have been paid since the date of the sale on this account; and
- (c) the cost of the sale.

(2) If such deposit is made within thirty days from the date of the sale the Revenue Court shall pass an order setting aside the sale:

Provided that, if a person applies under rule 96 to have such sale set aside, he shall not be entitled to make an application under this rule.

**96. Application to set aside sale on ground of irregularity or fraud.-** (1) At any time within thirty days from the date of sale, any person whose interests are affected by such sale may apply to the Revenue Court to set aside the sale on the ground of some material irregularity or fraud in publishing or conducting it, and the Revenue Court may, after giving notice to the persons affected thereby, pass an order setting aside the sale and may order re-sale; but no sale shall be set aside on such grounds unless the applicant proves to the satisfaction of the Revenue Court that he has sustained substantial injury by such irregularity or fraud.

(2) If no application under this rule is made within the time allowed therefor, all claims on the grounds of irregularity or fraud shall be barred.

(3) No application to set aside a sale under this rule shall be entertained upon any ground which the applicant could have taken on or before the date on which the proclamation of sale was drawn up.

**97. Application by purchaser to set aside sale on ground of defaulter having no saleable interest.-** Except in a case where land has been sold for arrears, which form a charge on the land, the purchaser may, at any time within thirty days from the date of sale, apply to the Revenue Court to set aside the sale on the ground that the defaulter had no saleable interest in the property sold and the Revenue Court shall, after due inquiry, pass such orders on such application as it deems fit.

**98. No re-sale without a fresh proclamation.-** No re-sale under rule 96 shall be made until a fresh proclamation has been published as laid down in rule 79.

**99. Sale when to become absolute or be set aside.-** On the expiry of thirty days from the date of sale, if no application has been made under rule 95, 96 or 97 or if such application has been made and rejected, the Revenue Court shall pass an order confirming the sale:

Provided that, if the Collector has reason to think that the sale ought to be set aside-

- (i) notwithstanding that no such application has been made; or
- (ii) on grounds other than those alleged in any application which has been made and rejected; or
- (iii) notwithstanding that a period of thirty days from the date of sale has expired;

he may, after recording his reasons in writing, set aside the sale at any time before the order confirming the sale is passed by such Revenue Court.

**100. Refund of purchase money when a sale is set aside.-** If the sale of any property is set aside under rule 95, 96, 97 or 99 the amount of purchase money deposited by the purchaser shall be refunded to him.

#### **D- Certificate of purchase and delivery of possession**

**101. Certificate to purchaser.-** (1) If the sale of any immovable property has been confirmed, the Revenue Court shall grant a certificate to the purchaser specifying the date on which the sale is confirmed, the property sold, and the name of the purchaser and shall put the purchaser in possession of such property.

(2) The purchaser shall be responsible to ensure compliance with the provisions of the Registration Act, 1908 (No 16 of 1908) in respect of the sold property.

**102. Resistance or obstruction to possession of immovable property.-** (1) Where the purchaser is resisted or obstructed by any person in obtaining possession of the property, he may make an application to the Revenue Court complaining of such resistance or obstruction.

(2) The Revenue Court shall fix a date for investigating the matter and shall summon the party against whom the application is made to appear and answer the same.

(3) Where the Revenue Court is satisfied that the resistance or obstruction was occasioned-

- (a) by the defaulter or some other person at his instigation; or
- (b) by any person in the case of a purchase of land sold for arrears of land revenue due in respect thereof;

he shall direct that the purchaser be put into possession of the property.

**103. Orders regarding delivery of possession after sale.-** (1) Where in any case to which sub-rule (3) of rule 102 does not apply, the Revenue Court is satisfied that the resistance or obstruction was caused by any person claiming in good faith to be in possession of the property on his own account or on account of some person other than the defaulter, the Revenue Court shall make an order dismissing the application made under rule 102.

(2) Where any person other than the defaulter is dispossessed of immovable property by the purchaser of such property, he may make an application to the Revenue Court complaining of such dispossession.

(3) The Revenue Court shall fix a date for investigating the matter and shall summon the purchaser to appear and answer the same.

(4) Where the Revenue Court is satisfied that the applicant was in possession of the property on his own account, or on account of some person other than the defaulter, he shall direct that the applicant be put into possession of the property.

(5) Any party not being a defaulter against whom an order is made under sub-rule (3) of rule 102 or sub-rule (1) or sub-rule (4) of this rule, may institute a suit to establish the right which he claims to the present possession of the property but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.

### Part-IX

#### Proceedings by or against minor and person of unsound mind

**104. Minor to institute proceedings by guardian.-** Every application by a minor shall be filed in his name by a person acting as the guardian of the minor.

**105. Guardian for the proceedings to be appointed by Revenue Court for minor non-applicant.-** Where the non-applicant is a minor the Revenue Court

on being satisfied of the fact of his minority, shall appoint a proper person to be guardian of such minor for the purpose of the proceedings.

**106. Who may act as or be appointed guardian for the proceedings.-** Any person who is of sound mind and has attained majority and whose interest is not adverse to that of the minor may act as or be appointed guardian for a minor party in the proceedings.

**107. Expenses incurred by guardian of non-applicant.-**In the case where a non-applicant is a minor and the guardian appointed has no funds to meet the necessary expenses, the Revenue Court may direct the applicant to deposit a sufficient sum for the purpose. The costs so incurred by the applicant shall be adjusted in accordance with the final order passed in respect of the costs.

**108. Agreement by guardian.-** (1) No guardian shall, without the leave of the Revenue Court, expressly recorded in the proceedings, enter into any agreement or compromise on behalf of a minor with reference to the proceedings in which he acts as or is appointed his guardian.

(2) Any such agreement or compromise entered into without the leave of the Revenue Court, so recorded, shall be voidable against all parties other than the minor.

**109. Rules 104 to 108 to apply to persons of unsound mind.-**The provisions contained in rules 104 to 108 (inclusive both), shall apply *mutatis mutandis* to persons of unsound mind.

### Part-X

#### Appeal, revision and review

**110. Presentation and registration of memorandum of appeal or application for revision or review.-** The provisions of rules 7 to 13 (both inclusive) shall *mutatis mutandis* apply to the presentation of a memorandum of appeal or application for revision or review and its registration.

**111. Appeal, revision and review to be in the form of memorandum.-**Every appeal and every application for revision or review shall be preferred in the



form of a memorandum, signed and dated by the appellant or applicant, or his recognized agent or his legal practitioner, or if the petitioner or applicant is illiterate, bearing his thumb-mark attested by the signature of one literate person and presented in accordance with the provisions of Section 39.

**112. Petition for appeal, revision or review to be accompanied by certified copy of order.**- Every petition for appeal, revision or review shall be accompanied by a certified copy of the order, to which objection is made unless the Revenue Court hearing the petition dispenses with the production of such copy under section 48. Where such order is not complete in itself and refers, for its reasons, to or is otherwise founded on some other report or order, a certified copy of such report or order shall also be filed along with that of the order itself.

**113. Application for stay of execution of order.**- A prayer for stay of execution of an order shall not be embodied in the memorandum of appeal or application for revision or review, but shall be made by a separate application. Such application shall state whether an application for stay of execution of the order was made to the lower court, and if so, with what result.

**114. Grounds which may be taken in appeal, revision or review.**- The petitioner shall not, except by leave of the Revenue Court, urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the petition for appeal, revision or review, but the Revenue Court, in deciding the appeal, revision or review shall not be confined to the grounds of objections set forth in the petition for appeal, revision or review or taken by leave of the Revenue Court under this rule:

Provided that the Revenue Court shall not rest its decision on any other ground without giving the parties sufficient opportunity of hearing on that ground.

**115. Consolidation of appeals or applications for revision or review.**-(1) A Revenue Court may consolidate appeals or applications for revision or review, if-

(a) all the parties to such proceedings agree to such consolidation; and

(b) all such proceedings involve common questions of law and facts.

**116. Issue of notices.**-(1) If memorandum of appeal or application for revision or review, is in order, Revenue Court shall order issue of notice for hearing appellant or applicant or both parties and a date shall be fixed, and intimation of the date shall be given to the appellant or applicant or his counsel or to both parties.

(2) The notice issued to respondent under sub-rule (1) shall be accompanied with copy of the memorandum of appeal or application for revision or review as the case may be.

(3) Cases shall ordinarily be fixed in order of registration.

**117. Application for condonation of delay.**- (1) When a memorandum of appeal or application for revision or review is presented after the expiry of the period of limitation specified therefor, it shall be accompanied by an application supported by affidavit setting forth the facts on which the petitioner relies to satisfy the Revenue Court that he had sufficient cause for not preferring the memorandum of appeal or the application for revision or review within such period.

(2) If the Revenue Court sees no reason to reject the application for condonation of delay without the issue of a notice to the respondent, notice thereof shall be issued to the respondent and the Revenue Court shall first decide on the matter of condonation of delay before it proceeds to deal with the appeal, revision or review on merits.

**118. Obtaining records of the subordinate Court.**-(1) Revenue Court shall, after admission of an appeal or application for revision, immediately send for the records of the subordinate Revenue Court, if they have not already been received.

(2) When records of proceedings pending in the subordinate Revenue Court are sent for they should be retained with the appellate or revisional court only as long as it is absolutely necessary and be returned to the subordinate Revenue Court and called back as convenience permits.

(3) The State Government may, on such terms and conditions as it may think fit, permit electronic transmission of records of cases or documents between Revenue Courts or Revenue Officers.

(4) The Revenue Court or Revenue Officer receiving records of a case or documents in electronic form may treat them as if they were in physical form.

(5) Notwithstanding the provisions of sub-rule (3) and (4) a Revenue Court, in its discretion, may call for the original records or documents of a case.

**Explanation.-** For the purpose of this rule, the term 'document' includes enquiry report, spot inspection report or order of Revenue Court.

**Part -XI**  
**Miscellaneous**

**119. Affidavit.-**(1) The following petitions shall be accompanied by an affidavit made by the applicant or petitioner or his counsel, unless the Revenue Court hearing the case dispenses with this requirement-

- (a) for review made on the ground of the discovery of new and important evidence;
- (b) for re-admission or restoration of an appeal or application for revision dismissed in default of appearance;
- (c) for substitution of parties.

(2) Nothing in sub-rule (1) above shall be deemed to limit the right of the Revenue Court to call for an affidavit in any other matter in respect of which it has power to exercise its discretion or make any order.

**120. Date for hearing if the date fixed for hearing is a holiday.-** If the date fixed for hearing or the date to which hearing is adjourned, happens to be a holiday, the hearing so fixed or adjourned shall stand fixed or adjourned to the next working day immediately following such holiday.

**121. Case fee.-** (1) The applicant or petitioner shall be required to pay case fee as may be fixed, from time to time, by the State Government by notification in official gazette :

Provided that no case fee shall be payable if the applicant or petitioner is the State Government.

(2) The case fee shall only cover the cost of -

- (a) court fee;
- (b) process fee for issue of notices and summons to the parties and witnesses but does not include ~~the travelling and other expenses required to be paid to witness;~~ and
- (c) proclamations, but not including the cost of publishing them in newspapers.

(3) Case fee shall be paid by applicant or petitioner in the manner as directed by the State Government, from time to time.

**122. Cause-lists.-** (1) A cause-list showing all cases fixed for hearing by a Revenue Court shall be maintained in the office of the Revenue Court in Form VII and shall remain accessible to the public during office hours.

(2) Revenue Court shall display daily cause-list on its notice board in Form VIII.

(3) The State Government may establish an electronic system to maintain the cause-lists referred to in sub-rule (1) and (2) and make these accessible to the public and may amend these from time to time.

**123. Award of costs.-** (1) While awarding costs under Section 37 the Revenue Court shall keep in mind principles set out in sub-rules (2) to (4).

(2) Except where award of costs from a party is expressly provided for by any provision of the Code, or any other enactment for the time being in force, costs shall not be levied or awarded by a Revenue Court, in a case which is undertaken in the administrative or fiscal interests of the State Government.

(3) In cases of continuous character, as for instance in disputed mutations and boundary cases, cost may be fitly awarded.

(4) Charges such as the costs of stamps on a Mukhtyarnama or Vakalatnama or fees for writing out petitions should be rarely included in the costs.

**124. Legal practitioners.-** (1) No legal practitioner shall act for any party before any Revenue Court in any proceeding under the Code or the rules made thereunder, unless he has been appointed for the purpose by such party by a document in writing signed by such party or by his recognised agent or by some other person duly authorised by or under a power of attorney to make such appointment.

(2) Every such appointment shall be filed before the Revenue Court, and shall be deemed to be in force until determined with the leave of the Revenue Court by a writing signed by the party or the legal practitioner, as the case may be, and filed before the Revenue Court or until the party or the legal practitioner dies or until all proceeding in the case are ended so far as regards the party.

(3) For the purposes of sub-rule (2), an appeal from any order in the case, an application for revision or review and any application or act for the purpose of obtaining copies of documents or return of document produced or filed in the case or of obtaining refund of moneys paid before the Revenue Court in connection with the case shall be deemed to be proceedings in the case.

(4) If the party is unable to write his name, his thumb mark upon the document appointing the legal practitioner or upon the writing determining such appointment shall be attested by a witness.

(5) No legal practitioner, who has been engaged for the purpose of pleading only, shall plead on behalf of any party, unless he has laid before the Revenue Court a memorandum of appearance signed by himself and stating-

- (a) The names of the parties to the case;
- (b) The name of the party for whom he appears; and
- (c) The name of the person by whom he is authorised to appear:

Provided that nothing in this rule shall apply to any legal practitioner engaged to plead on behalf of any party by any other legal practitioner who has been duly appointed to act before the Revenue Court on behalf of such party.

**125. Recognised Agents.-** (1) A recognized agent by whom appearances and applications may be made and other acts done on behalf of a party in proceedings under the Code or any other enactment for the time being in force before a Revenue Court shall be a permanent servant, a partner, a relative or a friend of the party concerned who, from his knowledge of the matter in dispute or general acquaintance with the affairs of the party, is in the opinion of the Revenue Court a fit person to represent him.

(2) In deciding whether any person is fit to be recognised as agent under sub-rule (1), the Revenue Court shall so exercise, its discretion as to prevent any single person from taking powers of attorney on behalf of numerous principals.

**Part -XII  
Repeal and Saving**

**126. Repeal and Saving.-** (1) Schedule 1 of the Code and the following Rules are hereby repealed to the extent mentioned in column 3 below:

S.No. (1)	Particulars of Rules (2)	Extent of repeal (3)
1	Schedule 1 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)	To the extent of its application to all other Revenue Courts except the Board of Revenue
2	Following Rules made under section 41 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (Act 20 of 1959)-	To the extent of their application to all other Revenue Courts except the Board of Revenue
	(a) Rules regulating the procedure to be	

followed by Revenue Courts Notification No.365, dated 26<sup>th</sup> February, 1960 as amended subsequently by following Notifications-

(i) No 1504-19-72 dated 30<sup>th</sup> July 1973 published in M.P. Rajpatra dated 21<sup>st</sup> Sept. 1973;

(ii) No. 1043-18-75- Estt. dated 06-02-1980, Published in M.P. Rajpatra Part 4 (Ga) dated 28.03.1980 P.68; and

(iii) No. 2722-23-42- Estt.- 68 dated 12-09-1989, Published in M.P. Rajpatra part 4 (Ga) dated 13-10-1989 P.186.

(b) Rules regarding the service of summons, notices and other processes summoning of parties and witnesses, recognised agents, consolidation of appeal and other proceedings etc. Vide Notification No 366 dated 26<sup>th</sup> february 1960, as amended subsequently by following notifications -

(i) No. 73-34-66-Estt., dated 13<sup>th</sup> January 1970 published in Madhya Pradesh Raj Patra Dated 3rd April 1970; and

(ii) No. 1503-18-72-Estt, dated 30<sup>th</sup> july 1973 published in Madhya Pradesh Raj Patra Dated 21<sup>st</sup> Sept. 1973; —

(2) Such repeal shall not affect the previous operation of any provision of the repealed Schedule I or rules or anything duly done thereunder and shall have effect as if it were done under the corresponding provisions of these rules.

**Schedule -A**  
(See Rule 33)

**Guidelines for determination of expenses of witness  
summoned by Revenue Court**

**1. Components of expenses.-** The expenses of a witness shall be computed under following components by Revenue Court in the manner described below-

- (a) Travelling expenses;
- (b) Food and Miscellaneous expenses;
- (c) Overnight stay expenses, where applicable;
- (d) Compensation for loss of earnings; and
- (e) Expenses of companion, where applicable.

**2. Travelling expenses.-** (1) A witness who resides in the same city/town/village where he is summoned shall be allowed rupees fifty as local transportation expenses provided that his residence is more than five kilometers away from the place where he is summoned.

(2) A witness who resides in a city/town/village other than the place where he is summoned shall be paid transportation expenses in the following scale-

- (a) Where journey is performed by train the actual cost of ticket, subject to a ceiling of cost of ticket of Air Conditioned Second Class, shall be allowed. In addition, reasonable cost of local travel from railway station to the Revenue Court and back shall be allowed.
- (b) In case of journey by bus, the actual cost of ticket shall be allowed. In addition reasonable cost of local travel from bus stand to the Revenue Court and back shall be allowed.
- (c) In case of journey by any other mode, mileage allowance at the rate of rupees ten per kilometer to and fro shall be allowed.
- (d) Travelling expenses shall ordinarily be allowed for travel from and to the normal place of residence of the witness. However, in special circumstances the Revenue Court may allow travel expenses from and to a different place.

(3) In special circumstances the Revenue Court, for reasons to be recorded, may allow travel expenses by air or at higher rates than hereinbefore provided.

**3. Food and miscellaneous Expenses.**—Food and miscellaneous expenses shall be paid for the reasonable period required to be spent in journey and attending the Revenue Court at the rate of rupees two hundred per day or part thereof.

**4. Overnight stay expenses.**— Where a witness is required to stay overnight, the Revenue Court shall allow payment of an amount not below rupees five hundred and not exceeding rupees three thousand per night, as it deems fit.

**5. Compensation for actual or notional loss of earnings.**— The Revenue Court shall allow payment at a rate not below rupees two hundred and not exceeding rupees one thousand per day or part thereof, as it may deem fit, as compensation for the actual or notional loss of earnings.

**6. Expenses of companion.**— A person accompanying a witness who is a minor or is a woman or is a man over sixty years of age or is a person with forty percent or more disability shall be paid travelling, food, miscellaneous and overnight stay expenses on the same scale as laid down above.



**FORM I**

(See Rule 8 and 9)

(Acknowledgment of original application or petition for appeal, revision or review  
presented in person or by post)**ACKNOWLEDGMENT**

Document type (Original application or petition for appeal, revision or review)	To whom made	Name of the person presenting the document	Name of parties	Mode of presentation (Please tick whichever is applicable)	Date of receipt	Date fixed for hearing the case
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Received in person ( ) at .....		
				Received by post/courier services ( )		

SEAL

Signature, name and date of the receiver

-----  
 \*Note: If the document is presented at a place other than the head quarters the place to be mentioned in Column (5).

**FORM II**  
(See Rule 10& 11)

(Acknowledgment of original application or petition for appeal, revision or review presented  
Through LokSewa Kendra or presented online on the Revenue Case Management System  
portal)

**ACKNOWLEDGMENT**

Document type (Original application or petition for appeal, revision or review)	To whom made	Name of the person presenting the document	Name of parties	Acknowledgment Number and Date of receipt	Date fixed for hearing the case
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Note:- 1. In case of presentation through Lok Sewa Kendra the acknowledgment shall be signed by the authorized person thereof and stamped with official seal.

2. In case of online presentation on the Revenue Case Management System portal the acknowledgment shall have an appropriate system generated endorsement in lieu of signature.

**FORM III**  
(See Rule 33)

**WITNESS CERTIFICATE**  
(for State Government employee)

Certified that Mr./Ms. .... (Name and post)  
employed in the office of ..... appeared before me as a  
witness in Revenue Case No. .... title.....  
versus..... under  
.....(name of provision and Act etc.) on  
..... (date) in his official capacity and that nothing has been paid to him on  
account of travelling allowance and other expenses.

SEAL

Dated, the..... 20....

Presiding Officer  
Revenue Court

**FORM IV- A  
SUMMONS  
(See Rule 36)**

In the Revenue Court of .....

Revenue case no. .... /20.....

.....(Applicant/Appellant)

Versus

..... (Non-applicant/Respondent)

To

..... [Name(s), description and place of residence]

**For Non-applicant/Respondent**

WHEREAS ..... has submitted an original application/ memorandum of appeal/application for revision/review against you, a copy of which is attached herewith you are hereby, summoned to appear in this Court to present your case, to reply and produce all the documents upon which you intend to rely in support of your defence, on the ..... day of ..... 20 .....at ..... o'clock. You may appear in this Court in person or through your recognised agent or by an advocate duly instructed.

2. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the case will be heard and determined in your absence.

3. Given under my hand and the seal of the Court, this .....day of ..... 20 .....

SEAL

Dated, the..... 20.

Presiding Officer  
Revenue Court

Note- 1. Endorsement of process shall be recorded on the back of this summons.

Where the summons is served personally, the endorsement shall be made as below-

Signature of witness..... Name .....	Signature of Receiver..... Name.....
Father's/husband's name..... Address.....	Mobile Phone Number.....(if any) (Relation if other than the addressee).....
Mobile phone number.....(if any)	
Summons served by me on the .....day of..... year. Signature of server..... Name..... Dated, the.....20... Designation.....	In case the summons is served through Tahsil, countersignature of Mal-Zamadar. Seal Signature..... Name..... Designation..... Dated, the.....20...

Where the summons is served by affixing, the endorsement shall be made as below-

Witnesses by whom the house was identified and in whose presence summons was affixed. (1)Signature of witness..... Name .....	1. The summons served by me by affixing on .....(name of the place) on the.....day of.....year.....in the presence of the witnesses mentioned in margin. 2. Reasons for service of summons by affixing ..... Signature of server Name.....
Father's/husband's name..... Address..... Mobile phone number.....(if any)	Dated, the.....20... Designation.....
(2)Signature of witness..... Name .....	
Father's/husband's name..... Address..... Mobile phone number.....(if any)	
In case the summons is served through the Tahsil, countersignature of Mal-Zamadar.	
Seal	Signature.....
Dated, the.....20.....	Name..... Designation.....

**FORM IV- B**  
**SUMMONS**  
**(See Rule 36)**

In the Revenue Court of .....

Revenue case no. .... /20.....

.....(Applicant/Appellant)

**Versus**

..... (Non-applicant/Respondent)

To

..... [Name(s), description and place of residence]

**For Witness**

Your attendance is required on behalf of ..... in the above case. You are hereby required to appear in this Court in person, on the ..... day of ..... 20 ..... at ..... o'clock, to give evidence and/or to produce ..... (give particulars of documents). If you fail to attend on the day and hour aforesaid, action may be taken against you according to the provisions of Section 34 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959).

2. If you have been summoned only to produce a document, you may be deemed to have complied with the summons if you cause such document to be produced in this Revenue Court on the day and hour aforesaid.

3. Given under my hand and the seal of the Court, this ..... day of ..... 20 ..

SEAL

Dated, the..... 20.

Presiding Officer  
Revenue Court

Note- 1. Endorsement of process shall be recorded on the back of this summons.  
2. Please indicate whether the witnesses is summoned to give evidence or to produce documents or both.

Where the summons is served personally, the endorsement shall be made as below-

Signature of witness..... Name ..... Father's/husband's name..... Address..... ..... Mobile phone number.....(if any)		Signature of Receiver..... Name..... Mobile Phone Number.....(if any) (Relation if other than the addressee).....	
Summons served by me on the .....day of..... year.  Signature of server..... Name..... Dated, the.....20... Designation.....		In case the summons is served through Tahsil, countersignature of Mal-Zamadar.  Seal Signature..... Name..... Dated, the.....20... Designation.....	

Where the summons is served by affixing, the endorsement shall be made as below-

Witnesses by whom the house was identified and in whose presence summons was affixed. (1)Signature of witness..... Name ..... Father's/husband's name..... Address..... ..... Mobile phone number.....(if any)		1. The summons served by me by affixing on .....(name of the place) on the.....day of.....year.....in the presence of the witnesses mentioned in margin. 2. Reasons for service of summons by affixing ..... ..... .....	
(2)Signature of witness..... Name ..... Father's/husband's name..... Address..... ..... Mobile phone number.....(if any)		Signature of server Name..... Dated, the.....20... Designation.....	
In case the summons is served through the Tahsil, countersignature of Mal-Zamadar.  Seal Signature..... Name..... Dated, the.....20..... Designation.....			

**FORM V**  
(See rule 36)

**BAILABLE WARRANT OF ARREST**  
[ Issued in exercise of power under section 34 of the Madhya Pradesh  
Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) ]

In the Court of.....

Revenue Case no...../20.....

.....Applicant

Versus

.....Non applicant

To

.....

.....

(name and designation of the person or persons who is or are to execute the warrant).

WHEREAS ..... (name of warrantee) son/ daughter/wife  
of..... resident of ..... (full address)  
has been duly served with a summons but he has failed to attend; You are  
hereby ordered to arrest and bring the said .....(name of warrantee)  
before this Court.

2/ You are further ordered to return this warrant on or before the ..... day of  
.... 20 ... with an endorsement certifying the day on and the manner in which it  
has been executed or the reason why it has not been executed.

3/ If the said .....(name of warrantee) shall give bail  
himself in the sum of rupees ..... with one surety in the  
sum of rupees ..... to attend this Court on the  
..... day of ..... 20 ... and to continue so to attend until otherwise directed  
by this court, he may be released.

4/ Given under my hand and the seal of the Court, this .....day of .....20...

Seal  
Dated, the.....20.....

Presiding officer  
Revenue Court



**BOND AND BAIL-BOND AFTER ARREST UNDER A WARRANT**BOND

I, ..... (name) son/daughter/wife of ..... resident of ..... (full address) of ..... do hereby bind myself to attend in the Court of ..... (name of the Revenue Court) in Revenue case no...../20..... on the ..... day of ..... next, to give evidence in the said case, and to continue so to attend until otherwise directed by the Court; and, in case of my making default herein, I bind myself to forfeit, to Government, the sum of rupees.....

Dated, this ..... day of ..... 20 .....

.....  
Signature of warrantee  
Name.....

BAIL-BOND

I do hereby declare myself surety for the above-named ..... (name of warrantee) son /daughter/wife of ..... resident of ..... (full address) that he shall attend the Court of ..... (name of the Revenue Court) on the ..... day of ..... next, to give evidence in Revenue Case No...../20.....and shall continue so to attend until otherwise directed by the Court; and, in case of my making default herein, I bind myself to forfeit, to Government, the sum of rupees.....

Dated, this ..... day of ..... 20 .....

.....  
Signature of surety  
Name.....

**FORM-VI**  
**COMMISSION TO EXAMINE WITNESS**  
(See Rule-43)

REVENUE COURT.....

Revenue Case No...../20.....

To

.....Applicant/Appellant

Vs

.....Non-applicant/Respondent

WHEREAS the evidence of ..... [Name of witness] is required by ..... [Name of party] in the above case; and whereas ..... [circumstances due to which evidence is required to be taken on commission], you are requested to take the evidence on interrogatories (or viva voce) of such witness.....[Name of witness] and you are hereby appointed Commissioner for that purpose. The evidence will be taken in the presence of the parties or their recognized agents or legal practitioners if in attendance, who will be at liberty to question the witness on the points specified, and you are further requested to make return of such evidence as soon as it may be taken.

2/ Process to compel the attendance of the witness will be issued by any Revenue Court having jurisdiction on your application.

3/ A sum of Rs. .... is fixed as your fee in the above which shall be paid by the party.....directly to you.

4/ Given under my hand and the seal of the Court, this ..... day of .....

SEAL

Dated, the.....20...

Presiding Officer

Revenue Court

Copy - 1. .... [Name of party] for information. Pay the fee fixed as above to the commissioner by ..... (date).....

2. .... [Name of other party] for information.

SEAL

Dated, the.....20...

Presiding Officer

Revenue Court

## FORM VII

(See Rule 122)

Office Cause - List

Date.....

S.No	Revenue Case Number	Particulars of applicant /appellant	Name and Phone Number of Advocate for applicant/ appellant	Particulars of non-applicant /respondent	Name and Phone Number of Advocate for non-applicant /respondent	Business for which case is fixed	Next date of hearing	Business for which next date of hearing is fixed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

**FORM VIII**  
(See Rule 122)

**Daily Cause - List**

Date.....

S.No	Revenue Case Number	Particulars of applicant /appellant	Name and Phone Number of Advocate for applicant/ appellant	Particulars of non-applicant /respondent	Name and Phone Number of Advocate for non-applicant /respondent	Business for which case is fixed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh,

**FORM VIII**  
(See Rule 122)

**Daily Cause - List**

Date.....

S.No	Revenue Case Number	Particulars of applicant /appellant	Name and Phone Number of Advocate for applicant/ appellant	Particulars of non-applicant /respondent	Name and Phone Number of Advocate for non-applicant /respondent	Business for which case is fixed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18.07.2019

क्रमांक एफ. 2-7/2019/सात/शा.7

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 256 के साथ पठित धारा 258 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (उनहत्तर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजस्व अभिलेख नियम, 1959 के "भाग-3 अभिलेख की कम्प्यूटरीकृत प्रति का प्रदाय" से संबंधित नियमों में, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 26 जून, 2019 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 56 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् -

56. "प्रतिलिपि शुल्क निम्नानुसार प्रभारित किया जाएगा.-

दर रूपयों में

क्रमांक	अभिलेखों का विवरण	प्रथम पृष्ठ के लिए फीस	प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए फीस
1.	एक साला/पांच साला खसरा, या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए	30.00	15.00
2.	वजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक के लिए	30.00	15.00
3.	ए-4 आकार में नक्शे की प्रति के लिए	30.00	15.00  "

2. नियम 56 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम एवं स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :-

"56क. मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति के शासी निकाय की अनुशंसा पर, नियम 56 के अधीन प्रभारित शुल्क में से राज्य सरकार द्वारा नियत अंश का संदाय प्राधिकृत सेवा प्रदाता को किया जाएगा। प्रभारित शुल्क की शेष राशि राज्य की संचित निधि में जमा की जाएगी।

58ख. प्रतिलिपि फीस आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा विहित रीति में संदत्त की जाएगी।

स्पष्टीकरण : नियम 56क एवं 56ख के प्रयोजन के लिए,—

1. "मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख में पंजीकृत समिति।
2. "प्राधिकृत सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करने हेतु आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाता।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुरहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2019

क्रमांक एफ. 2-7/2019/सात/शा.7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-7/2019/सात/शा.7 दिनांक 18.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुरहमान खान, उपसचिव.

Bhopal, dated 18.07.2019

F. 2-7/2019/VII/Sec.7.-

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (LXIX) of sub-section (2) of section 258 read with section 256 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendments in the rules regarding "Part-III Supply of Computerized Copy of Record" of the Madhya Pradesh Land revenue Records Rules, 1959, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 26<sup>th</sup> June, 2019 as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code, namely :-

### AMENDMENTS

In the said rules,-

1. For rule 56, the following rule shall be substituted, namely :-

#### 56. "Copying fee shall be charged as under.-

Rate in Rupees

No.	Particular of Records	Fee for first page	Fee for every additional page
1.	For Eksala/Panchsala khasra or for khata (Holding) Jamabandi, record of right, khewat.	30.00	15.00
2.	For wajib-ul-arz, Nistar Patrak.	30.00	15.00
3.	For copy of map on A4 size.	30.00	15.00*.

2. After rule 56, the following rules and explanations shall be inserted, namely: -

"56A. On the recommendation of the Governing body of the Madhya Pradesh Land Record Management Society, the share fixed by the State Government out of the fee charged under rule 56 shall be paid to the Authorised Service Provider. The remaining amount of the fee charged shall be deposited in consolidated fund of the State.



**56B.** The copying fee shall be paid in the manner prescribed by the Commissioner, Land Record.

**Explanation :** For the purpose of rule 56A and 56B,-

1. "Madhya Pradesh Land Record Management Society" means the society registered under the Madhya Pradesh Society Registrickaran Adhinyam, 1973 (No. 44 of 1973) in the office of the Commissioner, Land Record.
2. "Authorized service provider" means service provider for supplying the certified copies of Land records authorized by the Commissioner, Land Record, Madhya Pradesh."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
MUJEEBUR REHMAN KHAN, Dy. Secy.